लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
6.7.12
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

चतुर्थ माला

Fourth Series

खंड 3, 1967 / 1889 (शक)

Volume (iii), 1967/1889 (Saka)

[22 मई से 5 जून, 1967 / 1 ज्येष्ठ से 15 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]

[May 22 to June 5, 1967/ Jyaistha 1 to Jyaistha 15, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

(Volume (iii) Contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 4—शुक्रवार, 26 मई, 1967/5 ज्येष्ठ 1889 (शक)

No. 4—Friday, May 26, 1967/Jyaistha 5, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
91.	पाकिस्तान द्वारा रोका गया माल का लौटाया जाना	Release of Cargo by Pakistan	451–454
92.	सीमेंट का मूल्य	Price of Cement	454–457
93.	विदेशी सहयोग नियम	Foreign Collaboration Rules	457–458
94.	विवियन बोस ग्रायोग	Vivian Bose Commission	458–459
95.	लाइसेंस देने संबंधी नीति पर डा. हज़ारी का प्रतिवेदन	Dr. Hazari Report on Licensing Policy	460
118.	उद्योगों को लाइसेन्सों का दिया जाना	Issue of Licences to Industries	460–461
96.	ग्रनिवार्य निर्यात	Compulsory Exports	461–463
97.	ग्रायात की जाने वाली वस्तुग्रों के स्थान पर काम ग्रा सकने वाली देशी वस्तुग्रों का प्रयोग	Import Substitution	463–464
105.	ग्रायात की जाने वाली वस्तुग्रों के स्थान पर काम ग्रा सकने वाली स्वदेशी वस्तुग्रों का प्रयोग	Import substitution	464–466

प्रश्नों के लिखित उत्तर । WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
98.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लेखों के बारे में लेखा परीक्षा रिपोर्ट	Audit Report on the Accounts of NCDC	466–467
99.	रूई का ग्रायात	Import of Cotton	467
100.	रूरकेला की घमन भट्टी संख्या 4 की स्थापना	Completion of Blast Furance No. 4 of Rourkela	468

* किसी नाम पर ग्रंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sing + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर— (जारी) /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

	विषय	Subject	
101.	रेल किराये की दरों में अन्तर	Difference in Rates of Railway Fare	468
102.	कपड़े के मूल्य	Prices of Cloth	468–469
103.	कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना	Closure of Textile Mills	469
104.	सरकारी उपक्रमों की अप्रयुक्त क्षमता	Idle capacity in Public Undertakings	469–470
106.	चौथी योजना में डीजल और बिजली से चलने वाली गाड़ियां	Diesel and Electric Trains during Fourth Plan	470
107.	आयात नीति	Import Policy	471–472
108.	संयुक्त-अरब गणराज्य का व्यापार-मंडल	UAR Trade Delegation	472
109.	रूसी ट्रैक्टरों का आयात	Import of Russian Tractors	472–473
110.	कपड़ा उद्योग	Textiles Industry	473
111.	इत्र बनाने का कारखाना	Perfume making Plant	473
112.	संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्यात संवर्द्धन सम्बन्धी दल	UN Team on Export Production	473–474
113.	रेलवे टिकटों का चोर बाजार दरों पर विक्रय	Selling of Railway Tickets at Blackmarket Rates	474
114.	रूसी ट्रेक्टरों का आयात	Import of Russian Tractors	474–475
115.	पांचवां इस्पात कारखाना लगाने का स्थान	Location of Fifth Steel Plant	475
116.	टायर निर्माता कम्पनियां	Tyre Manufacturing Companies	475–476
117.	होस्पेट में इस्पात कारखाने की स्थापना	Location of Steel Plant at Hospet	476
119.	इस्पात का निर्यात	Export of Steel	476–477
120.	जापान को क्रोम अयस्क का निर्यात	Export of Chrome Ore to Japan	477
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
471.	पश्चिमी रेलवे द्वारा भूमि की खरीद	Purchase of Land by Western Railway	477–478
472.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने	Public Sector Steel Plants	478
473.	सिगरेटों का उत्पादन	Manufacture of Cigarettes	478–479
474.	त्रिवेन्द्रम में हथकरघा सेवा केन्द्र	Handloom Service Centre at Trivandrum	479
475.	गढी-हरसरू और खलीलपुर (उत्तर रेलवे) के बीच रेलवे लाइन को दोहरी बनाना	Doubling of Railway Line between Garhi Harasaru and Khalilpur (N, Rly.)	479–480
476.	उत्तर रेलवे में यात्रियों के लिये सुविधाएं	Passenger Amenities on Northern Railway	480
477.	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors	480
480.	काली सूची में डाली गई फर्में	Black Listed Firms	481
481.	इटारसी-जबलपुर सैक्शन पर रेलवे प्लेट-फार्मों पर शैड	Cover over Railway Platforms on Harsi Jabalpur Section	481–482
482.	जबलपुर और इटारसी के बीच यात्री गाड़ियों के साथ लगाई जाने वाली बोगियां	Bogies Attached to Passenger Trains between Jabalpur and Harsi	482

विषय Subject

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
483.	मोटर गाड़ियों का निर्माण	Manufacture of Motor Vehicles	482–484
484.	मोटर गाड़ियों के पुर्जों का निर्माण	Manufacture of Motor Vehicle Parts	484–485
485.	चकिया स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर चाय की दुकान	Tea Stall at Chakia Station (N. E. Railway)	485
486.	टैलीविजन सैटों का आयात	Import of T. V. Sets	485–486
487.	विद्युतचालित संगणकों का आयात	Import of Electronic Computers	486
488.	आयात तथा निर्यात	Imports and Exports	486–487
489.	विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने लाभ की राशि का विदेशो को भेजा जाना	Profits remitted by Foreign Companies	487
490.	मेहसी और महवाल स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच बिना चौकीदार का रेलवे फाटक	Unmanned Level Crossing between Mehsi and Mahwal Stations (N, E. Rly)	488
491.	चिन्नाडागुडी-हुण्डी में हाल्ट स्टेशन	Halt Station at Chinnadagudi Hundi	488
492.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Vacancies for S.C. and S.Ts.	488–489
493.	अखिल भारतीय रेलवे अनुसचिववीय कर्मचारि वृन्द संघ	All India Railway Ministerial Staff Association	489
494.	लौह तथा इस्पात के सम्बन्ध में 'स्टियरिंग ग्रुप' की बैठक	Steering Group Meeting on Iron and Steel	489–490
495.	झारसुगुडा स्टेशन पर ऊपरी पुल	Over bridge at Jharsuguda Station	490
496.	निर्यात नीति सम्बन्धी वक्तव्य	Policy Statement on Exports	490
498.	फर्मों का काली सूची में रखा जाना	Blacklisting of Firms	491
499.	लाइसेंस देने की नीति के संबंध में डा० हजारी का प्रतिवेदन	Dr. Hazari's Report on Licensing Policy	491–492
500.	औद्योगिक नीति संकल्प	Industrial Policy Resolution	492
501.	रौक फास्फेट के निक्षेप	Deposits of Rock Phosphate	492–493
502.	वातानुकूलित रेल गाड़ियां	Air Conditioned Trains	493
503.	सवारी गाड़ियों में भीड़-भाड़	Over crowding in Passenger Trains	493–494
504.	इस्पात पर से नियंत्रण हटाना	De-control of Steel	494–495
505.	पैराम्बूर स्थित इंजिन कारखाना (लोकोमोटिव वर्कशाप)	Locomotive Workshop, Perambur	495–496
506.	रेलवे के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सानुग्रह पेंशन	Ex-gratia Pension to Retired Railway Employees	496

विषय Subject

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
507.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक आकस्मिक अवकाश	Mass Casual Leave by NCDC Employees	496-497
508.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कर्मचारी संघ के साथ समझौता	Agreement with NCDC Employees' Association	497
509.	बरौनी स्टेशन पर झगड़ा	Clash at Barauni Station	497-498
510.	भारत और यूनान के बीच व्यापार	Indo-Greek Trade	498
511.	संयुक्त अरब गणराज्य के इस्पात दल का भारत में आगमन	Visit of UAR Steel Team	498-499
512.	विदेशी सहयोग सम्बन्धी समिति	Committee on Foreign Collaboration	499
513.	रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents	500
514.	इस्पात से ढांचे तैयार करने के लिये टेंडर	Tenders for Fabrication of Steel Structures	500-501
515.	लाख का निर्यात	Export of Lac	501
516.	गजरौला और चंदोसी जंक्शन (उत्तर रेलवे) के बीच रेलवे लाइन	Rail Link between Gajaula and Chandausi Jns. (N. Rly.)	502
517.	रेलवे बोर्ड के कार्यालय में संयुक्त निर्देशकों के पदों की समाप्ति	Abolitions of Posts of Joint Directors in Railway Board Office	502
518.	टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets	502-503
519.	बिना चौकीदारों वाले रेलवे फाटकों पर फलैशर	Flashers at Unmanned Level Crossing	503
520.	स्पन पाइपों का निर्माण	Manufacture of Spun Pipes	503-504
521.	सियालदह डीविजन के दक्षिण सैक्शन में रेलवे स्टेशन	Railway Stations on South Section of Sealdah Division	504
522.	रेलवे द्वारा कोयले, डीजल तेल और बिजली की खपत	Coal, Diesel Oil and Electricity consumed by Railways	505
523.	थाईलैंड से पटसन का आयात	Import of Jute from Thailand	505-506
524.	आस्ट्रेलिया को कपड़े का निर्यात	Exports of Textiles to Australia	506-507
525.	संयुक्त संयंत्र समिति को संविहित निकाय में बदलना	Coversion of Joint Plant Committee into Statutory Body	507
527.	दिल्ली में ऊपरी तथा निचले पुल	Over and under Bridges in Delhi	507
530.	अप आसाम मेल रेलगाड़ी की दुर्घटना	4-UP Assam Mail Accident	508
531.	बिजली के मीटरों की बिक्री	Sale of Electricity Meters	508-509
532.	लखपत और भुज के बीच रेलवे लाइन	Rail Link between Lakhpat and Phuj	509
533.	औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Industrial Licences	509-510
534.	लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries	51

प्रश्नों के लिखित उत्तर— (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
535.	बिहार में खनिजों पर शुल्क तथा रायल्टी की दरें	Rates of Levy and Royalty on Minerals in Bihar	510–511
536.	टोकियो में 'इकाफे' की बैठक	ECAFE Meeting at Tokyo	511
537.	आस्ट्रेलिया द्वारा रेलवे के सामान की खरीद	Purchase of Railway Material by Australia	511
538.	सोवियत रूस के सहयोग से घड़ियों के कारखाने	Watch Factories with Soviet Collaboration	512
539	एकान्तर (आल्टर्नेटिव) शनिवारों को कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना	Closure of Textile Mills on Alternative Saturdays	512–513
540.	देशी उत्पादनों के मूल्य	Prices of Indigenous Products	513
541.	पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेलगाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Trains on E. & S. E. Railways	513–414
542.	रेलवे में चीफ ड्राफ्टसमैनों की भर्ती	Recruitment of Chief Draftsmen on the Railways	514
543.	रेलवे की परिचालन-लागत	Operating Costs	514–515
544.	लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों की पश्चिम जर्मनी से सहायता	West German Assistance to Small and Medium Scale Industries	515–516
545.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन	Change in the Management of Public Sector Steel Plants	516
546.	उत्तर प्रदेश और पंजाब में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in U. P. and Punjab	516–517
547.	रेलवे सैलून	Railway Saloons	517
548.	डीजल इंजनों से चलने वाली गाड़ियां	Trains Running with Diesel Locomotives	517
549.	खादी ग्रामोद्योग भवन	Khadi Gramodyog Bbavans	517
550.	निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य	Price of Export Commodities	518
551.	दिल्ली अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस गाड़ी के तीसर दर्जे के डिब्बे से चांदी की चोरी	Theft of Silver from III Class Compartment of Dethi-Ahmedabad Janate Express	518–519
552.	उपलवाई तथा सिरनापल्ली स्टेशनों के बीच मालगाड़ी की दुर्घटना	Goods Trains Accident between Upalwai and Sirnapalli Stations	519
553.	वातानुकूलित रेलगाड़ियां	Air Conditioned Trains	519
554.	खेत्री की तांबा खानों में लगी हुई पूंजी	Investment in Khetri Copper Mines	519–520
555.	उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य की हत्या	Murder of U.P. M. L. A.	520
556.	दीमापुर स्टेशन पर गिरफ्तारियां	Arrest at Dimapur Station	520
557.	रेफीजरेटरों का निर्माण	Manufacture of Refrigerators	521
558.	उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइन	New Railway Line in U.P.	521

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
559.	कपड़े के मूल्य	Prices of Cloth	521–522
560.	लेखा विभागों में विद्युत चालित संगणक	Electronic Computers in Accounts Departments	522–523
561.	कोयला साफ करने के कारखानों की स्थापना	Setting up of Coal Washeries	523
562.	कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials	523–524
563.	कनाडा के साथ व्यापार	Trade with Canada	524
564.	रेलवे यार्डों का पुनिर्माण	Remodelling of Railway Yards	524–525
565.	उड़ीसा में रेलवे होस्टल	Railway Hostels in Orissa	525
566.	पूर्व रेलवे, ग्रासनसोल के सिगनल विभाग में छंटनी	Retrenchment in Signal Deptt. of Eastern Railway, Asansol	525–526
567.	दिल्ली ग्रौर राजस्थान के बीच मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलना	Conversion of M.G. into B.G. line between Delhi and Rajasthan	526
568.	बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण	Construction of Bokaro Steel Plant	526–528
569.	रबड़ का मूल्य	Price of Rubber	528
570.	समवाय ग्रधिनियम	Companies Act	528
571.	उड़ीसा में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Orissa	529
572.	रद्दी लोहे के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on Export of Scrap Iron	529–530
573.	बिड़ला समवाय समूह	Birla Group of Companies	530
574.	जमालपुर स्टेशन पर रेलवे सम्पत्ति की चोरी	Theft of Railway Property at Jamalpur Station	530–531
575.	ग्रशोक मार्केटिंग लिमिटेड	Ashoka Marketing Limited	531–532
576.	मैसर्स बर्ड एंड कम्पनी	M/s. Bird & Co.	532
577.	गेमन इंडिया लिमिटेड	Gommon India Limited	532–533
578.	कठुग्रा से जम्मू तक रेलवे लाइन	Railway Line from Kalhua to Jammu	533
579.	रेलगाड़ियों में जंजीर का खींचा जाना	Chain Pulling in Trains	533–534
580.	गैर सरकारी फर्मों के साथ किए गए इस्पात के सौदों की जांच के लिए जांच ग्रायोग	Enquiry Commission to look into Steel Deals with Private Firms	534–535
581.	कुरुक्षेत्र से पीहोवा (हरियाना) तक रेलवे लाइन	Railway line from Kurukshetra to Pehowa, Haryana	535
582.	छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car	536–537
584.	निर्यात	Exports	537–538

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

585.	निर्यात प्रोत्साहन योजना	Export Incentive Scheme	538
586.	व्यापार बोर्ड	Board of Trade	538–539
587.	भागलपुर मन्दारहिल ब्रांच लाइन का विस्तार	Extension of Bhagalpur Mandar Hill Branch line	539
588.	बिहार में धातु तथा खनिज संसाधन	Metals and Minerals Resources in Bihar	539
589.	इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा संसार के सभी देशों से निविदायें आमंत्रित करना	World Tenders invited by IISCO	539–540
591.	ट्रैफिक एकाउंट्स कार्यालयों में क्लर्क	Clerks in Traffic Accounts Offices	540
592.	रूई के मूल्य	Cotton Prices	541
593.	1966–67 में कोयलाखानों से निकाला गया कोयला	Coal Mines in 1966–67	541
594.	लघु उद्योगों द्वारा निर्यात	Export by Small Scale Industries	541
595.	विदेशों में कारखानों की स्थापना	Setting up of Factories in Foreign Countries	541–542
596.	छोटे पैमाने के उद्योगों को लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of Licences to Small Scale Industries	542
597.	गोल्डन रोक वर्कशाप के कर्मचारियों के लिये विशेष रेलगाड़ी चलाना	Running of Special Train for Golden Rock Workshop Workers	542
598.	रेलगाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Trains	542–543
599.	सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का दिया जाना	Allotment of Scooters to Government Employees	543
600.	कपास के व्यापार के लिये ऋण में कटौती	Credit Squeeze on Cotton Trade	544
601.	मिलों से कपड़े का उत्पादन	Production of Mill Cloth	544
602.	स्पेन के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Spain	544–545
603.	भारत-पोलैण्ड व्यापार समझौता	Indo-Polish Trade Pact	545
604.	इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	ICI (India) Private Limited	545–546
605.	ट्रांजिस्टरों का निर्माण	Manufacture of Transistor Sets	546
606.	सरकारी उपक्रमों आदि के लिये इस्पात की आवश्यकता	Steel Requirements by Government Undertakings	546–547
607.	महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम का कारखाना	Aluminium Factory in Maharashtra	547–548
608.	तुर्की (पूर्वोत्तर रेलवे) स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Turki Station (N.E. Rly.)	548
609.	मैंगनीज का निर्यात	Export of Manganese	548–549

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
610.	इंडोनेशिया का व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Indonesian Trade Delegation	549
611.	बैलाडिला खानों से लौह अयस्क का भेजा जाना	Movement of Iron ore from Bailadila Mines	549
612.	गोआ में कच्चा लौहा परियोजनाएं	Pig Iron Projects in Goa	549-550
613.	दक्षिण पूर्व रेलवे के डब्लिंग सैक्शन में काम करने वालों को दैनिक भत्ता	D.A. to Doubling Section Workers of S. E. Rly.	550
614.	मैसूर राज्य में नई रेलवे लाइन	New Railway Lines in Mysore State	551
616.	मैसर्स महिन्द्र एण्ड महिन्द्रा द्वारा जीपों का निर्माण	Manufacture of Jeeps by M/s. Mahindra and Mahindra	551
617.	रूरकेला इस्पात कारखाने में मृत्यु	Death incident at Rourkela Steel Plant	551-552
618.	यात्री सुविधायें	Passenger Facilities	552-554
619.	एरणाकुलम और मदुरै के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Ernakulam and Madurai	554
620.	एरणाकुलम से कन्याकुमारी अन्तरीप तक रेलवे लाइन	Railway Line from Ernakulam to Cape Comorin	554-555
621.	केरल में बड़ी रेलवे लाइन	B.G. Railway Lines in Kerala	555
622.	मुव-तुपुजहा में प्रसार केन्द्र	Extension Centre at Murattapj-zha	555
623.	इटारसी से भीलाखेड़ी यार्ड (मध्य रेलवे) तक 'फ्लाई ओवर'	Fly over from Itarsi Station to Bhilakhedi Yard (Central Rly.)	555-556
624.	भीलाखेड़ी यार्ड तथा इटारसी रेलवे स्टेशन	Bhilakhedi Yards and Itarsi Railway Station	556
625.	इटारसी स्टेशन पर रेलवे क्वार्टर	Railway Quarters at Itarsi Station	556-557
626.	पेटियां भेजने के लिये माल डिब्बों का आंवटन	Allotment of Wagons for Transporting Chests	557
627.	मोतियों का आयात	Import of Pearls	557-558
628.	सहायक कल्याण निरीक्षक का चयन	Selection of Assit Welfare Inspectors	558
630.	रेलवे कर्मचारियों को रात की ड्यूटी का भत्ता	Night Duty Allowance to Railwaymen	558-559
631.	बदरपुर और लुमडिंग हिल सैक्शन के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Badarpur Lumding Hill Section	559
632.	आसाम प्रदेश में रेल दुर्घटना	Railway Accidents in Assam Region	559-560
633.	केरल राज्य में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines to Kerala State	560
634.	माल डिब्बों की मांग में कमी	Reduction in Demand of Wagons	561
635.	चिली से शोरा नमक का आयात	Import of Saltpetre from Chile	561

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
636.	उत्तर रेलवे के स्टेशनों की नीलामी	Auction of Railway Stations on the Northern Rly.	561
637.	कांगड़े की चाय	Kangra Tea	561–562
638.	रतलाम डिवीजन के तृतीय श्रेणी के गार्डों का स्थानांतरण	Transfer of Grade III Guards of Ratlam Division	562
639.	रबड़ का आयात	Import of Rubber	562–563
640.	कोट्टयम से मदुरे तक रेलवे लाइन	Railway Line from Kottayam to Madurai	563
641.	रूई के मूल्य	Prices of Cotton	563–564
642.	सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं द्वारा निर्यात	Export by Public Sector Steel Projects	564–565
643.	उद्योगपतियों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Conference of Industrialists	565
644.	रोहतक पानीपत रेल सम्पर्क	Rohtak Panipat Rail Link	565–566
645.	वाल्टेयर मार्शलिंग यार्ड में कर्मचारियों को निर्माण भत्ता	Construction Allowance to Staff in Waltair Marshalling Yard	566–567
646.	वाल्टयर स्टेशन से मेरिपालेम क्षेत्र तक चलने वाली कर्मचारियों की गाड़ी	Workmen's Train running from Waltair Station to Marripalem Area	567
647.	भारतीय रेलों में विधि सहायक	Law Assistants on Indian Railways	567–568
648.	ब्रिटेन का यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश	U.K.'s Entry into E.C.M.	568
649.	माईनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर	Mining and Allied Machinery Corporation at Durgapur	569
650.	भिलाई में इस्पात का जमा होना	Accumulation of Steel at Bhilai	569–570
651.	रेलों में बर्थ सुरक्षित करना	Reservation of Berths on Railways	570
652.	मोन्ट्रियल प्रदर्शनी में भारतीय मंडप	Indian Pavilian at Montreal Exhibition	570
653.	मोन्ट्रियल प्रदर्शनी	Exhibition at Montreal	571
654.	संयुक्त अरब गणराज्य और सूडान से रूई का आयात	Import of Cotton from UAR and Sudan	572
655.	राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में जिप्सम की खोज	Exploration of Gypsum in Bikaner Division of Rajasthan	572
656.	आयात लाइसेंस	Import Licence	572
657.	उड़ीसा में डस्टी लौह अयस्क का पाया जाना	Dustry Iron Ore discovered in Orissa	573
658.	वातानुकूलित डीलक्स रेलगाड़ियों के डिब्बों में खाली स्थान	Vacant Seats in A.C. Delux Trains	573–574
659.	इस्पात के विनियंत्रण के कारण नौकरी से निकाले गये कर्मचारी	Employees affected by Decontrol of Steel	574

664 दिल्ली में ट्यूब रेलवे Tube Railway in Delhi

प्रता० प्र० संख्या U. S. Q. No. — विषय Subject — पृष्ठ Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

प्रता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
660.	प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां	Primary Weavers Cooperative Societies	572
661.	रूई की वसूली	Procurement of Cotton	572
662.	तमुरिया तथा घोघरडीहा के बीच रेलवे लाइन का दोहारा किया जाना	Doubling of Railway Track between Tamuria and Ghogar-diha	572–576
663.	चिकना हाल्ट स्टेशन	Chikna Halt Station	576
665.	दिल्ली में ट्यूब रेलवे	Tube Railway in Delhi	576
666.	विदेशों को रेलों की सप्लाई	Supply of Rails to Foreign Countries	576–577
667.	हथकरघा उद्योग	Handloom Industry	577
668.	औसावक्कोड डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक	Unmanned Level Crossings in Olavak kode Division (S.Rly.)	577
669.	बलिया और छपरा (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच रेलवे पुल	Railway Bridge between Ballia and Chupra (N.E. Rly.)	577–578
670.	हेवी प्लेटस एन्ड वैसल्स प्लान्ट	Heavy Plates and Vessels Plant	578
671.	उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Orissa	578
672.	उड़ीसा तथा राजस्थान के लिए नालीदार चादरें	G.C. Sheets for Orissa and Rajasthan	578–579
673.	उड़ीसा तथा राजस्थान में कपड़ा मिलें	Textile Mills in Orissa and Rajasthan	579
674.	उड़ीसा और राजस्थान के लिये स्टेनलेस स्टील	Stainless Steel for Orissa and Rajasthan	579–580
675.	राजस्थान में हथकरघा कपड़े का तैयार किया जाना	Production of Handloom Cloth in Rajasthan	580
676.	हथकरघा उद्योग को राज सहायता	Subsidy to Handloom Industries	580
677.	जूतों का उत्पादन	Production of Foot-wear	580–581
678.	अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint	581
679.	दक्षिण पूर्व रेलवे के तीसरी श्रेणी के कर्मचारी	Class III Employees on S. E. Railway	581
680.	कच्चा लोहा	Pig Iron	582
681.	उड़ीसा के लिये अम्बर चरखे	Ambar Charkhas for Orissa	582
682.	दिल्ली तथा हैदराबाद के बीच सीधी रेलगाड़ी	Direct Train between Delhi and Hyderabad	582
683.	बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग	Ticketless Travellers	582–583
684.	बिड़ला समवाय समूह को लाइसेंस देना	Issue of Licenees to Birla Group of Firms	583
685.	राजस्थान में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Rajasthan	584

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--*Contd.*

U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
686.	राजस्थान को सीमेंट की सप्लाई	Supply of Cement in Rajasthan	584
687.	छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रशिक्षण	Training in Small Scale Industries	584-585
688.	राजस्थान के लिये इस्पात का आयात	Import of Steel for Rajasthan	585
690.	चल टिकट परीक्षकों की अवकाश की अवधि में काम करने वाले व्यक्ति	Leave Reserve T.T.E.	585
691.	इस्पात कारखाने की मशीनें	Machines of Steel Plants	585-586
692.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची का विकास	Development of Heavy Fngineering Corp. Ranchi	586-587
693.	मरियानी से चापरमुख तक रेलवे लाइन	Railway Line from Mariani to Chaparmukh	587
694.	पारादीप पतन और कटक के बीच रेल सम्पर्क	Rail Link between Paradeep port and Cuttack	587
695.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	588
696.	स्टीम और डीजल इंजनों का निर्माण	Manufacture of Steam and Diesel Locomotives	588-589
697.	सीमेंट का मूल्य	Price of Cement	589
698.	आनन्द नगर में रेलवे का अस्पताल	Railway Hospital at Anand Nagar	589
699,	घड़ियां बनाने के लिये लाइसेंस	Licences for manufacture of Watches	589-590
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	**Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance**	**590**
	मिजो विद्रोहियों द्वारा भारतीय सुरक्षा बल के एक गश्ती यूनिट पर छिपकर हमला करना	Ambush of security patrol party by Mizo hostiles	590-591
	श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	590
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	590-591
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	**Papers Laid on the Table**	**592-593**
	अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1964-65	**Demands for excess Grants (Railways), 1964-65**	
	विवरण प्रस्तुत	Statement present	594
	सभा का कार्य	**Business of the House**	**594-595**
	समितियों के लिये निर्वाचन	**Election to Committees**	**595-596**
	(1) राजघाट समाधि समिति, और	Rajghat Samadhi Committee; and	595
	(2) दिल्ली विकास अधिकारी की सलाहकार परिषद्	Advisory Council of Delhi Development Authority	596
	उपाध्यक्ष महोदय द्वारा 24-5-1967 को स्थगन प्रस्ताव को निपटाने के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत मामला	**Matter Under Rule 377 re. Disposal of Adjournment Motion by the Deputy Speaker on 24-5-67**	**596-601**

विषय Subject

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRIETEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

विषय	Subject	Pages
रेलवे आय व्ययक 1967–68 सामान्य चर्चा	**Railway Budget–General Discussion**	**601–603**
श्री मुहम्मद इमाम	Shri Mohamed Imem	601–603
श्रीमती जयाबेन शाह	Shrimati Jayaben Shah	603
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	**Committee on Private Members' Bills and Resolutions**	**604**
पहला प्रतिवेदन	First Report	604
विधेयक पुरःस्थापित	**Bill Introduced**	**604**
(1) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1967 [श्री नि. चं चटर्जी का]	The Hindu Marriage (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of section 13) by Shri N. C. Chatterjee	604
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 80 तथा 171 का संशोधन) [श्री चपलकान्त भट्टाचार्य]	The Constitution (Amendment) Bill, 1967	604
	(Amendment of articles 80 and 171 by Shri C.K. Bhattacharya	604
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 124 तथा 220 का संशोधन) (श्री चपल.कान्त भट्टाचार्य का]	The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of articles 124 and 220) by Shri C.K. Bhattacharyya	605
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 48 तथा सातवीं अनुसूची का संशोधन) [श्री महन्त दिग्विजय नाथ का]	The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of article 48 and Seventh Schedule) by Mahant Digvijai Nath	605
(5) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 324,326 आदि का संशोधन) [श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य का]	The Indian Penal code (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of sections 324, 326 etc.) by Shri C.K. Bhattacharyya	606
(6) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 343 का संशोधन) [श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य का]	The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of article 343) by Shri C.K. Bhattacharyya	606
(7) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) [श्री यमुना प्रसाद मंडल का]	The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Eighth Schedule) by Shri Yamuna Prasad Mandal.	606–607
(8) कार्मिक संघ मान्यता विधेयक, 1967 [श्री मधु लिमये का]	The Recognition of trade Unions Bill, 1967 by Shri Madhu Manad	607
(9) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 31 का संशोधन) [श्री मधु लिमये का]	The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of article 31) by Shri Madhu Limaye	607

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

विषय	Subject	Pages
(10) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 152 आदि का हटाया जाना) [श्री कंवरलाल गुप्त का]	The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Omission of article 152 etc.) by Shri Kanwar Lal Gupta	608
(11) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 3,4,5 आदि का संशोधन) [श्री कंवरलाल गुप्त का]	The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of sections 3, 4, 5, etc.) by Shri Kanwar Lal Gupta	608
संविधान (संशोधन) विधेयक—अस्वीकृत (अनुच्छेद 15 तथा 16 का संशोधन) (श्री सेझियन का)	**Constitution (Amendment) Bill–negative** (Amendment) of Articles 15 and 16) by Shri Era Sezhiyan	608–610
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	
(12) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 14 तथा 15 का संशोधन) [श्री नाथ पाई का]	The Representation of the people (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of sections 14 and 15) by Shri Nath Pai	610
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 37, 45 आदि का संशोधन) (श्री मधु लिमये का)	**Constitution (Amendment) Bill** (Amendment of Articles 37,45 etc.) by Shri Madhu Limaye	610–616
परिचालित करने का प्रस्ताव	**Motion to circulate**	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	611–612
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	612
श्री स. कुण्डू	Shri S. Kundu	614–615
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	615
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	615
श्री जी. म. कृपालानी	Shri J.B. Kripalani	615–616
प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा टायरों की खरीद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	**Half an hour discussion Re. Purchase of Tyres by the Defence Ministry**	**616–619**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	616–617
श्री म. रू. मसानी	Shri M. R. Masani	617
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	617
श्री ब. रा. भगत	Shri B. R. Bhagat	618–619

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 26 मई, 1967/5 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

Friday, May 26, 1967/Jyaistha 5, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पाकिस्तान द्वारा रोका गया माल का लौटाया जाना

***91 श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह :
श्री रंजीत सिंह :
श्री डी० एन० पटोदिया :
श्री रा० बरुआ० :
श्री सी० सी० देसाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा रोका गया भारतीय माल तथा सम्पत्ति पाकिस्तान द्वारा लौटाये जाने के संबंध में पाकिस्तान के साथ हाल में ही बातचीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है और इस मामले में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार रोके गये भारतीय माल तथा सम्पत्ति को लौटाने के प्रश्न को तय करने के लिये राजी हो जाये परन्तु वहाँ से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है ।

Shri A. B. Vajpayee : What is the total cost of the cargo seized by Pakistan ? May I know whether there is any cargo of Pakistan under our possession ?

Shri Dinesh Singh : The total value of the cargo seized by Pakistan is about 18 crores of rupees while we have released the Pakistani Cargo, which value at about 1½ crores of rupees.

Shri A. B. Vajpayee : Why did we release the cargo of Pakistan unilaterally, when Pakistan was not prepared to release our cargo ?

Shri Dinesh Singh : We deemed it fit to return Pakistan's cargo. There may be differences on this point. We believed that as a result of Tashkent Agreement Pakistan will behave properly. We are very sorry that Pakistan is not going in accordance with the spirit of Tashkent Agreement. We still hope that Pakistan will release our Cargo.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि हमने अमरीका या रूस के दबाव के कारण पाकिस्तान का माल वापिस किया था ? यदि हाँ, तो क्या वे देश पाकिस्तान को भी भारतीय माल लौटाने के लिये बाध्य कर सकते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : किसी भी विदेशी सरकार ने ऐसा करने के लिये हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला था । हाँ, कुछ मित्र देशों ने इस सम्बन्ध में सलाह अवश्य दी थी। इसी प्रकार से वे पाकिस्तान को भी हमारा माल लौटाने के लिये सलाह दे सकते हैं ।

श्री रा० बरुआ : क्या ऐसे माल को छुड़वाने के लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिये हमने क्या कार्यवाही की है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं इस समय यह बताने में असमर्थ हूँ कि इस बारे में क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था है । यह नाजुक विषय है । हमने इस मामले की गहराई जानने की आवश्वयकता न समझी कि क्या संघर्ष ने कानून रूप से युद्ध का रूप धारण कर लिया था या नहीं । हमने यह आशा की थी कि पाकिस्तान का रुख बदलेगा और वह हमारा माल वापिस कर देगा ।

Shri K. N. Tiwari : May I know the names of countries who have advised us in this matter; whether they have advised Pakistan too for releasing Indian Cargo; whether Pakistan Government have acted upon that advice; if not, why ?

Shri Dinesh Singh : I do not think it proper at this stage to name the countries because they are still trying towards this end. We have been informed that those countries have tendered their advice to Pakistan also. It is difficult for me to state the reason why Pakistan Govt. have not accepted their advice. Moreover if any body wants to know the names of the countries, I can tell him outside the House.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या नाम जानने का हमें हक नहीं है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मंत्री महोदय एक गलत प्रथा डाल रहे हैं। वह सभा में नामों की घोषणा कर सकते हैं या कह सकते हैं कि ऐसी घोषणा लोकहित के विरुद्ध होगी ?

श्री तिन्नेटि विश्वनाथम : हमें भी उन देशों के नाम जानने का हक है जो हमारे मित्र हैं और उनसे मित्रता कब हुई है । क्या यह मित्रता पाकिस्तान के आक्रमण के समय भी थी ।

अध्यक्ष महोदय : वस्तुत: मंत्री महोदय का कहने का मतलब यही है कि ऐसे देशों के नाम बताना लोकहित में नहीं है । परन्तु मेरे विचार से मंत्री महोदय को यह भी नहीं कहना चाहिये था कि सभा से बाहर उन देशों के नाम बताये जा सकते हैं ।

श्री दिनेश सिंह : मैंने जो कुछ कहा है, वह अव्यावहारिक नहीं है। कुछ प्रश्नों के उत्तर अध्यक्ष महोदय को भेज दिये जाते हैं और यदि वह उचित समझते हैं तो उस उत्तर को सम्बन्धित सदस्य तक पहुँचा देते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस समय सम्बन्धित देशों के नाम बताने से कोई लाभ न होगा चूँकि मामले पर बातचीत अभी जारी है। मेरा यह निवेदन था कि नाम बताने के लिये आप मुझ पर जोर न दें।

Shri Prakash Vir Shastri : In pursuance of Tashkent Agreement India have released the Pakistan's cargo, while Pakistan has not done so. It means Pakistan is not honouring the Agreement. In view of it do the Govt. intend to extend all the same facilities to Pakistan in Indian territorial waters as were available to Pakistan before Indo-Pak conflict ?

Shri Dinesh Singh : I do agree with the hon. Member that Pakistan should have released our cargo. It is difficult to say as to the policy to be adopted in the future in connection with the cargo.

श्री क० कु० नायर : ऐसी स्थिति में जबकि पाकिस्तान ताशकन्द समझौते का उल्लंघन कर रहा है, हम कब तक एकपक्षीय रूप से उसका पालन करते रहेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : ताशकन्द में समझौता नहीं किया गया गया था बल्कि एक घोषणा की गई थी जिसका उद्देश्य यह था कि जहाँ तक संभव हो दोनों देशों के सम्बन्धों को सामान्य बनाया जाये। हम सद्भाव का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान वैसा नहीं कर रहा है। यही कठिनाई की बात है।

Shri Prem Chand Verma : May I know whether the Indian dealers, whose goods had been impounded by Pakistan, have been given licences in lieu thereof; if so the number of licences ?

Shri Dihesh Singh : Licences are being issued and will be issued to them.

श्री हेम बरुआ : ताशकन्द घोषणा के अनुसार भारत-पाकिस्तान के बीच सभी मामलों को बातचीत के माध्यम से तय किया जाये। क्या पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये माल को छोड़े जाने का मामला एक ऐसा ही मामला नहीं है जिसे भारत-पाक अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाकर उसमें तय करना चाहिये।

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय मंत्री से इस बात पर सहमत हूँ कि इस मामले पर पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाये। मार्च 1966 में हमने पाकिस्तान के सामने यह सुझाव रखा था कि माल के लौटाये जाने के बारे में बातचीत की जायें। हम ताशकन्द घोषणा के अनुसरण में निरन्तर यह प्रयास कर रहे हैं कि दोनों देशों के सम्बन्ध सुधर जायें, परन्तु पाकिस्तान की ओर ऐसा नहीं किया जा रहा है।

Shri S. M. Joshi : You rightly said that the time is being wasted. If you give us protection, time will be saved. I would like to know whether any action has been taken in accordance with the international law to get our cargo released.

Shri Dinesh Singh : If he wants some specific information he may put a separate question for it.

अध्यक्ष महोदय : जब भी सदस्य लिखकर कुछ जानकारी माँगते हैं तो वह उन्हें दे दी जाती है । मंत्री महोदय को भी स्पष्ट रूप से कह देना चाहिये कि यदि माननीय सदस्य लिखकर भेजेंगे तो उन्हें अपेक्षित जानकारी दे दी जायेगी । अगला प्रश्न ।

श्री तिन्नेटि विश्वनाथम : यदि इस प्रश्न को बीच में ही छोड़ दिया गया, तो पाकिस्तान की दुराग्रहता ओर भी बढ़ जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी कोई चिन्ता नहीं है, क्योंकि इससे निपटने के लिये अन्य बहुत से तरीके हैं ।

प्रश्न संख्या 92 के सम्बन्ध में

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मुझे प्रस्तुत प्रश्न से सम्बन्धित वक्तव्य के बारे में यह निवेदन करना है कि जिस समय हम नोटिस आफिस में जाते हैं तो ऐसे वक्तव्यों की प्रतियाँ समाप्त हो जाती हैं और हमें नहीं मिलती । इसलिये वक्तव्य को प्राप्त करने और उसके पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है । ऐसे वक्तव्यों की प्रतियों की संख्या बढ़ाई जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रतियों की संख्या बढ़ा दी जायेगी ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मेरे पास भी वक्तव्य की प्रति नहीं है इसलिये मैं प्रश्न पूछने में असमर्थ हूँ ।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को वक्तव्य पढ़ना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

सीमेंट का मूल्य

*92 **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**
श्री रामपुरे :
श्री सूपकर :
श्री चिन्तामणिपाणिग्रही :
श्री एन० के० संघी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री राम किशन गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमेंट उत्पादकों से देश में सीमेंट ा मूल्य बढ़ाये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इस माँग पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सीमेंट नियतन तथा समन्वयकारी संगठन ने सीमेंट उत्पादकों को मिलने वाले अवधारण मूल्य में एक रूपता लाने के बारे में उद्योग के प्रस्ताव पर सरकार की स्वीकृति शीघ्र मिलने का

अनुरोध किया उद्योग का विचार अवधारण मूल्यों में धीरे-धीरे एकरूपता लाने का है जिसके अन्तर्गत सभी उपलब्ध धनराशि का प्रयोग कर निम्न श्रेणी के उत्पादकों के अवधारण मूल्य को बढ़ाकर 96 रुपये प्रति मी० टन करना चाहता है। इस प्रयोजन के लिए सीमेंट के बिक्री मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा इस उद्योग ने उन उत्पादकों को, जो तेल का प्रयोग करते हैं, सस्ते ईन्धन जैसे कोयला इत्यादि का प्रयोग करने के लिये कहा है जिससे तेल पर खर्च होने वाले धन का अवधारण मूल्य में एकरूपता लाने के लिए प्रयोग किया जा सके। अवधारण मूल्य में एकरूपता लाने हेतु ऐसे उत्पादकों ने जो तत्काल तेल को छोड़कर कोयले का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उन्होंने स्वयं ही तेल के प्रयोग पर होने वाले अतिरिक्त खर्चे को 1-4-67 से न लेने की स्वेच्छा प्रकट की है।

दूर स्थित कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये लदान भाड़े में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए निर्यात व्यापार में होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए सीमेंट के बिक्री मूल्य में 2·60 रुपये प्रति मी० टन की वृद्धि के लिए भी सरकार की स्वीकृति माँगी है। उद्योग ने खुदरा वितरण में होने वाले अधिक खर्च तथा स्टाकिस्टों के लाभ को बढ़ाने के लिए सीमेंट के फुटकर बिक्री मूल्य में भी 4 रुपये प्रति मी० टन वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।

ये सब प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

उद्योग के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया है कि कंट्रोल हटा देने के बाद से उत्पादन मूल्य में काफी वृद्धि हो गई है और उद्योग इस समय इस बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहा है कि अवधारण मूल्य में कितनी वृद्धि करना आवश्यक होगा और उनका विचार जुलाई, 1967 में एक ज्ञापन प्रस्तुत करने का है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : आवश्यक वस्तुओं के भावों को कम रखने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उद्योगपतियों की माँग को मानने से इन्कार करेगी और सीमेंट के मूल्य नहीं बढ़ायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : यह सारा मामला विचाराधीन है। जहाँ तक फुटकर मूल्यों का 4 रु० प्रति टन बढ़ाने से सम्बन्ध है, यह सुझाव उत्पादकों ने दिया है। मैंने कह दिया है कि यदि कोई लाभ फुटकर बेचने वालों को पहुँचता है तो वह उत्पादक ही कर सकते हैं न कि भोक्ताओं के लिए दाम बढ़ाने के लिए।

श्री सूपकार : गत वर्ष इस नियन्त्रण को हटा लिया गया था तो सीमेंट उत्पादकों को काफी रियायतें दी थीं और आशा यह थी कि मूल्य नहीं बढ़ने पायेंगे परन्तु शीघ्र ही उन्होंने मूल्य बढ़ाने का सुझाव दिया कि उत्पादन का खर्च बढ़ गया है तथा उन्हें इसके निर्यात पर घाटा उठाना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि सरकार इन बेहुदा सुझाव को कैसे मानेगी।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : सीमेंट से नियन्त्रण 1 जनवरी 1966 को हटा लिया गया। उसके पश्चात यह संस्था स्थापित हुई और उन्होंने यह जिम्मेदारी ली कि मूल्य भी

नहीं बढ़ने दिये जायेंगे और सप्लाई भी नहीं रुकेगी। उसके पश्चात से मूल्य नहीं बढ़े हैं। वे सरकार के पास आये कि इसके ले जाने के किराये बढ़ाये जायें। यह किराया ही बढ़ा है और सरकार ने इसकी अनुमति दी है। वे स्वयं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

श्री कन्डप्पन : क्या विशेष कारण थे कि उत्पादकों ने सरकार से इतनी तीव्रता से कहा कि मूल्य बढ़ाये जायें ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस समय तीन गुट हैं। एक तो कम मूल्य पर उत्पादन करने वाला गुट, दूसरा मध्यम मूल्य पर उत्पादन करने वाला गुट और तीसरा ऊँचे दामों पर उत्पादन करने वाला। इनके अलग-अलग मूल्य हैं। अब उत्पादकों ने सरकार से कहा है कि वे एक जैसे मूल्य हों। वह हमारे विचाराधीन है परन्तु उपभोक्ताओं के लिये मूल्य नहीं बढ़ने दिये जायेंगे। वे 4 रु० प्रति टन लाभ अथवा कमीशन के तौर पर मूल्य बढ़ाने के इच्छुक थे। मैंने कहा है कि यदि वे फुटकरों को देना चाहें तो दे सकते हैं परन्तु उपभोक्ताओं को हानि पहुँचा कर नहीं।

श्री शशिरंजन : इस मूल्य के रखने से किन कम्पनियों को लाभ होगा तथा किन को हानि।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कम मूल्य की श्रेणी में 90·50 रु०, मध्यम दर्जे के मूल्य 93·50 रु० तथा ऊँचे दर्जे के मूल्य 96 रु० हैं तथा वह 96 रु० लाना चाहते हैं। इस लिए छोटी श्रेणी तथा मध्यम श्रेणी के उत्पादकों को लाभ होगा। हमने यह सुझाव दिया है कि इस प्रकार जो लाभ होगा वह हिस्सेदारों को देने की बजाय विकास के लिए उपयोग किया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : जब पीछे सीमेंट का मूल्य बढ़ाया गया तो यह कहा गया था कि यह अधिक मूल्य नये कारखाने स्थापित करने तथा नवीनकरण करने और उत्पादन में सुधार करने में उपयोग किया जायेगा। क्या निजी क्षेत्र ने इस कार्य पर यह व्यय किया है और यदि नहीं तो सरकार इस कार्य के लिये क्या पग उठा रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम इस बात की जाँच करेंगे कि वह बढ़े मूल्य विकास के लिये उपयोग किये गये या नहीं। यदि नहीं तो हम इसे कार्यान्वित कराने पर विचार करेंगे।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या यह सच है कि गत दस वर्षों में सीमेंट उद्योग ने इस कारण प्रगति नहीं की क्योंकि जो धन लगाया था उस पर ठीक लाभ नहीं हुआ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमारा विचार यह है कि वर्तमान मूल्यों में भी काफी लाभ हो सकता है।

Shri Prakash Vir Shastri : After decontrol of cement the prices of cement have not come down. The ex-Industries Minister Shri Sanjivayya had given reason for it that it was due to non-availability of railway wagons to carry cement. What is the position in that regard ? Is the stock of cement still in heavy quantity ?

Shri F. A. Ahmed : We have enough cement. I have not received any complaint that cement is not available in their area.

Shri A. B. Vajpayee : Cement is still not sent to the villages.

विदेशी सहयोग नियम

*93 **डा० रानेन सेन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री धीरेश्वर कालिता : **श्री के० अनिरुद्धन :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री उमानाथ :**
श्री पी० पी० एसथोसे : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग नियमों को उदार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे बहुत से उद्योगों में विदेशियों को आधे से अधिक भागीदारी तथा प्रबन्ध में उनके नियंत्रण की अनुमति दी जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच नहीं है कि कुछ विदेशी कम्पनियों ने विशेषकर जिनका सम्बन्ध पश्चिमी जर्मनी तथा अमरीका से है, ने भारत सरकार से अभ्यावेदन किया कि उन्हें नये उद्योगों में आधे से अधिक भागीदारी तथा प्रबन्ध में उन्हें नियन्त्रण दिया जाये और यदि हाँ तो भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुझे पता नहीं है। यदि सदस्य महोदय मुझे ब्योरा दें तो मैं इस मामले का पता लगाऊँगा।

डा० रानेन सेन : महोदय उन्हें "हाँ" या "नहीं" में उत्तर देना चाहिये।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह जो सुझाव प्राप्त होते हैं उन्हें उनके गुण दोषों के आधार पर जाँचा जाता है। उनके विचार करने पर कोई पाबन्दी नहीं है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि मंत्रीमंडल के कुछ सदस्यों का विचार है कि सरकार जो भी आर्थिक स्वतन्त्रता थी उसका जो विदेशी पूँजीपति यहाँ हैं उनके हित में सौदा कर रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सच नहीं है।

श्री श्रीचन्द गोयल : कल वित्त मंत्री ने अपने बजट के भाषण में कहा कि सरकार देश में विदेशी पूंजी को आकर्षित करना चाहती है। क्या उन उद्योगों के बारे में जिनका हम स्वयं विकास नहीं कर सकते उनके बारे में नियमों में ढील करके विदेशी पूंजी को आकर्षित नहीं कर सकते ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमारी नीति यह है कि उन उद्योगों के बारे में आई प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हैं जिनके बारे में मशीन आदि तथा जानकारी पहले से देश में

मौजूद न हो। बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य, व्यापारिक कार्य तथा बागानों में विदेशी पूंजी को अनुमति नहीं है। विदेशी पूंजी का प्रोत्साहन उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में भी नहीं किया जाता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सारे आवेदन पत्रों पर विचार करते हैं।

श्री धीरेश्वर कालिता : क्या यह सच है कि श्री वूडस जोकि विश्व बैंक के प्रधान हैं ने अपनी हाल की भारत यात्रा में विदेशी सहयोग के नियमों में ढील देने के लिए सुझाव दिया और भारत सरकार उसके लिए तैयार हो गई ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुझे ऐसी चर्चा का पता नहीं और जहाँ तक मुझे पता है नियमों में कोई ढील नहीं हुई है।

विवियन बोस आयोग

*** 94. श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री बी० के० मोदक :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवियन बोस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सर्व श्री एस० पी० जैन, जे० डालमिया, बी० एच० डालमिया तथा अन्य लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) उपर्युक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कुल कितनी रकम के गबन का आरोप लगाया गया है; और

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान्। विशेष पुलिस सिब्बंदी ने डालमियां जैन एअरवेज केस में 15-6-1963 को पुनः जाचें प्रारम्भ की, तथा उन जांचों के पूर्ण होने पर, सर्वश्री एस० पी० जैन, जे० डालमियां, बी० एच० डालमियां तथा अन्य लोगों के विरुद्ध, भारतीय दंड-संहिता की धारा, 120 ई०/409, 465, 467, 477 के अन्तर्गत अपराधों के लिये, जिला मैजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप-पत्रिका प्रस्तुत कर दी।

(ख) 3,28,30,218 रुपये, उन 29 लाख रुपयों को शामिल कर जो, चैकों के माध्यम से दो बैंकों में, श्री एस० पी० जैन के बेज़मानती खाते में बदल दिये गये थे।

(ग) लोक-अभियोजक द्वारा अतिरिक्त जिला-मजिस्ट्रेट, दिल्ली के समक्ष, अपराधों को मूर्तरूप देने तथा मामले को सैशन अदालत के सुपुर्द करने के लिये, तर्क प्रस्तुत किये गये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 31-10-1962 के बाद जब कि विवियन बोस आयोग प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर हुए कितने नये लाईसेंस, प्रमिट तथा बढ़ाने की योजनाओं की स्वीकृति दी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यदि सदस्य महोदय एक और प्रश्न का नोटिस दें तो मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों में निर्णय होना बाकी है और कब से वह पड़े हैं और सरकार कब तक उन्हें पूरा करेगी ? क्या किसी अपराधी को दंड भी दिया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : विवियन बोस आयोग ने 41 मामलों का उल्लेख किया है। इन सब मामलों को देखा है तथा जाँच हो रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय पांच वर्ष बीत गये और यह भी पता नहीं कि क्या हुआ। इस समय क्या स्थिति है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : दुर्भाग्य से यह मामला हमारे काबू से बाहर है। जैसा कि सदस्य महोदय को पता है मजिस्ट्रेट के प्रत्येक आदेश को उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय चुनौती दी गई और इस प्रकार कई वर्ष लग गये। 1964 में मजिस्ट्रेट को इस मामले में आगे बढ़ने की अनुमति दी गई और अब शीघ्र यह पूरा हो जायेगा।

श्री मुहम्मद इस्माइल : मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बैंकों के व्यवस्थापकों से एस० पी० जैन तथा डालमियां का सम्बन्ध है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुझे इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या यह फर्म तथा इन व्यक्तियों का नाम काली सूची में रख दिया है तथा प्रत्येक विभाग से कह दिया है कि इनसे व्यापार न करें ? क्या मंत्री महोदय को पता है कि यह व्यक्ति प्रसन्नता से सब स्थानों पर घूमता है तथा बेनामी ठेके लेता है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : उसके घूमने का तो मुझे पता नहीं परन्तु जहाँ तक मुझे पता है प्रत्येक मन्त्रालय को इसकी सूचना दे दी है और वह उस पर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री कृष्ण मूर्ति : यदि कोई साधारण व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है परन्तु इन लोगों ने 3 करोड़ से अधिक रु० को हड़प कर लिया और कई वर्ष से उनके मुकदमों पर निर्णय नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने उन्हें जेल भेजने के लिए क्या कार्यवाही की और इन्हें जल्दी से निबटाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन भी करना पड़े तो वह भी किया जाये ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : उन्हें जेल भेजने का अधिकार तो न्यायालयों को है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या इन काली सूची पर लिखी कम्पनियों को और लाईसेंस भी दिये गये हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहाँ तक मुझे पता है कोई लाईसेंस नहीं दिया गया।

Shri Hardayal Devgun : Is it a fact that these companies gave Rs. 50 Lakh for Congress election fund ?

Shri F. A. Ahmed : They gave less than what they gave to you.

लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति पर डा० हजारी का प्रतिवेदन

95. श्री डी० एन० पटोदिया :
श्री ओंकार सिंह :
श्री रामपुरे :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री सूपकर :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री उमानाथ :
श्री बी० के० मोदक :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री एन० के० संघी :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री काशीनाथ पांडे :
श्री रा० बरुआ :
श्री सरजू पांडेय :
श्री जी० एस० मिश्र :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये उद्योग स्थापित करने के बारे में लाइसेंस देने सम्बन्धी निति **के सम्बन्ध** में डा० हजारी के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस समिति की किन-किन सिफारिशों को कार्यान्वित के लिये स्वीकार कर लिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और **(ख)** : डा० आर० के० हजारी द्वारा लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति पर प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदन **सरकार** के विचाराधीन है। इस सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय किए जाने की आशा है।

उद्योगों को लाइसेन्सों का दिया जाना

118. श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री मोहसिन :
श्री काशीनाथ पाण्डे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री याज्ञिक :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों को लाइसेंस देने की नीति समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह निर्णय उद्योगों तथा उद्यमियों की इच्छा के अनुसार किया गया है अथवा किसी जांच के आधार पर किया गया है; और

(ग) नीति में परिवर्तन से सरकार को क्या लाभ होने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ऐसा कोई भी निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

अनिवार्य निर्यात

96. श्री. नि० रं० लास्कर
श्री लीलाधर कटकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये औद्योगिक कारखानों के उत्पादन का कुछ प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या निर्यात को अनिवार्य बनाने के परिणामों का अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकलेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं । तथापि, वाणिज्य मंत्री ने यह बताया है कि उद्योगों को समूचे रूप से अधिक निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अपने कर्त्तव्य को समझना चाहिये ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या सरकार ने इसको अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रश्न की जांच की है ?

श्री दिनेश सिंह : अनिवार्यता के बारे में मैंने नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि उद्योग को समूचे तौर पर, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अपने कर्त्तव्य को महसूस करना चाहिये । यदि वे वस्तुएं आयात करना चाहते हैं, तो उसके लिये उन्हें विदेशी मुद्रा कमानी चाहिये । प्रत्येक उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करना शायद संभव न हो । हो सकता है कुछ उद्योगों के लिये अपने उत्पादों को निर्यात करना कठिन हो । परन्तु उद्योग को समूचे तौर पर अपने आयात के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा को कमाने के योग्य होना चाहिये ।

श्री नि० रं० लास्कर : अपने निर्यात व्यापार में नई जान डालने के लिये क्या निर्यात होने वाली वस्तुओं की किस्म में सुधार करने और संसार के विभिन्न भागों तक अपने व्यापार को फैलाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : जी, हां।

श्री लीलाधर कटकी : माननीय मंत्री ने उद्योगों के कर्त्तव्य की बात कही कि उनको अपने उत्पादन का एक निश्चित भाग निर्यात करना चाहिये। उद्योग अपने कर्त्तव्य का पालन करे, क्या इस बारे में सरकार का कोई नियंत्रण है ?

श्री दिनेशसिंह : जैसा कि मैंने बताया हमने कोई कठोर नियम नहीं रखे हैं। मैंने केवल यही कहा है कि उद्योगों को विदेशों में अपनी मण्डियां बनानी चाहिये। देश में खपत बहुत अधिक है और वे जो भी पैदा करते हैं उसे सरलता से देश में बेचा जा सकता है। परन्तु इससे विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं होती जिसकी उन्हें फालतू पुर्जे और कच्चा माल आयात करने के लिये आवश्यकता पड़ती है। अतः उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में माल निर्यात करना चाहिये।

Shri Yashpal Singh : Unless strict rules are imposed and it is made compulsory, they will be reluctant to export their manufacture since the capitalists in India get money for blackmarketing. Do Govt. propose to lay down such a policy ?

Shri Dinesh Singh : If our industries do not take a step in this direction, we will consider this matter.

श्री स० चं० सामन्त : जब कि सरकार यह चाहती है कि उद्योग अधिक मात्रा में माल निर्यात करें, क्या यह सच नहीं है कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने जो आश्वासन दिये थे वे पूरे नहीं किये गये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हमने यह महसूस किया है कि उनको जो प्रोत्साहन दिये हुए हैं वे पर्याप्त हैं। प्रश्न केवल प्रोत्साहन देने का ही नहीं है। सामूहिक पूल से भी प्रोत्साहन दिया जाता है। स्वयं उद्योगों में भी किसी न किसी प्रकार का प्रोत्साहन होना चाहिये बजाय इसके कि सरकार लोक निधियों में से अधिकाधिक प्रोत्साहन देती रहे।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने निर्यात के बारे में अनिवार्यता लागू की है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं बिना जानकारी के नहीं बता सकता परन्तु बहुत से देशों में अर्थ व्यवस्था राज नियंत्रित है और वे निर्यात द्वारा व्यापार संतुलन स्थापित करने की स्थिति में है।

Shri George Fernandes : I can quite understand Government's framing rules to regulate its imports. But no country invests its minister with the power to regulate the imports of other countries which in other words are exports as regards the former country. In view of our Commerce Minister's crying from a platform in Delhi that he is going to give a sever deal to the traders and industrialists here with a view to boosting the exports, may I know whether he has concluded an agreement with some foreign country

as to the commodities that they would buy from India? This information should emanate from the hon. Minister rather than any other person.

Shri Dinesh Singh: I want to assure the hon. Member that we are not habituated to crying. He should not think others like him.

Shri Madhu Limaye: You need not cry, because you baton-charge.

Shri Dinesh Singh: As regards the question of imports and exports, it is evident that you have not said any new thing by saying that one country's imports are other country's exports. We cannot force them to export. I had simply reminded them that if they wish to import certain items then they should earn the foreign exchange through exports for that purpose.

श्री शारदा मुकर्जी : माननीय मंत्री के उत्तर से यह पता नहीं लगता कि क्या सरकार के पास निर्यात संवर्धन के सम्बंध में कोई नीति है। हमारा निर्यात व्यापार बहुत तेजी से गिर रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र को मंत्री द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिये मनाने या बाध्य करने का कोई लाभ नहीं है। हमारे निर्यात में सुधार करने के लिये सरकार की क्या विशिष्ट नीति है ?

श्री दिनेश सिंह : हाल ही में निर्यात परिषद् की एक बैठक यहां पर हुई थी और मुझे, माननीय सदस्य को पारित किये गये संकल्पों की एक प्रति भेजने में खुशी होगी। इस समय हम निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु पर उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : हमारे देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की भरमार होने से प्रत्येक वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण निर्यात के प्रयत्न विफल हो जाते हैं; तो क्या सरकार करों को घटाने के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है हमारे अधिकांश करों का निर्यात से सम्बंध नहीं है। जैसा कि कल वित्त मंत्री ने बजट पेश करते समय बताया कि उत्पादन शुल्कों के मामले में भी निर्यात के लिये रियायत दी गई है और अन्य प्रोत्साहन और सुविधाएं भी दी गई हैं। हम जानते हैं कि इस देश में निर्मित कुछ वस्तुएं अधिक महंगी हैं और एक विशिष्ट वस्तु के उद्योग के साथ हम इस विषय पर चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम किस तरीके से निर्यात को प्रोत्साहन दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 105 को भी इसके साथ लिया जा सकता है।

आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आ सकने वाली देशी वस्तुओं का प्रयोग

97. श्री दामानी : **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** :
श्री हेम बरुआ : **श्री श्रीधरन** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि आयात नियंत्रण के मामले में उदारता बरती जाने के परिणाम स्वरूप आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आ सकने वाली वस्तुओं के प्रयोग में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) सामान्य रूप से कच्चे माल, फालतू पुर्जों तथा हिस्सों आदि का उदारतापूर्वक आयात करने से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आ सकने वाली वस्तुओं की प्रगति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । कुछ मामलों में जिनमें आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आ सकने वाली वस्तुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना की शिकायतें मिली थीं उनमें यथावश्यक सुधार करने के लिये कार्यवाही कर दी गई है ।

आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आ सकने वाली स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग

105. श्री एस० एस० कोठारी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान, कच्चा माल, पूंजीगत उपकरण और तकनीकी ज्ञान तैयार करने तथा उनका प्रयोग करने के बारे में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आ सकने वाली वस्तुओं के प्रयोग की भावना हाल के कुछ महीनों में कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस भावना को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दामाणी : क्या मांग में कमी आ जाने के बारे में सरकार को स्वदेशी निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो किन उद्योगों से और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(श्री फखरुद्दीन अली अहमद): जब भी हमें कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, हमने उन पर उपचारीय उपाय किये हैं । यदि माननीय सदस्य ऐसे उद्योगों के नाम जानना चाहते हैं तो मुझे शंका है कि यह सूची बहुत लम्बी है और मैं इसको सभा पटल पर रख सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा पटल पर रखा जा सकता है ।

श्री दामानी : क्या बाल बीयरिंग उद्योग अब भी ढलाई उद्योग है और उस पर आयात का बुरा प्रभाव पड़ा है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक बॉल बीयरिंग उद्योग का सम्बंध है, जानकारी यह है कि आयात व्यापार को 4 करोड़ रु० से घटा कर $1\frac{1}{2}$ करोड़ रु० का कर दिया गया है । इस प्रकार हमको लाभ पहुंचा है ।

एक माननीय सदस्य : इस्पात के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसका मुझे पता नहीं है।

श्री हेम बरुआ : अवमूल्यन के बावजूद भी हमारे निर्यात में काफी गिरावट है। अवमूल्यन करने का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना था ताकि निर्यात का नवीकरण हो जाये। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि निर्यात के नवीन करण के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : निर्यात बढ़े हुए उत्पादन और लागत व्यय के घटाने पर निर्भर करता है ताकि यह बाहर की मंण्डियों से प्रतिस्पर्धा र सके। अवमूल्यन के साथ-साथ आयात को उदार बनाने के लिये अन्य कदम उठाये गये हैं ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके और वह उत्पादन बाहर की मण्डियों से प्रति स्पर्धा कर सके।

श्री श्रीधरन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रबड़ और खोपरे के आयात का इस देश में उत्पादित रबड़ और नारियल के मूल्यों पर बुरा असर पड़ा है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों में और विशेष रूप से केरल में कृषकों के पास बड़ी मात्रा में रबड़ मौजूद है, क्या सरकार रबड़ और खोपरे के आयात को परिसीमित करेगी और क्या सरकार आयातित रबड़ के स्टाक को तब तक निकालने की अनुमति नहीं देगी जब तक कि कृषकों के पास जमा स्टॉक की पर्याप्त मात्रा बिक न जाये ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहाँ तक मुझे पता है हमारे देश में रबड़ की कमी है और इस प्रश्न की जांच करनी पड़ेगी कि क्या रबड़ का आयात करना अथवा इसके आयात को बन्द करना देश के हित में और उत्पादन के हित में है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : वित्त मन्त्री भी यहाँ पर हैं और मैं उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। क्या सरकार उन लोगों को कुछ प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है जो नये उत्पादनों का विकास करते हैं और आयात को घटाने का प्रयत्न करते हैं ? यदि सरकार उनको कुछ रियायतें देगी तो इससे उनको आयात में कमी करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह तो हमारी नीति में, जो हमने पारित की है, निहित हैं। आयात के परिसीजन के कारण एक बड़ी संख्या में स्वदेशी तकनीशनों और देश में हो रहे उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। जहां पर उत्पादन लागत आयातित सामग्री की लागत से कम है, वहाँ पर देश को वास्तव में लाभ पहुंचा है।

श्री दी० ना० मुकर्जी : भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय इस बात का बड़ा प्रचार किया गया था कि एक आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था के लिये सरकार की एक विशिष्ट योजना है जिसका अर्थ यह हुआ कि आयातित वस्तुओं के स्थान पर देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग बढ़ेगा। क्या उस योजना को बन्द करके रख दिया गया है या इस सम्बन्ध में निरंतर प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि किसी निश्चित समय पर हमें यह पता लग सके कि आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में हमें आयात विकल्प से कब पर्याप्त सहायता पहुंच सकती है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : वित्त मन्त्री के भाषण में कल पहले ही संकेत दिया गया था और हम देखेंगे कि नीति को किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : निर्यात के लिये एक प्रोत्साहन इस देश में उपलब्ध आयात विकल्प वस्तुओं के सम्बन्ध में था, कुछ उद्योगपतियों को औद्योगिक लाइसेंस भी दिये गये थे ताकि वे निर्यात का स्तर ऊंचा करने के लिये आयातित सामग्री प्राप्त कर सकें । इसको ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहती हूँ कि निर्यात के सम्बन्ध में उन उद्योगपतियों ने क्या वायदे किये थे और क्या आयात लाइसेंस प्राप्त करने के बाद क्या उन वायदों को पूरा किया गया था और यदि नहीं तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : उन्हों को इतना थोड़ा समय दिया गया था कि कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि क्या उन्होंने वास्तव में उन वायदों को पूरा किया है । हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि जिस प्रयोजन के लिये आयात की अनुमति दी गई है वह पूरा हो गया है या नहीं ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मेरे माननीय मित्र श्री श्रीधरन ने खोपरा और रबड़ के आयात को प्रतिबन्धित करने के बारे में एक प्रश्न पूछा था । जबकि माननीय मंत्री ने रबड़ के बारे में तो प्रश्न का उत्तर दे दिया है, परन्तु उन्होंने खोपरा के बारे में उत्तर नहीं दिया है । क्या सरकार केरल के निर्धन खोपरा उत्पादकों की सहायता के लिये खोपरा के आयात को प्रतिबन्धित करना चाहती है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं इस प्रश्न की जांच करूंगा और यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं बाद में उनको जानकारी दे दूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लेखों के बारे में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

***98 : श्री प्र० कु० घोष :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा विभाग ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के मार्च, 1966 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के कार्य की जांच की थी और उसने एक रिपोर्ट भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम द्वारा भेजे गये उत्तर सहित इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) क्या विभिन्न भूल-चूक, अनियमितताओं आदि के बारे में निगम के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (~~डा० चन्ना रेड्डी~~) : (क) भारत के नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक के वाणिज्य लेखा परीक्षक विभाग ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यों का 31-3-1966 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये पुनरीक्षण किया। पता चला है कि इस पुनरीक्षण को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और इसे भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की केन्द्रीय सरकार की लेखा परीक्षक रिपोर्ट (वाणिज्य) 1967 में शामिल किया जा रहा है। भारत के संविधान की धारा 151 (1) के अनुसार यह रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने रखी जायेगी और राष्ट्रपति इसे दोनों सदनों के समक्ष रखने का आदेश देंगे। निसंदेह सरकार कमियों तथा भूल चूकों की पड़ताल करेंगे और जहां आवश्यक होगा उनको ध्यान में रखकर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(ग) इस समय प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रूई का आयात

99. **श्री रामपुरे :**
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री एन० के० संघी :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री राम किशन गुप्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी के कारण इस संकट-ग्रस्त सूती मिलों को सप्लाई करने के लिये और अधिक रूई आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) चालू वर्ष में कितनी रूई मंगाई जाने की सम्भावना है और किस मूल्य पर तथा इसका आयात किन-किन देशों से किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) अतिरिक्त मात्रा में रूई आयात करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। संयुक्त अरब गणराज्य के साथ एक समझौता किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ लगभग 200,000 गांठ रूई के आयात का भी उपबन्ध किया गया है। अन्य बातचीत जारी है।

लगभग 800,000 गांठें अमरीका, संयुक्त अरब गणराज्य, सूडान, उगांडा आदि जैसे देशों से आयात किये जाने की सम्भावना है। विभिन्न देशों से आयात की गई रूई का लागत भाड़ा-बीमा सहित मूल्य लगभग इस प्रकार है:—

संयुक्त अरब गणराज्य	:	1,666 रु० प्रति गांठ
सूडान	:	1,364 रु० प्रति गांठ
अमरीका	:	961 रु० प्रति गांठ
पूर्व अफ्रीका	:	981 रु० प्रति गांठ

रूरकेला की धमन-भट्टी संख्या 4 की स्थापना

*100. **श्री रा० बरुआ :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने की धमन-भट्टी संख्या 4 की स्थापना पूर्व निर्धारित समय के अन्दर पूरी हो गई है;

(ख) क्या स्थापना कार्य किसी भारतीय फर्म से सहायता करने के लिये कहा गया था और क्या वह सहायता उपलब्ध हो गई थी; और

(ग) इस नई वृद्धि से इस्पात पिण्डों के उत्पादन की मांग कितनी बढ़ जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) : एक भारतीय ठेकेदार की विफलता के कारण जिसे कुछ काम सौंपा गया था, राउरकेला में चौथी धमन भट्टी के निर्माण में कुछ देरी हुई है।

(ग) इस नई वृद्धि से अन्ततः इस्पात पिण्डों के उत्पादन में 0·8 मिलियन टन प्रति वर्ष की वृद्धि होगी।

Difference in Rates of Railway Fare

*101. **Shri Ram Sewak Yadav :** **Shri Madhu Limaye :**
Shri Molahu Prasad : **Shri George Fernandes :**
Shri Rabi Ray : **Shri Maharaj Singh Bharti :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at places where narrow gauge and broad gauge lines run parallel, there is a difference in the rates of fare;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that ticket arrangements for travel on both the lines are co-ordinated with restriction to travel on any one of the lines only; and

(d) if so, whether the question of removing this anomaly is being examined ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) There are no instances of narrow gauge and broad gauge lines running parallel and different fares being charged. However, a narrow gauge line and a metre gauge line run alongside of each other between New Jalpaiguri and Silignri Town/Silignri Jn. on the N. F. Railway, and there is a difference in fares between the two.

(b) The bases of charge over Darjeeling-Himalayan Section are higher than on the broad gauge and metre gauge sections of the N. F. Railway. With the extension of the narrow section from Siliguri Jn. to New Jalpaiguri, the higher bases of charge over Darjeeling-Himalayan Section were made applicable over the extended narrow gauge section also.

(c) Separate tickets for travel by narrow gauge and metre gauge are issued according as the passengers wish to travel by the narrow gauge or the metre gauge.

(d) Yes, Sir.

Prices of Cloth

*102. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Madhu Limaye :**
Shri Balraj Madhok : **Shri Mohan Swarup :**
Shri Yashpal Singh : **Dr. Ranen Sen :**
Shri Ram Kishan Gupta : **Shri P. K. Deo :**
Shri Bibhuti Mishra : **Shri K. P. Singh Deo :**
Shri K. N. Tiwary : **Shri D. N. Deb :**
Shri Indrajit Gupta : **Shri Rane :**
Shri Sidheshwar Prasad : **Shri Atam Das :**
Shri Vasudevan Nair : **Shri C. Janardhanan :**
Shri S. M. Banerjee : **Shri P. C. Adichan :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an increase of 4½ per cent in the price of controlled cloth has been effected from the second week of April;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether any further steps have been taken with a view to ensure adequate supply of cloth to the people at controlled rates ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) : An increase in the ex-mill prices of controlled varieties of cloth was effected from 15th April, 1967 having due regard to the increases in the cost of cotton and wages that had taken place since the earlier revision in October, 1966.

A constant watch is kept over the availability of controlled cloth at stamped prices throughout the country. Necessary enforcement machinery has been evolved to ensure in collaboration with the State Governments, that controlled cloth is sold to the consumers at fixed prices. Offending dealers are proceeded against under the law. Periodic checks and inspections of cloth markets are carried out so as to ensure that the consumers obtain controlled cloth at fixed prices. Except for some superfine varieties which require imported cotton, there have been by and large, no complaints of shortage of controlled cloth.

Closure of Textile Mills

*103. **Shri Mohan Swarup :**
Shri Yashpal Singh :
Shri N. S. Sharma :
Shri Sharda Nand :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri George Fernandes :
Shri J. H. Patel :
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Sita Ram Kesri :
Shri D. C. Sharma :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Shashi Ranjan :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government have decided to take over permanently those Textile Mills which have proved to be useless from the production point of view or which generally remain closed;

(b) if so, the number of mills likely to be affected by this decision; and

(c) the time by which this decision is likely to be implemented ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) The Government are actively considering proposal to take over certain weak and marginal textile mills which are considered economically viable but which have for certain reasons been either closed down or are under imminent threat of closure.

(b) and (c) : The exact number of such mills cannot precisely be estimated. It is proposed that the necessary legislation to implement Government's decision would be introduced during the current session of Parliament.

सरकारी उपक्रमों की अप्रयुक्त क्षमता

104. **श्री उमा नाथ :**
श्री के० रमानी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से प्रत्येक में कितनी क्षमता अप्रयुक्त रहती है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ख) उनकी पूरी क्षमता का प्रयोग करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों में बहुत हद क्षमता अभी स्थापित की जा रही है और ऐसी अवस्था में कितनी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका यह ठीक ठीक बता सकना सही नहीं होगा फिर भी कुछ सरकारी उपक्रमों में स्थापित तथा प्रयुक्त क्षमता में कुछ अन्तर है। इसके कुछ कारण हैं जिनमें प्रमुख कारण पर्याप्त मात्रा में आर्डरों का न मिलना है क्योंकि रेलवे, इस्पात कारखानों, विद्युत परियोजनाओं, निर्माण संबंधी उद्योग तथा कोयला खनन आदि उद्योगों के विकास कार्य में अस्थायी रूप से धीमापन आ गया है।

(ख) सरकारी उपक्रमों के मुख्य अधिकारियों से कहा गया है कि वे स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ बनाएं।

1. निर्यात बढ़ाने और देश के अन्दर बिक्री में वृद्धि करने का दृष्टि में बिक्री संगठन को सुदृढ़ बनाना।
2. अधिक मांग वाली वस्तुओं का उत्पादन करना और बार-बार मांग किये जाने वाले फालतू पुर्जों का निर्माण करके अपने उत्पादन में विविधता लाना;
3. पारस्परिक आधार पर संविदा प्राप्त करने के लिए कन्सोर्टिया बनाना। एक ऐसा संगठन इस्पात, ढाचों तथा भारी इंजीनियरी उद्योगों के लिए तथा दूसरा विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए बनाया जायेगा। इसी प्रकार गैर सरकारी क्षेत्र में एककों का जहां तक संभव हो तदर्थ रूप में एक कन्सोर्टियम बनाया जायेगा जिससे अवसर पड़ने पर पारस्परिक आधार पर उजरत पर काम लिया जा सके।

चौथी योजना में डीजल और बिजली से चलने वाली गाड़ियां

***106. श्री स्वैल :**
श्री कोकर सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री बैरो :
श्री कोलाई बिरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी योजना के दौरान अधिक संख्या में डीजल तथा बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना का पूरा विवरण क्या है; और

(ग) डीजल और बिजली की गाड़ियां कहां-कहां चलाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) एक बयान सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 401/67]**

Import Policy

*107. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri R. K. Birla :
Shri Ram Kishan Gupta :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of Commerce be pleased to state the salient points of the new Import Policy announced by Government on the Ist May, 1967 and the likely effects thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : Some of the salient features of the Import Policy as announced in the Import Trade Control Policy for the period April, 1967–March, 1968 on the 1st May, 1967 are as below :—

(i) In the case of 59 priority industries, import licensing will be need-based and continuous, both in the large and small scale sectors.

(ii) Public Sector industrial undertakings will no longer have to obtain foreign exchange releases from their administrative Ministries before applying for licences. Their applications will be routed through the Directorate General of Technical Development only.

(iii) As a procedural simplification, spare parts of certain essential machinery which were freely licensable for import from U. S. A. under U. S. Aid conditions, have now been placed on special General licence for import from that country under the same conditions. Banned or restricted items will not come within the purview of this facility.

(iv) The spare parts referred to in (iii) above, have also been made licensable to actual users for import from Rupee Payment Area.

(v) Import of spare parts required by the mining industry will be licensed by the Regional Licensing authorities on an annual basis.

(vi) Actual Users claiming import licences on the basis of imports of exported products will have greater freedom of choice in respect of items to be imported and of the source of their supplies.

(vii) The basic period for established importers has been changed uniformly to the years 1961-62 to 1965-66.

(viii) Further procedural simplifications have been introduced in regard to Income-tax verification certificate Numbers, Letters of Authority, replacement licences, application fees etc.

(ix) The list of items which are now available from domestic production has been expanded in the light of the progress made by the concerned industries and several items have been taken off the list of permissible items for import.

The likely effects of the new import policy will be :—

(a) The requirements of the producing units called as Actual Users which need import inputs for production and occupy the position of the largest single category of importers will be met on continuing basis and there will be no last date for making applications for import licences.

(b) The accent of the policy is on production-on optimum utilisation of installed capacity resulting in greater production which will ultimately mean more employment, more competition and, therefore, more reasonable prices, and more possibility for exports.

(c) More exports mean more foreign exchange which our producing units can earn to sustain the economy of the country.

(d) It is hoped that Industry as a whole will appreciate its obligation to export to earn external resources so necessary to maintain our imports and have a balance of trade in our favour.

संयुक्त-अरब गणराज्य का व्यापार-मंडल

*108. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री रा० बरुआ :
श्री महाराजसिंह भारती :
श्री डी० एन० पटोदिया :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री अटलबिहारी वाजपेयी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य के व्यापार-मंडल ने अप्रैल, 1967 में भारत का दौरा किया था और क्या दोनों देशों के बीच व्यापार-सम्बन्धों के बारे में कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां । 1966-67 के दौरान भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच व्यापार का पुनर्वालोकन करने के लिये और 1967-68 के लिये व्यापार व्यवस्था को अन्तिम रूप देने के लिये संयुक्त अरब गणराज्य के एक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का दौरा किया था ।

(ख) 1967-68 के लिये जो व्यापार व्यवस्था की जा रही है उसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:–

(एक) 1967-68 के दौरान अनुमानतः 80 करोड़ रु० का व्यापार होगा ।

(दो) भारत में आयात होने वाली मुख्य वस्तुएँ कपास, चावल, रॉक फास्फेट और पेट्रोलियम उत्पाद हैं ।

(तीन) निर्यात की मुख्य वस्तुएँ चाय, पटसन की बनी वस्तुएँ, तम्बाकू, मसाले, रसायन, इस्पात, इंजीनियरी का सामान आदि हैं ।

रूसी ट्रैक्टरों का आयात

*109. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री नीति राज सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इंजीनियरिंग एण्ड कामर्शियल कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई द्वारा

मध्य-प्रदेश के किसानों को ऊंचे दरों पर रूसी ट्रैक्टर सप्लाई करने के बारे में राज्य व्यापार निगम के पास शिकायतें दर्ज करवाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम इस मामले की जांच कर रहा है ।

कपड़ा उद्योग

***110. श्री रामकिशन गुप्त :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 8 अप्रैल, 1967 को लोक-सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कपड़ा उद्योग की स्थायी समस्याओं का संरचना सम्बन्धी हल सुझाने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मामला विचाराधीन है । कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है ।

इत्र बनाने का कारखाना

***111. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कालिता :
श्री सूपकर :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी व्यापार कम्पनी ने भारत में इत्र बनाने का एक बड़ा कारखाना लगाने की पेशकश सरकार को की है;

(ख) क्या इस पेशकश पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो उसकी शर्तें तथा निबंधन क्या है; और

(ग) क्या उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेष पर इस समय लगे हुए प्रतिबन्धों को इस उद्देश्य के लिये हटाने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्यात संवर्द्धन सम्बन्धी बल

***112. श्री मनीभाई जे० पटेल :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री दमानी :
श्री रामकिशन गुप्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 31 मार्च, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 190 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्द्धन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के सात सदस्यों वाले दल, जो जनवरी, 1967 में भारत आया था, की अंतिम सिफारिशें इस बीच प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रेलवे टिकटों का चोर बाजार दरों पर विक्रय

***113. श्री बाबूराव पटेल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टेशनों पर रेलवे बुकिंग स्टाफ और अन्य रेलवे कर्मचारी रेलवे टिकट चोर बाजार दरों पर बेचते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समाज-विरोधी प्रथा को रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यवहारिक कार्यवाही की है ।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ख) 1. किसी तरह के भ्रष्टाचार में कर्मचारियों की मिली-भगत की सम्भावना की समाप्ति के लिए टिकट-घरों में विशेश रूप से भीड़-भाड़ के समय, पर्यवेक्षण बढ़ा दिया जाता है ।

2. गाड़ियों में सोने और बैठने की जगह बुक करने में भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए विशेष पुलिस स्थापना ने रेल प्राधिकारियों के सहयोग से अचानक जांच करने की व्यवस्था की है । इस तरह की जांच रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलों के चौकसी संगठनों द्वारा भी स्वतन्त्र रूप से की जाती है ।

3. संदिग्ध तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों की टिकट खिड़कियों पर भीड़-भाड़ के समय चौकसी कर्मचारियों के विशेष दस्तों और सादे कपड़ों में चल-टिकट परीक्षकों को नियुक्त किया जाता है । इस विषय में टिकट खिड़कियों पर नियुक्त पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की सहायता भी ली जाती है ।

4. प्रत्येक शिकायत की अच्छी तरह जांच की जाती है और जिन मामलों में दोष सिद्ध हो जाता है, उनमें कड़ी सजा दी जाती है ।

रूसी ट्रैक्टरों का आयात

***114. श्री रामसिंह आयरवाल :**
श्री नीतिराज सिंह :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि के लिये ट्रैक्टरों तथा उनके कलपुर्जों के विक्रय पर उत्पादन शुल्क या चुंगी नहीं लगती;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायतें मिली हैं कि रूसी ट्रैक्टरों के आयातकर्ता मध्य-प्रदेश के खेतिहरों को ट्रैक्टर बेचने पर उत्पादन शुल्क तथा चुंगी वसूल कर रहे हैं जब कि इस प्रकार का कोई शुल्क महाराष्ट्र में नहीं लिया जाता; और

(ग) क्या सरकार रूसी ट्रैक्टरों के उक्त आयातकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सीमा शुल्क 50 "ड्रा-बार" से अधिक अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों और बिजली से चलने वाली लिफ्टों और उपकरणों पर लगाया हुआ है। बम्बई में ट्रैक्टरों और उपकरणों पर भूमिगत लागत पर 1 प्रतिशत की दर से चुंगी ली जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य व्यापार निगम मामले में भी जांच कर रहा है।

पांचवां इस्पात कारखाना लगाने का स्थान

***115. श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री आर० के० बिड़ला :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री रामकिशन गुप्त :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री के० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में पांचवें इस्पात कारखाने के लगाने के स्थान के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो चुने गये स्थान का नाम क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टायर निर्माता कम्पनियां

***116. श्री जनार्दनन :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अदीचन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के रबड़ उत्पादकों की संस्था ने सरकार से अनुरोध किया है कि टायर बनाने वाली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ओर (ख) औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय को केरल रबड़ उत्पादक

संघ से टायर बनाने वाली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बारे में अभी तक कोई निवेदन नहीं मिला है।

हौस्पेट में इस्पात कारखाने की स्थापना

***117. श्री वी० कृष्ण मूर्ति :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री के० लजकप्पा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसूर के मुख्य मंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 1967 को कलकत्ता में दिये गये इस वक्तव्य का पता है कि राज्य सरकार का हौस्पेट में एक इस्पात कारखाना लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) : जी हां। भारत सरकार के ध्यान में समाचार पत्रों में छपे कुछ इस आशय के समाचार आये हैं कि यदि केन्द्रीय सरकार हौस्पेट में इस्पात कारखाना नहीं लगायेगी तो मैसूर सरकार स्वयं ही वहां पर इस्पात कारखाना लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी। इस बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं है। अतः प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात का निर्यात

***119. श्री एस० एन० मैती :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात निर्यात के रास्ते में मुख्य बाधायें क्या हैं जिनका कि इस्पात निर्यात समिति द्वारा अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) उन्हें कैसे दूर किया जायेगा ?

इस्पात, खान और धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : इस्पात निर्यात समिति ने हाल में लोहे और इस्पात के निर्यातों का पुनर्विलोकन किया है निर्यात की वृद्धि में आने वाले कठिनाइयों पर विचार विमर्श किया है। समिति की रिपोर्ट औपचारिक रूप से सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है। इस्पात निर्यात समिति में मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याओं पर विचार किया है :-

(1) बन्दरगाहों पर सामान को लादने उतारने और गोदाम में रखने की समस्या।

(2) बन्दरगाहों तक रेलों द्वारा सामान ले जाने की कठिनाइयां। इसका संबंध बन्दरगाहों में

साधारणतः होने वाली श्रमिक अशांति से होता है जिससे माल का आवागमन धीमा हो जाता है ।

(3) जहाजों के अपर्याप्त स्थान और समुद्री भाड़े का अधिक होना ।

(4) दूसरी कठिनाइयां जैसे सभी बन्दरगाहों को भेजे जाने वाले लोहे और इस्पात के भाड़े में छूट न होना ।

इन कठिनाइयों के बारे में संबंधित अधिकारियों को लिख दिया गया है और सम्बद्ध मंत्रालय इन बातों पर विचार कर रहे हैं ।

जापान को क्रोम अयस्क का निर्यात

***120. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन द्वारा प्रदीप बन्दरगाह से 2 करोड़ रुपए के मूल्य के क्रोम अयस्क के निर्यात के लिये हाल में जापान के साथ कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्रोम अयस्क उड़ीसा के कटक जिले में सुबिंडा में कालारंगी खान से भेजा जायेगा ; और

(घ) उस क्षेत्र में क्रोम अयस्क का कुल कितना भंडार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम रेलवे द्वारा भूमि की खरीद

471. श्री सी० सी० देसाई : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती आयल मिल्स की साबरमती में भूमि की खरीद के लिये रेलवे मंत्रालय तथा साबरमती आयल मिल्स, साबरमती के बीच 25 मार्च, 1965 को एक करार हुआ था और कीमत मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर के कार्यालय, बम्बई के श्री एस० रोडरिगूज द्वारा तय की जानी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री रोडरिगूज ने 13.12.1965 को अन्तिम रूप से दोनों पार्टियों के पक्षों को सुना और निर्णय देने के लिये मामले पर कार्यवाही बन्द कर दी तथा 13.12.65 से एक मास की अवधि में निर्णय देने का वायदा किया;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री रोडरिगूज ने अभी तक अपना निर्णय नहीं दिया है हालाँकि उसने जनवरी, 1966 तक निर्णय देने का वायदा किया था;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) उक्त मामले पर अन्तिम रूप से निर्णय कब तक लिया जायेगा और 25-3-1965 का करार लागू किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, लेकिन यह करार नहीं था बल्कि साबरमती आयल मिल के श्री अमृतलाल हरगोविन्द दास और रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य (निर्माण) के बीच 25-2-1965 को हुए विचार-विमर्श का एक नोट था।

(ख) से (घ) श्री रोडरिगूज को पश्चिम रेलवे और श्री अमृतलाल हरगोविन्द दास के परामर्श से प्रश्न (क) में उल्लिखित जमीन का मूल्य निर्धारित करना था। मूल्यांकन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच मतभेद होने पर इस मामले में रेलवे बोर्ड को लिखना था। चूंकि पश्चिम रेलवे श्री रोडरिगूज द्वारा किये गये मूल्यांकन से सहमत नहीं हुई, इसलिए श्री रोडरिगूज ने अपने मूल्यांकन के साथ यह मामला रेलवे बोर्ड को भेज दिया।

(ङ) श्री अमृतलाल हरगोविन्द दास के साथ हुए विचार-विमर्श से सम्बन्धित नोट के आधार पर रेलवे बोर्ड प्रश्न (क) में उल्लिखित जमीन के अधिग्रहण के सम्बन्ध में शीघ्र ही अपना फैसला देगा।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने

472. **श्री सी० सी० देसाई** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री भिलाई, रूरकेला तथा दुर्गापुर के सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के बारे में निम्न जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि :

(क) वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता ;

(ख) 1966–67 में वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ;

(ग) उत्पादन में आयोजित विस्तार ;

(घ) विस्तार कार्य के पूरा होने की अवधि ;

(ङ) विस्तार कार्यक्रम की लागत, रुपयों में तथा विदेशी मुद्रा में ;

(च) विस्तार के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाने के प्रस्ताव ; और

(छ) विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकांशतः किन–किन वस्तुओं का उत्पादन होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है :

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 402/67]

Manufacture of Cigarettes

473. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the quantity of cigarettes manufactured in this country during 1965 and 1966, year-wise;

(b) the percentage of those manufactured in Indian and foreign companies separately; and

(c) the position of this industry fifteen years back from the production point of view ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Information about the total production of cigarettes during 1965 and 1966 is given below :

1965	—	55,154 million pieces
1966	—	58,226 million pieces

(b) Out of the to tal production of 55,154 million pieces and 58,226 million pieces of cigarettes produced during 1965 and 1966, the percentage of those manufactured in Indian and foreign companies respectively is indicated below :

Year	Indian	Foreign
1965	30.8 Percent	69.2 Percent
1966	29.4 Percent	70.6 Percent

(c) Information about the production of cigarettes 15 years back is not readily available. Production of cigarettes during 1955, for which the information is available, was :—

Year	Production	Percentage of production	
		Indian	Foreign
1955	22,828 million pieces	14.7 Percent	85.3 Percent

त्रिवेन्द्रम में हथकरघा सेवा केन्द्र

474. **श्री विश्वम्भरन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 में त्रिवेन्द्रम में एक हथकरघा सेवा केन्द्र आरम्भ करने का भी प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इसको आरम्भ न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम में चालू वित्तीय वर्ष में हथकरघा सेवा केन्द्र आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) 1966–67 के दौरान अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने सुझाव दिया था कि बुनकर सेवा केन्द्र को दिल्ली से हटा कर त्रिवेन्द्रम ले जाया जाये। परन्तु दिल्ली के केन्द्र को आंध्र प्रदेश में मंगलागिरी के स्थान पर ले जाया गया। तत्पश्चात बोर्ड ने सुझाव दिया कि त्रिवेन्द्रम में एक नया केन्द्र खोला जाये। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

गढ़ी–हरसरू और खलीलपुर (उत्तर रेलवे) के बीच रेलवे लाइन को दोहरी बनाना

475. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के रिवाड़ी–दिल्ली सेक्शन में गढ़ी–हरसरू तथा खलीलपुर के बीच दोहरी लाइन बिछाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब पूरा होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) :–गढ़ी हरसरू और खलीलपुर स्टेशनों के बीच इस समय जितना यातायात होता है या निकट भविष्य में जितना यातायात होने की संभावना है, उसे सम्भालने के लिए 31 किलोमीटर लम्बे इस खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाना आवश्यक नहीं समझा जाता। वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए गढ़ी हरसरू और खलीलपुर के बीच के ब्लाक खण्डों को अलग–अलग करने और वहां टोकन रहित ब्लाक प्रणाली की व्यवस्था करने के काम की मंजूरी दी जा चुकी है।

उत्तर रेलवे में यात्रियों के लिये सुविधाएं

476. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर यात्रियों को दी जाने वाली सुख–सुविधा के बारे में किसी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका डिवीजनवार व्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 403/67]

ट्रैक्टरों का निर्माण

477. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में प्रति वर्ष कितने ट्रैक्टरों का निर्माण होता है;

(ख) निर्माताओं के नाम, कारखानों की स्थापना का स्थान, ट्रैक्टरों का वार्षिक उत्पादन तथा उनकी कुल कीमत क्या है;

(ग) 31 मार्च, 1967को समाप्त होने वाले गत् पांच वर्षों के दौरान यूरोप तथा अमरीका से आयात किये गये ट्रैक्टरों को संख्या तथा उनका मूल्य क्या है; और

(घ) 31 मार्च 1967 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितने मूल्य के ट्रैक्टरों के उपकरण तथा फालतू पुर्जों का आयात किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत में गैर सरकारी क्षेत्र में 1966 के कैलेण्डर वर्ष में 7,613 ट्रैक्टरों का निर्माण किया गया। सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों के निर्माण की क्षमता अभी स्थापित नहीं की गई है।

(ख) एक विवरण जिसमें ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाली फर्मों के नाम उनके कारखानों का स्थान 1966 में उनका उत्पादन और उनके द्वारा निर्मित ट्रैक्टरों का मूल्य इत्यादि दिया गया है; सभा–पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 404/67]

काली सूची में डाली गई फर्में

480. श्री बाबू राव पटेल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाली तिमाही में काली सूची में डाली गई फर्मों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है;

(ख) इन फर्मों को किन कारणों से काली सूची में रखा गया है;

(ग) क्या इन फर्मों को आयात लाइसेंस दिये गए है अथवा इनको अन्यथा सरकार के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कितनी फर्मों को ये सुविधाएं प्राप्त हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस मंत्रालय द्वारा 31–3–67 को समाप्त होने वाली तिमाही में किसी भी फर्म को काली सूची में नहीं रखा गया है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

इटारसी–जबलपुर सैक्शन पर रेलवे प्लेटफार्मों पर शैड

481. श्री नीतिराज सिंह : क्या रेलवे मंत्री 7 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न 755 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इटारसी और जबलपुर सैक्शन में किन–किन स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर शैड की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर अप और डाउन, दोनों प्लेटफार्मों पर प्लेटफार्म की कितनी लम्बाई में शैड की व्यवस्था की जायेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार नरसिंहपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी की लम्बाई के बराबर शैड की व्यवस्था करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) निम्नलिखित स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर छत की व्यवस्था की जा रही है:–

(i) गाडरवाड़ा

(ii) नरसिंहपुर

(iii) करेली

(iv) गोटेगांव

उपर्युक्त भाग (क) में जिन चार स्टेशनों का उल्लेख किया गया है उनके प्लेटफार्मों की लम्बाई, जिन पर छत की व्यवस्था करनी है, इस प्रकार हैं :–

(i) गाडरवाड़ा में अप प्लेटफार्म पर 150 फीट तक ।

(ii) नरसिंहपुर में अप प्लेटफार्म पर 110 फीट तक।

(iii) करेली में अप और डाउन दोनों प्लेटफार्मों पर 75 फीट तक।

(iv) गोटेगांव में अप और डाउन दोनों प्लेटफार्मों पर 60 फीट तक।

(ग) जी नहीं। नरसिंहपुर स्टेशन पर जितना यातायात होता है उसके लिए वहां की वर्तमान और प्रस्तावित छतें पर्याप्त हैं।

जबलपुर और इटारसी के बीच यात्री गाड़ियों के साथ लगाई जाने वाली बोगियां

482. श्री नीतिराज सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर और इटारसी (सैन्ट्रल रेलवे) के बीच प्रत्येक रेलगाड़ी के साथ कितनी बोगियां लगाई जाती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि रेल गाड़ियों के साथ लगाई जाने वाली बोगियों की संख्या अपर्याप्त है और कि बोगियों में अधिक भीड़ होती है जिस कारण वहां पर दम घुटता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक यात्री गाड़ी के साथ बोगियों की संख्या को दस तक तथा एक्सप्रेस तथा मेल रेल गाड़ियां के साथ 14 तक बढ़ाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जबलपुर–इटारसी खंड पर, इलाहाबाद होकर जाने वाली 7 डाउन / 8 अप बम्बई-हावड़ा डाकगाड़ी, 27 डाउन / 28 अप बम्बई–वाराणसी एक्सप्रेस और सप्ताह में दो बार चलने वाली 41 डाउन / 42 अप जनता एक्सप्रेस गाड़ियों में से प्रत्येक में 12 बोगियां लगायी जाती हैं जब कि 33 डाउन / 34 अप इंदौर–बिलासपुर एक्सप्रेस, 387 डाउन / 388 अप भुसावल–इलाहाबाद सवारीगाड़ी और 389 डाउन / 390 अप इटारसी–इलाहाबाद सवारीगाड़ी में से प्रत्येक में 9 बोगियां लगायी जाती हैं।

(ख) यद्यपि इलाहाबाद होकर जाने वाली 7 डाउन / 8 अप बम्बई–हावड़ा डाकगाड़ी, 27 डाउन / 28 अप बम्बई–वाराणसी एक्सप्रेस, सप्ताह में दो बार चलने वाली 41 डाउन / 42 अप जनता एक्सप्रेस और 388 अप इलाहाबाद–भुसावल सवारी गाड़ी में कुछ भीड़ रहती है, अन्य गाड़ियों में जगह का पूरा इस्तेमाल नहीं होता।

(ग) डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में इस समय 12 बोगियां होती हैं। इनमें अतिरिक्त यातायात के लिए केवल एक बोगी की गुंजाइश और रहती है। लेकिन भाप-कर्षण के अन्तर्गत इनमें 14 बोगियां लगाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। 388 इलाहाबाद–भुसावल सवारीगाड़ी में डिब्बे बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। अन्य सवारी गाड़ियों में डिब्बे बढ़ाने का औचित्य नहीं है।

Manufacture of Motor Vehicles

483. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state.

(a) the types of motor vehicles which are being manufactured and/or assembled in India for the last 20 years;

(b) whether sanction was accorded to increase their prices by Government during the last 20 years and the extent of increase;

(c) the reasons for increase in prices; and

(d) the extent of gradual decrease recorded in the import of motor parts and components of different motor vehicles year-wise and the gradual increase record in indigenous production of motor parts and components ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) The types and makes of motor vehicles which were being assembled prior to 1953 are given in the Tariff Commission Report (1953). Since then manufacture/assembly of motor vehicles in the country is confined to makes approved by Government. The approved types of motor vehicles at present being manufactured in the country together with the names of the manufacturers are indicated below :

S. No.	Name of the manufacturer	Name of vehicle manufactured		
		Commercial vehicles (Trucks & Buses)	Cars	Jeep type vehicle
1.	M/s. Hindustan Motors Ltd.,	Bedford	Ambassador	...
2.	M/s. Premier Automobiles Ltd.,	Dodge/Fargo	Fiat	...
3.	M/s. Standard Motor Products of India Ltd.,	1-ton	Standard	...
4.	M/s. Mahindra & Mahindra Ltd.		...	Jeep and Jeep Truck
5.	M/s. Telco	TMB	...	...
6.	M/s. Ashok Leyland Ltd.	Comet	...	...
		Beaver	...	...
		Hippo	...	...
7.	M/s. Bajaj Tempo	Tempo	Hanseat	...
		Viking	...	...

(b) Government started exercising informal price control on the automobile industry in 1957. The prices of the various vehicles ruling at that time and those ruling at present are given below :

		Ex-factory retail price on 1-1-1957 or on the date of commencement of production (indicated in brackets) whichever is later.	Ex-factory retail price on 25-5-67	Extent of price increase allowed since 1957
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	**Hindustan Motors Ltd.,**			
	Bedform Truck 167" W. B.	23,842	31,471	8,629
	Ambassador Car	9,999	14,895	4,896
2.	**Premier Automobiles Ltd.**			
	Dodge 165" W. B.	24,834	31,929	7,095
	Fiat Car	8,847	13,555	4,708
3.	**Standard Motor Products of India Ltd.,**	(1965)		
	1 ton commercial vehicle	15,136	16,576	1,440
	Standard Car	8,850	13,257	4,407

	Ex-factory retail price on 1-1-1957 or on the date of commencement of production (indicated in brackets) whichever is later.	Ex-factory retail price on 25-5-67	Extent of price increase allowed since 1957
	Rs.	Rs.	Rs.
4. Mahindra & Mahindra Ltd.			
Jeep	10,591	15,660	5069
Jeep Truck	18,072 (1966)	18,072	...
5. TELCO			
L 312/48 (Truck)	28,740	40,284	11544
6. Ashok Leyland Ltd.			
163 "W. B. Truck (Comet)	36,970	44,488	7518
7. Bajaj Temo Ltd.			
Tempo Hanseat (bare chassis) Threee Wheeler	6,129 (1959)	7,847	1718
Viking Four Wheeler	21,285 (1967)	21,285	...

(c) By and large, price increases have been allowed on account of one or more of the following factors :—

(i) Increase in Government levies.

(ii) Increase in prices of tyres and tubes.

(iii) Incrcase in ocean-freight.

(iv) Increase in the overseas ckd pack price.

(v) Increase on account of increase in indigenous content.

(vi) Increase on account of impact of devaluation.

(d) The manufacture of automobiles on the basis of approved phased manufacturing programmes commenced in the country some time in 1953-54. At that time ancillary production in the country was not substantial and the vehicles were assembled mostly from imported components. With the increased production of ancillaries in the country, the indigenous content of the vehicles has been progressively going up. The indgenous content of the vehicles produced in the country since 1961-62 is given in the attached statement. **[Placed in Library, Sec. No. L. T. 405/67]**

Manufacture of Motor Vehicle Parts

484 Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed some standard for quality of motor vehicles and if so, the manner in which the quality control is exercised;

(b) whether Government are aware that the standard of quality of many vehicles has been going down in spite of a gradual increase in prices of a number of motor vehicles; and

(c) which of the indigenous parts and components have proved to be comparable with foreign components imported earlier and which are inferior and whether indigenous components seem to be improving gradually ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) While Government have themselves not laid down any standards for quality of motor vehicles, the need for maintaining the quality of their products has been impressed from time to time on the manufacturers of automobiles and ancillary items. All the automobile manufacturers in the country have collaboration arrangements with reputed foreign companies in the line. They are expected to make their products according to the Specifications and standards of Quality of similar vehicles made by their collaborators. Every automobile manufacturer has inspection staff to maintain quality control. Quality has been recognised as of utmost importance by the Government, the Development Council for Automobile Industries and the Industry. Recently a Co-operative Research Association has been formed by the vehicle manufacturers and some ancillary manufacturers and this Association will, it is expected, among other functions lay down and enforce standards of quality. Steps are also being considered to test cars selected at random out of indigenous production.

(b) Government have been receiving various types of complaints in respect of vehicles produced in the country. As and when such complaints are received, they are taken up with the Manufacturers concerned for remedial action The increase in the prices of vehicles is due to various causes and this has no direct bearing on the quality of the vehicles.

(c) It is difficult to idnntify components developed indigenously which can be cosidered to be inferior to similar components earlier imported from abroad, Generally speaking, components are deleted for a particular model of vehicle only after arragements are in train for these being developed indigenously to the standard and quality expected by the main automobile manufacturers. It is but natural that in the process of development there are initial problems which have to be solved by experimentation and field trials, with the mutual collaboration of the manufacturers of the components and the vehicle manufacturer

Tea Stall at Chakia Station (N. E. Railway)

485. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 339 on the 31st March, 1967 and state.

(a) whether necessary notification calling for fresh applications for running the tea stall at Chakia Station of the North-Eastern Railway has since been issued; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Does not arise.

टैलीविजन सैटों का आयात

486 **श्री याज्ञिक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा टेलीविजन सेटों के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की राशि क्या है;

(ख) ये टेलीविजन सेट जिन देशों से आयात किये जायेंगे, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए लिया जाने वाला ऋण किस ढंग से अदा किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री श्री दिनेश सिंह : (क) 1965 और 1966 में 5,000 टेलीविजन सैट आयात किये गये थे जिनकी कुल लागत 33.2 लाख रु० थी ।

(ख) और (ग) और टैलीविजन सैट आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विद्युत्चालित संगणकों का आयात

487 श्री याज्ञिक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिये आयात किये जाने वाले विद्युतचालित संगणकों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ख) ये संगणक किन किन देशों से आयात किये जायेंगे; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत स्थापित आयातकों और साधारणतया वास्तविक उपभोक्ताओं को विद्युतचालित संगणकों के आयात करने की अनुमति नहीं है । वास्तविक प्रयोगकर्ताओं की सभी प्रार्थनाओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है और श्रम तथा रोजगार विभाग के साथ परामर्श करके विद्युतचालित संगणक की आवश्यकता पर पूरी तरह विचार करने के बाद ही आयात के लिये अनुमति दी जाती है । जून, 1966 में भारत सरकार द्वारा अमरीका की मैसर्स हनीवैल इनकोर्पोरेटिड के साथ 10 हनीवैल मोडल 400 संगणकों की खरीद के लिये एक करार किया गया था। इस करार में यह उपलब्ध है कि एक संगणक का रियायती मूल्य 1,25,000 डालर है और इसमें 5 वर्षों के लिये आवश्यक फालतू पुर्जों की कीमत भी शामिल है । इस करार के अन्तर्गत 2 मशीनें आयात की जा चुकी हैं और शेष 8 इस वर्ष आयात की जा सकती हैं। यदि ऐसा किया गया तो कुल विदेशी मुद्रा लागत 10 लाख डालर होगी । चूंकि यह एक सीधी खरीद है इसलिये पुनः भुगतान का कोई प्रश्न नहीं उठता । कुछ पूर्व युरोपीय देशों के साथ किये गये व्यापार करारों के अन्तर्गत विद्युतचालित संगणकों के आयात का उपबन्ध है, परन्तु वास्तविक आयात सदा की भाँति ऊपर निर्दिष्ट आवश्यकता की जाँच पर निर्भर करेगा ।

आयात तथा निर्यात

488. श्री शिवचन्द्र झा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाहा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन से पहले कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात तथा निर्यात होता था और अवमूल्यन के बाद कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात तथा निर्यात होता है; और

(ख) यूरोप महाद्वीप के देशों से कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात होता है तथा कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात उन देशों को किया जाता है ?

प्रश्न विवरण संलग्न है।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

मूल्य करोड़ रु० में

	अवमूल्यन से पूर्व (अक्तूबर, 65 से मई, 66) (8 मास)	अवमूल्यन के पश्चात (जून, 1966 से जनवरी, 67) (8 मास)
आयात	913	1220
निर्यात	553	767
(ख) यूरोपीय महाद्वीपीय देशों से आयात		
(एक) पूर्व यूरोपीय देशों को छोड़कर यूरोपीय देशों से आयात	251	318
(दो) पूर्व यूरोपीय देशों से आयात	119	129
यूरोपीय महाद्वीपीय देशों को निर्यात		
(एक) पूर्व यूरोपीय देशों को छोड़कर यूरोपीय देशों को निर्यात	145	220
(दो) पूर्व यूरोपीय देशों को निर्यात	111	141

विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने लाभ की राशि का विदेशों को भेजा जाना

486 श्री शिव चन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितनी विदेशी कम्पनियाँ हैं; और

(ख) वे अपने-अपने देश को प्रति वर्ष अपने लाभ की कितनी राशि भेजती हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) देश में इस समय 593 विदेशी कम्पनियाँ (कम्पनी अधिनियम की धारा 591 में परिभाषित) हैं।

(ख) विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रेषित लाभ धन (चालू तथा संचित) निम्नलिखित हैं :—

1964–65	— 14–2 करोड़ रुपये
1965–66	— 11–4 करोड़ रुपये
अप्रैल से सितम्बर 1966	— 7–2 करोड़ रुपये

इन आंकड़ों में, तेल कम्पनियों का प्रेषित योग्य धन सम्मिलित है, वास्तव में उनके द्वारा प्रेषित राशि नहीं।

मेहसी और महवाल स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच बिना चौकीदार का रेलवे फाटक

490. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के चम्पारन जिले में ग्राम पंचायत माखरी के मुखिया की प्रार्थना पर पूर्वोत्तर रेलवे के मेहसी और महवाल रेलवे स्टेशनों के बीच सी० एच० 3908 (के० एम० 121/11) पर बिना चौकीदार वाला एक रेलवे फाटक बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया था और संबंधित पार्टी ने 224 रुपये की शेष राशि जमा करा दी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो आज तक यह कार्य न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) चौकीदार रहित प्रस्तावित समपार एक "निक्षेप" निर्माण-कार्य है। वर्तमान नियमों के अनुसार इस सुविधा की इच्छुक पार्टी को भविष्य में इस तरह के समपारों का दर्जा बढ़ाने, उनके बदलाव आदि की लागत देने के लिए भी रजामंद होना पड़ता है। प्रायोजक पार्टी और रेल प्रशासन अब इस पहलू को अंतिम रूप दे रहे हैं।

ज्योंही इन सब प्रारम्भिक कारवाइयों के बारे में सहमति हो जायेगी और करार सम्पन्न हो जायेगा त्योंही रेलवे इस निर्माण-कार्य को क्रियान्वित करने की योजना बनायेगी।

चिन्नाडागुड़ी-हुण्डी में हाल्ट स्टेशन

491. **श्री सिद्दय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे की क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति ने 1965-66 में मैसूर चामराजनगर सैक्शन पर चिन्नाडागुड़ी-हुण्डी को पुनः हाल्ट स्टेशन बनाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कब तक पुनः हाल्ट स्टेशन बनाये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन पर्याप्त यातायात और वित्तीय औचित्य के अभाव में इसे स्वीकार नहीं किया गया।

अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये पदों का आरक्षण

492. **श्री सिद्दय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1666-67 में प्रत्येक रेलवे में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने पद

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये आरक्षित किये गये; और

(ख) इनमें से कितने पद भरे गये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अखिल भारतीय रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द संघ

493. श्री शिवपूजन शास्त्री : **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री मधु लिमये : **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के अन्त में हुये अखिल भारतीय रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द संघ के सम्मेलन मे रखे गये संकल्पों तथा मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त संघ को कोई ऐसे आश्वासन दिये गये हैं कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो इन मांगों को पूरा करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) रेल मंत्री द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

494. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the "Steering Group" was held in New Delhi in 1964 to discuss such aspects of the Fourth Plan as related to iron and steel ; **and**

(b) if so, the conclusions arrived at ?

The Minister of Steel, Mines And Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) Yes, sir.

(b) The Main recommendations of the Steering Group on iron and steel which was constituted to help the Government for formulate its Fourth Plan on iron and steel were that :

(i) the target of mild steel production in the Fourth plan period should be 12 million tonnes of finished steel (16 million tonnes in terms of ingot steel) excluding exports. and 13 million tonnes of finished steel (about 17.3 million tonnes in terms of steel ingots) including exports ;

(ii) the target for pig iron production should be 4 million tonnes ;

(iii) the target for tool alloy and special steel production should be 1 million tonnes of rolled steal ; and that, for achieving the above targets.

Steering Group meeting on Iron and Steel

(iv) two new mild steelworks apart from Bokaro Steel Plant should be set up in new areas away from the existing areas of concentration ;

(v) six blast furnaces should be set up, of which two blast furnanes could be at one of the new steelworks site ; and

(vi) studies should be initiated for setting up a new alloy and special steel plant in the public sector.

2. The Draft outline on the Fourth Five year plan for iron and steel envisages a target capacity of 14.8 million tonnes mild steel ingots, 2. 16 million tonnes of pig iron for sale and 0.5 million tonnes of tool alloy and special steel. It includes provision of Rs.65 crores for preliminary work on the new steelworks. The Fourth Five Year Plan on iron and steel has also yet to be finalised, after reviewing the requirements of steel and the availability of resources.

झारसुगुडा स्टेशन पर ऊपरी पुल

495. **श्री डी० एन० देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के झारसुगुडा रेलवे स्टेशन पर यातायात बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे स्टेशन पर एक और ऊपरी पुल का निर्माण करने की कोई योजना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं । यातायात में अधिक वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) सवाल नहीं उठता । स्टेशन के पूर्वी सिरे पर पहले से ही एक ऊपरी पैदल पुल मौजूद है । स्टेशन के पूर्वी सिरे पर समपार की जगह एक ऊपरी सड़क पुल तैयार हो चुका है । एक और ऊपरी पुल बनाना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

निर्यात नीति सम्बन्धी वक्तव्य

496. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल की मूल्य उप समिति ने निर्यात सम्बन्धी नयी नीति का वक्तव्य जारी करना मुल्तवी कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फर्मो का काली सूची में रखा जाना

498. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने 31 दिसम्बर, 1966 को समाप्त होने वाली तिमाही को अपनी रिपोर्ट में किन्हीं फर्मों/व्यक्तियों को विभिन्न नियमों के उल्लंघन करने अथवा अन्य अनियमित प्रथाओं को अपनाने के कारण निलम्बित करने अथवा काली सूची में रखने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हाँ।

(ख) सम्बन्धित फर्मों/व्यक्तियों के नामों को बताना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) ब्यूरो ने 66 फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की थी। 9 मामलों में कार्यवाही पूरी हो चुकी है और शेष 57 मामले अभी विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियों के विचाराधीन हैं।

लाइसेंस देने की नीति के सम्बन्ध में डा० हजारी का प्रतिवेदन

499. श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० हजारी ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि यदि निर्धारित अवधि में लाइसेंस प्राप्त परियोजना के बारे में संतोषजनक प्रगति नहीं होती तो लाइसेंस समाप्त कर दिये जाने चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने लाइसेंस विशेषकर बिड़ला समूह के लाइसेंस इस वांछनीय शर्त को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिए गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) डा० हजारी के प्रतिवेदन में दिया गया सुझाव यह है कि जो पार्टियाँ लाईसेंस को क्रियान्वित करने में पर्याप्त प्रगति नहीं करती उन्हें इस प्रकार दण्डित किया जाना चाहिए कि उनका लाइसेंस वैकल्पिक एजेंसी को दे दिये जायें और परियोजना पूरा करने का काम तथा प्रबन्ध वैकल्पिक एजेंसी को सौंप दिया जाए। एक दूसरा सुझाव यह भी है कि 31 दिसम्बर, 1964 से पहले जारी किए गए ऐसे लाइसेंस जो क्रियान्वित नहीं किए गए या आवेदन कर्त्ताओं ने उनको क्रियान्वित करने के लिए कारगर कदम न उठाए हों उन्हें रद्द कर दिया जाय।

(ख) अधिनियम के अधीन जारी किए गए लाइसेन्सों को अधिनियम में व्यवस्था किये गए बाद के सांविधिक कार्यविधि के द्वारा रद्द किया जाता है। फिर भी स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार लाइसेन्स की बजाए सर्वप्रथम आशय-पत्र लाइसेन्स नहीं जारी करने की विधि को फरवरी, 1964 में अपनाया गया था।

आशय-पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आशय-पत्र में उल्लिखित शर्तों को निर्धारित समय में पूरा नहीं किया गया तो आशय-पत्र स्वतः ही रद्द हो जायेगा। बिड़ला समूह को फरवरी, 1964 से जून, 1966 की अवधि में जारी किए गये 89 आशय-पत्रों में से 10 आशय-पत्र इस अवधि में रद्द हो चुके हैं।

औद्योगिक नीति संकल्प

500. श्री बी० कृष्णमूर्ति :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधन किया जायेगा तथा छोटे पैमाने के उद्योगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रौक फास्फेट के निक्षेप

501. श्री अ० क० गोपालन :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय की तलहटी के मसूरी क्षेत्र तथा राजस्थान के जैसलमेर जिले में रौक फास्फेट के निक्षेप भारी मात्रा में मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो निक्षेपों की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) रौक फास्फेट का उत्पादन कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है; और

(घ) क्या विदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार रौक फास्फेट के उत्पादन को प्राथमिकता देने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय।

(ख) राजस्थान के जैसलमेर जिले के बिरमानिया क्षेत्र में 4.7 मिलियन टन तथा उत्तर प्रदेश के मसूरी क्षेत्र में 0.8 मिलियन टन।

(ग) विस्तृत अन्वेषण कार्य प्रगति पर हैं। उसके पूर्ण हो जाने पर रौक फास्फेट का उत्पादन हाथ में लिया जायेगा। फरटिलाइज़र कारपोरेशन आफ इन्डिया ने जैसलमेर क्षेत्र में तलागत के खनन का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है। इसके सम्बन्ध में उन्होंने खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन पत्र दिया है। यह (पट्टा) अभी तक नहीं दिया गया है।

(घ) देश में रौक फास्फेट के उत्पादन को सरकार ने प्राथमिकता दी है।

वातानुकूलित रेल गाड़ियां

502. श्री ओंकार सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितनी वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाई गई हैं, उन पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है तथा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : भारतीय रेलों में अब तक जो वातानुकूल गाड़ियां चलायी गयी हैं वे इस प्रकार हैं : बम्बई-नयी दिल्ली, नयी दिल्ली-अमृतसर और नयी दिल्ली-हवड़ा के बीच सप्ताह में तीन बार चलने वाली वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियां, नयी दिल्ली और मद्रास के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली वातानुकूल गाड़ी और बम्बई-मद्रास, मद्रास-हवड़ा और हवड़ा-बम्बई (नागपुर के रास्ते) के बीच एक-एक साप्ताहिक वातानुकूल गाड़ी।

उपर्युक्त 8 वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों के निर्माण और अतिरिक्त चल-स्टाक पर लगभग 3.54 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें 92.5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का खर्च भी शामिल है।

सवारी गाड़ियों में भीड़-भाड़

503. श्री ओंकार सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सवारी गाड़ियों के तीसरे दर्जे के डिब्बों में होने वाली भीड़-भाड़ को कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) पिछले वर्ष प्रत्येक दर्जे के डिब्बे में कितने व्यक्तियों ने यात्रा की तथा प्रत्येक दर्जे के डिब्बों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों से किराये के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सवारी डिब्बों, लाइन क्षमता और इन्जनों आदि के रूप में उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत, और आवश्यक माल यातायात की ढुलाई का उचित प्रबन्ध करने के बाद भीड़-भाड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त गाड़ियां, जिनमें केवल तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए जनता गाड़ियां भी शामिल हैं, चलाने और वर्तमान गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाने के लिये कार्यवाई की गयी है और की जा रही है। वर्तमान

सवारी गाड़ियों के भार को भी तीसरे दर्जे के डिब्बों सहित उतने अतिरिक्त डिब्बे लगाकर बढ़ाया जा रहा है जितने परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक हैं और यातायात की कुल जरूरतों के संदर्भ में न्यायोचित हैं। इसके अलावा गर्मी के महीनों, मेलों/त्यौहारों आदि में यातायात में जो आवधिक वृद्धि हो जाती है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जितनी व्यावहारिक और उचित होती हैं उतनी विशेष गाड़ियां चलायी जाती हैं।

(ख) सबसे बाद वाले जिस वर्ष के लिए पूरी सूचना उपलब्ध है वह 1965–66 है और उसके आंकड़े इस प्रकार हैं :–

	ढोये गये यात्रियों की संख्या (हजार में)	ढोये गये यात्रियों से आमदनी (हजार रुपयों में)
वातानुकूल	225	1,99,05
पहला दर्जा	69,352	16,86,56
दूसरा दर्जा-डाक	4,025	5,97,20
दूसरा दर्जा-साधारण	7,874	2,80,94
वातानुकूल-कुर्सियों वाला डिब्बा	165	55,50
तीसरा दर्जा-डाक	125,760	77,94,93
तीसरा दर्जा-साधारण	1,890,003	1,13,02,99
सभी दर्जे	2,097,404	2,19,17,17

इस्पात पर से नियंत्रण हटाना

504. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ईश्वर रेड्डी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेंडीज
श्री मोहन स्वरूप :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री मणिभाई० जे० पटेल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रा० बरुआ :
श्री याज्ञिक :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री एन० के० संघी :
श्री के० आर० गणेश :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री मोहसिन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री वाई० ए० प्रसाद :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की सभी किस्मों पर से, जिसमें कच्चा लोहा तथा

इस्पात की अन्य वस्तुएं शामिल हैं, नियंत्रण शीघ्र हटा लिया जायेगा और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस्पात तथा उससे सम्बन्धित अन्य कच्चा माल निर्यात उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर मिलेगा; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1 मई 1967 से सभी प्रकार के लोहे और इस्पात पर से नियंत्रण हटा लिया गया है। 1964 से सरकार ने क्रमिक अनियंत्रण की नीति का अनुसरण किया था और ज्यों ज्यों पूर्ति की हालत सुधरती गयी लोहा और इस्पात की विभिन्न किस्मों पर से नियंत्रण हटाया जाता रहा। सरकार ने यह अनुभव किया कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि इस्पात की सभी किस्मों पर से नियंत्रण हटाया जा सकता है और प्रमुख उत्पादकों द्वारा निर्मित सभी प्रकार के लोहा और इस्पात के वितरण तथा मूल्य निर्धारण का कार्य संयुक्त संयंत्र समिति को सौंपा जा सकता है। सरकार ने अनुभव किया कि नियंत्रण हटा लेने पर मांग युक्ति संगत हो जायेगी और उत्पादन का अच्छा उपयोग होगा। संयुक्त संयंत्र समिति यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है कि अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त माल की पूर्ति में सुधार हो।

(ख) जी, हां।

(ग) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषित, इन्जीनियरी सामान के निर्यात उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर इस्पात सप्लाई करने की योजना की एक कापी सभा पटल पर रखी गई है। [पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 406/67.]

पैराम्बूर स्थित इन्जिन कारखाना
लोकोमोटिव वर्कशाप

505. श्री दमानी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोकोमोटिव वर्कशाप, पैराम्बूर की आयरन फाउन्डरी के लिए 1964 में खड़े किस्म (वर्टिकल टाइप) की दो अपकेन्द्री (सैन्ट्रिफ्यूगल) ढलाई मशीनें आयात की गई थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनका उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जा सका है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। लेकिन कुछ परिवर्तनों के बाद एक मशीन को काम में लाना संभव हो गया है और दूसरी मशीन में भी परिवर्तन किया जा रहा है।

(ग) इन मशीनों को इस्तेमाल करने में इन कठिनाइयों का अनुभव हुआ। ढले सामान

को मशीन से निकालने में कठिनाई होती थी, द्रुतशीतन के कारण ढला सामान बहुत कड़ा हो जाता था और मोटर जल जाता था।

रेलवे के सेवा--निवृत्त कर्मचारियों को सानुग्रह पेंशन

506. **श्री राम चरण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1957 से पहले रेलवे के जिन कर्मचारियों को सेवा से निवृत्त किया गया था और जिन्हें जनवरी, 1967 से सानुग्रह पेंशन देना स्वीकार किया गया है उनकी अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) जिन कर्मचारियों को पेंशन दी जा चुकी है उनकी संख्या क्या है; और

(ग) यदि उन सब को पेंशन नहीं दी गई है तो इसके क्या कारण हैं और नियमित भुगतान को तीव्रता से करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) :--सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक आकस्मिक अवकाश

507. **श्री प्र० कु० घोष :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के कर्मचारियों ने 17 अप्रैल, 1967 को मध्यान्ह पश्चात् तथा 18 अप्रैल, 1967 को सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया था; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की शिकायतें क्या थीं और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के केवल मुख्यालय के ही कर्मचारियों ने 17 और 18 अप्रैल को आकस्मिक अवकाश लिया था।

(ख) रांची के कर्मचारी संघ ने 51 मांगों की एक तालिका दी है जिसका सम्बन्ध सीधी भर्ती, पदोन्नति, सहायक परामर्श निकाय, वेतन और महंगाई भत्ते, परिवार सेवा निवृत्ति ग्रेच्यूइटी, बोनस, स्थाईकरण आदि से है।

इस अवस्था पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे मामले राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जैसी स्वायत्त निगमों के सीमान्तर्गत हैं। निगम इस विषय में

स्थापित केन्द्रिय श्रम प्रबन्ध की सहायता से राँची कर्मचारी संघ के साथ बातचीत कर रही है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कर्मचारी संघ के साथ समझौता

508. श्री प्र० कु० घोष : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के प्रबन्ध और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कर्मचारी संघ के बीच 21–9–1965 कोई त्रिपक्षीय समझौता हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते के सभी उपबन्धों को क्रियान्वित किया जा चुका है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) निम्न लिखित तीन मदों को छोड़कर समझौते के सारे अनुबन्ध पूरे किये जा चुके हैं :–

(1) संरचनात्मक तथा सिविल ड्राफ्टसमैन की सांझी ज्येष्ठता नामावलि,

(2) सांझी परामर्श तन्त्र,

(3) कार्य भार के आधार पर उच्च श्रेणी लिपिक तथा निम्न श्रेणी लिपिकों की संख्या ।

बरौनी स्टेशन पर झगड़ा

509. श्री के० एम० अब्राहम
श्री उमानाथ :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री पी० पी० एस्थोसे :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अप्रैल, 1967 को बरौनी रेलवे स्टेशन पर सेना के जवानों और रेलवे के पुलिसमैनों के बीच झगड़ा हो गया था;

(ख) यदि हां, तो झगड़े का कारण क्या था तथा कुल कितने व्यक्ति जख्मी हुए; और

(ग) क्या मौके पर जा कर कोई जांच की गई और यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां

(ख) यह झगड़ा सेना के आर० टी० ओ० कर्मचारियों और सरकारी रेलवे पुलिस के बीच गर्मा–गर्मी हो जाने के कारण हुआ । इसमें सरकारी रेलवे पुलिस के 4 सिपाहियों और एक आर० टी० ओ० अधिकारी को चोटें पहुँची ।

(ग) जी हाँ। मुजफ्फरपुर रेलवे पुलिस के अधीक्षक तुरंत घटना-स्थल पर पहुँच गये और उन्होंने अपने पर्यवेक्षण में जांच-पड़ताल करायी। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।

भारत और यूनान के बीच व्यापार

510. **श्री रामपुरे :**
श्री इब्राहम सुलेमान सेठ :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री एन० के० संघी :
श्री वाई० ए० प्रसाद :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और यूनान के बीच हाल ही में एक व्यापारिक समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत और यूनान के बीच जिस व्यापार समझौते पर पहली बार 14 फरवरी 1958 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे, की अवधि एक एक वर्ष के लिए बढ़ाते रहे हैं। 3 अप्रैल 1967 को नई दिल्ली में पत्रों का विनिमय हुआ तथा व्यापार समझौते की अवधि 31 दिसम्बर 1967 तक बढ़ा दी गई।

(ख) समझौते की मुख्य मुख्य बातें निम्न हैं :-

(i) समझौते में यह करार पाया गया कि अपने आयात, निर्यात तथा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के अधीन समझौते के दोनों पक्ष, समझौते में लगी दोनों सूचियों में लगी वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए आवश्यक सुविधायें देंगी। यह स्पष्ट किया गया है कि यह सूचियां केवल सांकेतिक हैं पूर्ण नहीं है। दोनों देश उन वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे जिनका इन सूचियों में उल्लेख नहीं है।

(ii) समझौते में यह दिया गया है कि समझौते को कार्यान्वित करने के लिए जब भी आवश्यक हो दोनों पक्ष आपस में समय समय पर परामर्श करते रहें।

(iii) समझौते में दोनों देशों के जहाजों के लिए जब वह एक दूसरे की बन्दरगाहों तथा जल में दाखिल हो, ठहरें तथा बन्दरगाह से जावे तो वह बर्ताव हो जो सर्वाधिक अधिमान प्राप्त देश को होता है।

संयुक्त अरब गणराज्य के इस्पात दल का भारत में आगमन

511. **श्री रामपुरे :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री एन० के० संघी :
श्री एस० एन० मैती :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री इब्राहम सुलेमान सेठ :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य का इस्पात दल अप्रैल, 1967 में भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो उसका यहां आने का उद्देश्य क्या था; और

(ग) उसका क्या परिणाम रहा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी : (क) जी, हां। भारत सरकार के निमंत्रण पर संयुक्त अरब गणराज्य से एक सात सदस्यीय इस्पात शिष्ट मंडल श्री नजीह अहमद अमीन, संसद सदस्य की अध्यक्षता में 19 अप्रैल 1967 से 2 मई 1967 तक भारत का दौरा किया था।

(ख) इस शिष्ट मण्डल को बुलाने का उद्देश्य यह था कि इसके सदस्य इस्पात के उत्पादन तथा टेकनोलोजी में भारत द्वारा की गई प्रगति से परिचित हो सकें। इस क्षेत्र में भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच पारस्परिक सहयोग और सहायता की अच्छी गुंजाइश है।

(ग) इस दौरे से भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बाच मैटालार्जिकल और इंजीनियरिंग उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। विशेष रूप से भारत सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य में इस्पात उद्योग के विकास के लिए सभी प्रकार की सहायता देने का वचन दिया है। प्रमुख : रूप से तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कारखानों के निर्माण के बारे में सहायता देना स्वीकार किया है।

विदेशी सहयोग सम्बन्धी समिति

512. श्री रामपुरे :
श्री सूपकर :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ :
श्री सेझियान :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री एन० के० संघी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री राममूर्ति :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई विदेशी सहयोग सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) किन-किन सिफारिशों के शीघ्र क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 10 मई, 1967 को दे दी है।

(ख) रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार का विचार निश्चित हो जाने के बाद, उसके निर्णय सहित रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

और (ग).

Railway Accidents

513. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :
Shri Rabi Ray :
Shri George Fernandes :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri D. N. Patodia :
Shri Mohammad Imam :
Shri S. K. Tapuria :
Shri Y. G. Gowd :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway accidents in the country since March, 1967 month-wise together with causes thereof;

(b) the loss of life and property involved therein; and

(c) the amount of compensation paid by Government therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) A total of 83 and 91 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains took place on the Indian Government Railways during the months of March, 1967 and April, 1967 respectively. The causes of these accidents are given below :

Cause	No.
Failure of railway staff	77
Failure of other than railway staff	16
Failure of mechanical equipment	14
Sabotage/tampering with track	3
Accidental	16
Total	126
No. of cases in which causes have not yet been finalised	48
Grand Total	174

(b) In these accidents, 9 persons were killed. Of these 9 persons 3 were killed in an accident at unmanned level crossing and 1 in a case of sabotage. No railway staff was responsible for any of these two accidents.

The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 14, 19, 125/–.

(c) No claim for compensation has been paid so for,

इस्पात से ढांचे तैयार करने के लिये टेन्डर

514. **श्री अटल बिहारी वाजपेजी :**
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदा नन्द :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1530 टन इस्पात से ढांचे बनाने के लिये चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने जुलाई, 1962 में खुले टेण्डर मांगे थे;

(ख) क्या टेंडर भेजने वाली 7 फर्मों में से उस फर्म को ठेका दिया गया था जिसका टेंडर सबसे अधिक मूल्य का था;

(ग) क्या उस फर्म को लाभ पहुँचाने के लिये कार्य की मात्रा में बाद में खण्डश: परिवर्तन किया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ङ) क्या उस फर्म को ठेका दिये जाने के समूचे मामले की जांच की गई है और उसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, इस्पात ढलाई परियोजना के सम्बन्ध में।

(ख) शुरू में 13 टेंडरदाताओं में से तीन ने 'ठेकेदार के' इस्पात की दर उद्धृत नहीं की थी। बाकी में से टेण्डर समिति द्वारा दिखाये गये कारणों से आठवें निम्नतम टेण्डरदाता की दर स्वीकृत की गयी।

(ग) और (घ) बाद में इस्पात ढलाई कारखाने के तकनीकी सहयोगकर्ताओं की सलाह पर अतिरिक्त आवश्यकताओं को देखते हुए काम की मात्रा में बहुत संशोधन करना पड़ा। यह संशोधन केवल परियोजना के हित में किया गया था।

(ङ) इस मामले में क्रियाविधि सम्बन्धी जो गलतियां दिखायी दीं, उनकी छान-बीन के लिए रेलवे बोर्ड के अपर सदस्यों की एक उच्च-स्तरीय समिति बनायी गयी थी। लोक लेखा समिति की 72 वीं रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के अनुसार अब इस समिति में लेखा परीक्षा विभाग का भी एक प्रतिनिधि शामिल कर लिया गया है। यह समिति उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित दूसरी बातों की भी जांच करेगी।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाख का निर्यात

515. श्री के० पी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाख का निर्यात बहुत कम हो गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ कारखानों के बन्द होने की नौबत आ गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और

(ग) कितने कर्मचारियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं। 1964–65 तथा 1965–66 में कुछ कमी होने के पश्चात अब निर्यात बढ़ता जा रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Rail Link Between Gajraula and Chandausi Jns. (N. Rly.)

516. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in view of the increasing Chinese danger on the Northern border of India, it is proposed to lay a direct Railway line between Gâjraula and Chandausi Junctions so that the Railway traffic may continue on Delhi-Bareilly Railway Section uninterrupted in all circumstances; and

(b) whether the Railway Administration have conducted any survey with a view to lay the Railway line and if so, the results thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No such proposal to lay a direct Railway line between Gajraula and Chandausi has so far been received from the Ministry of Defence. Moreover, Gajraula is already connected by rail with Chandausi and there is no justification for another link from the operational point of view.

(b) No.

Abolitions of Posts of Joint Directors in Railway Board Office.

517. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Six posts of Joint Directors under the Railway Board have been abolished;

(b) whether it is also a fact that simultaneously a new post named as 'Assistant Director-Ticket Checking' has been created; and

(c) if so, the extent of economy affected thereby ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) In order to streamline the administration at various levels on the Railways and to effect economy in administrative expenditure, a review of workload of and justification for various posts has been undertaken. In this connection, 6 posts of Joint Directors have been given up in the Railway Board's Office but the incumbents of these posts have been suitably provided for in the same grade.

(b) A junior post of Asstt. Director, Ticket Checking was created in August 1966 for making an assessment of the extent of ticketless travel on different sections of the Railways as recommended by the Estimates Committee. Such reviews are undertaken periodically in order to devise measures for reducing the incidence of ticketless travel.

(c) It has been estimated that a saving of about Rs. 1.8 lakhs is likely to be effected as a result thereof.

Manufacture of T. V. Sets

518. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Industrial Development and Company** Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two parties, one at Kanpur and the other at Bombay, have been permitted to manufacture Television Sets;

(b) if so, the number of establishments including the two mentioned above which have been manufacturing Television Sets so far;

(c) the annual target for manufacturing the sets; and

(d) the cost of a manufactured set ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (b) : The schemes for the manufacture of T. V. Sets submitted by two entrepreneurs viz. M/s. J. K. Rayon, Kanpur and M/s. Telerad, Bombay have been approved each for a capacity of 10,000 Nos. per annum and letters of intent have been issued to them. A capacity of another 10,000 Nos. per annum is reserved for manufacture in the Small Scale Sector.

Neither of the two units has commenced production so far but Central Electronic Engineering Institute, Pilani, who are providing the technical know-how to the above firms has undertaken trial production of 1000 sets. The price of these sets manufactured by Pilani Institute will range from Rs. 1,350 to Rs. 1,500 depending upon the size of the screen.

Flashers at Unmanned Level Crossing

519. **Shri Mohan Swarup :**
Shri Sezhiyan :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Telephone Industries Ltd., Bangalore has designed some method of 'Flashers' for unmanned and unsafe railway crossings;

(b) if so, the details thereof and the cost involved; and

(c) the way it would ensure safety ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, M/s. Indian Telephone Industries, Bangalore, have designed 'Flashers', basically produced for traffic lights on roads or Railway crossings, where electric power supply, 220 volts AC, is available.

(b) The flashers are operated from a synchronus motor, 230 volts, 50 cycles, AC. The equipment consists of two numbers of single aspect signals, worked by a controller mounted on one of the poles.

The approximate cost for each set, excluding cables and installation charges, is Rs. 2,000/-. The complete cost of providing flashing of lights per Railway crossing, operated with approach of a train, will be about Rs. 10,000/-. In addition, there will be recurring charges of about Rs. 1,000/- to Rs. 2,000/- per annum for repairs and maintenance.

(c) The 'Flashers' could be utilised where electric power supply, 220 volts AC, is available for flashing of signals provided on the approach to the crossing from either side for warning the road users. The measure of safety achieved would depend on the extent to which the road users heed flashing lights at an unmanned Railway crossing.

स्पन पाइपों का निर्माण

520. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री बी० के० मोदक :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय, कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने स्पन पाइप बनाने के लिये सहयोग करार किया हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सहयोग करार में कोई ऐसी धारा है जो इन स्पन पाइपों का निर्यात करने में बाधा डालती है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :
(क) तथा (ख) : इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० ने ब्रिटेन के मैसर्स स्टान्टन एण्ड स्टेविले कम्पनी लि० से पश्चिमी बंगाल के कुलटी नामक स्थान पर ढले लोहे से स्पन पाइप बनाने के एक कारखाने का विस्तार करने के लिए 1–6–1965 को एक करार किया। करार की एक शर्त के अनुसार भारतीय कम्पनी ब्रिटेन की सहयोगी फर्म की पूर्व सहमति के बिना अपने उत्पादनों का निर्यात नहीं करेगी।

सरकार ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील क० तथा ब्रिटेन के मैसर्स स्टान्टन एण्ड स्टेविले कम्पनी लि० के बीच हुए एक दूसरे करार के लिये 3 नवम्बर, 1962 को स्वीकृति दे दी थी जिसके अनुसार ढले लोहे से स्पन पाइपों के निर्माण के लिए एक और कारखाना उज्जैन में स्थापित किया जाना था। इस करार के अनुसार भारतीय कम्पनी अपने उत्पादनों को निर्यात करने के लिए स्वतन्त्र है। किन्तु भारतीय कम्पनी ने इसी करार के अनुसार निर्यात के उद्देश्य से मैसर्स स्टेन्टन एण्ड स्टेविले कम्पनी लि० को मुख्य खरीददार के रूप में मान्यता दे दी है। इस करार में अन्य बातों के साथ-साथ उज्जैन के नए एकक में उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात मैसर्स इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा कुलटी कारखाने में निर्मित पाइपों का निर्यात करने की व्यवस्था भी कर दी गई है।

सियालदह डिवीजन के दक्षिण सैक्शन में रेलवे स्टेशन

521. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री बी० के० मोदक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के दक्षिण सैक्शन में कितने रेलवे स्टेशन हैं;

(ख) वित्तीय वर्ष 1955–56 से लेकर 1965–66 तक प्रत्येक स्टेशन से प्रति वर्ष हुई आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि में (प्रत्येक स्टेशन पर) यात्री सुविधाओं पर कितना धन व्यय किया गया;

(घ) प्रत्येक स्टेशन पर तीसरी श्रेणी के यात्रियों के प्रतीक्षालयों/हालों के लिए छते हुए कितने स्थान की व्यवस्था की गई है;

(ङ) प्रत्येक स्टेशन पर कितने-कितने शौचालयों की व्यवस्था है; और

(च) प्रत्येक स्टेशन पर कितना स्थान छता हुआ है और कितना स्थान छता हुआ नहीं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (च) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे द्वारा कोयले डीज़ल, तेल और बिजली की खपत

522. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री बी० के० मोदक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 से 1967 तक रेलवे द्वारा कोयले की वार्षिक कितनी खपत की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कितनी मात्रा में डीज़ल तेल की खपत की गई और कितनी मात्रा में उसका आयात किया गया;

(ग) उपर्युक्त अवधि में कुल कितने वाट बिजली की खपत हुई;

(घ) 1962 से 1966 तक विदेशों से कितने रेल-इंजन खरीदे गये;

(ङ) वाराणसी स्थित डीज़ल लोकोमोटिव वर्कशाप में इंजन बनाने के लिए कितने मूल्य के पुर्जे आयात किये गये;

(च) जिन देशों से इन पुर्जों का आयात किया गया उनके नाम क्या हैं; और

(छ) डीज़ल से चलने वाले इंजनों के सम्बन्ध में क्या वित्तीय तथा कार्यकुशलता संबंधी लाभ हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 407/67]

(छ) एक नोट संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 408/67]**

थाईलैंड से पटसन का आयात

523. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री बी० के० मोदक :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 से 1967 के बीच की अवधि में थाईलैंड से कुल कितना पटसन आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार को ऐसे आयात के अधिक राशि के बीजक बनाये जाने के बारे में जानकारी है; और

(ग) यदि हाँ, तो अब तक ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) थाइलेंड से मेस्ता के आयात के आँकड़े (क्योंकि थाईलैण्ड में पटसन उत्पन्न नहीं होता) निम्न है :

1964–65	0·24 लाख गाँठ
1965–66	9·14 लाख गाँठ
1966–67 (अप्रैल से जनवरी तक)	10·60 लाख गाँठ

(ख) और (ग) कुछ समाचार थे कि थाईलैण्ड में निर्यात करने वालों ने घटिया दर्जे का मेस्ता निर्यात कर दिया था तथा जहाज़रानी के दस्तावेज़ों में किसम का गलत नाम लिख दिया था। यह पता लगा है कि इन समाचारों के बारे में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है।

आस्ट्रेलिया को कपड़े का निर्यात

524. श्री उमानाथ :
श्री रमानी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्था ने आस्ट्रेलिया में किये गये अपने व्यापक सूती वस्त्रों के मार्किट सर्वेक्षण के समय यह संकेत दिया था कि गत 10 सालों में भारतीय निर्यात बहुत घट गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी अनुमान के अनुसार यह कितना घटा है;

(ग) क्या सर्वेक्षण से पता लगा है कि भारत आस्ट्रेलिया की मार्किट में अपेक्षित ठीक किस्मों के कपड़ों का आयात करने में सर्वथा असमर्थ रहा है। और क्या उसमें यह सिफारिश की गई है कि निर्यात बीजक में विस्तृत रूप से दिये गये मानको के अनुसार माल का उचित गुण निरीक्षण किया जाये; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां। संस्था की मार्किट सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार भारत द्वारा आस्ट्रेलिया को बढ़िया किस्म के कपड़े के निर्यात में 1957 से कमी आ गई क्योंकि आस्ट्रेलिया ने जापान से आयात में ढील कर दी थी। 1960 के बाद से भारत के निर्यात में बहुत कमी आ गई जब से चीन, टाईवान, दक्षिणी कोरिया तथा हांगकांग ने आस्ट्रेलिया की मंडी में प्रवेश किया है।

(ख) 1957 में भारत ने आस्ट्रेलिया को 460 लाख मीटर के सूती कपड़े का निर्यात किया। उसके पश्चात 1960 तक उतना ही निर्यात रहा। 1961 के पश्चात से निर्यात में कमी होनी आरंभ हो गई तथा 1966 में यह 140 लाख मीटर रह गया।

(ग) जी हां।

(घ) घटिया किस्म के कपड़े सप्लाई करने के बारे में शिकायतों की जांच करने के सम्बन्ध में बम्बई की सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने एक शिकायत समिति पहले ही स्थापित कर दी है। वस्त्र समिति ने 1 दिसम्बर 1966 से बुनने की कमियों तथा परिमाण सम्बन्धी कमियों के अनिवार्य निरीक्षण की भी योजना लागू कर दी है। जो खरीददार विशेष विवरण

के बारे में जांच कराना चाहें वे भारत से निर्यात करने वालों से अपने समझौते में यह शर्त लगा सकते हैं तथा सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह निरीक्षण हो।

संयुक्त संयंत्र समिति को संविहित निकाय में बदलना

525. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त संयन्त्र समिति को एक संविहित निकाय में बदलने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब किया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : संयुक्त संयंत्र समिति के काम का निरीक्षण किया जाएगा और इसके कार्य संचालन को देखते हुये इसके भावी ढांचे के बारे में निर्णय किया जाएगा।

दिल्ली में ऊपरी तथा निचले पुल

527. श्री स्वैल :
श्री कोकर सिंह :
श्री आर० के० बिड़ला :
डा० कर्णी सिंह :
श्री कालाई बरुआ :
श्री पी० एन० सईद :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में कितने तथा कौन-कौन से ऊपरी तथा निचले रेलवे पुल बनाने का विचार है;

(ख) इस काम के लिये कुल कितनी राशि नियत की है;

(ग) क्या यह सच है कि निर्माण-कार्य अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) आवश्यक व्यौरा अनुबन्ध 'क' के विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 409/67]**

(ग) जी नहीं ;

(घ) सवाल नहीं उठता। रेल-प्रशासन योजनाएं शुरू करने के लिए तैयार है, बशर्ते वर्तमान नियमों के अनुसार दिल्ली प्रशासन पुल की लागत का अपना हिस्सा रेल-प्रशासन के पास जमा कर दे और पहुंच मार्गों पर अपने हिस्से का काम भी हाथ में ले ले।

4–अप आसाम मेल रेलगाड़ी की दुर्घटना

530. श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शारदा नन्द :
श्री प्र० के० देव :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री एच० पी० चटर्जी :
श्री डी० के० कुन्ते :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नी० रं० लास्कर :
श्री सूपकर :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री स्वैल :
श्री ब० का० भट्टाचार्य :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अप्रैल, 1967 को पूर्वोत्तर रेलवे के लुमडिंग–गौहाटी सेक्शन पर 4–अप आसाम मेल रेलगाड़ी की दुर्घटना हुई, जिसमें गाड़ी के सात डिब्बे पटरी से उतर गये;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे अथवा घायल हुए तथा इसमें कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जो गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हुई वह 4 डाउन असम डाकगाड़ी थी, न कि 4 अप असम डाकगाड़ी और यह दुर्घटना पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर हुई थी, न कि पूर्वोत्तर रेलवे पर ।

(ख) इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई । लेकिन 14 व्यक्तियों को चोटें पहुंचीं । रेल सम्पत्ति को लगभग 53,000 रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की जांच की और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

बिजली के मीटरों की बिक्री

531. श्री दी० चं० शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कुछ कारखाने केवल कच्चे माल की कीमत से भी कम कीमत पर बिजली के मीटर बेच रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लखपत और भुज के बीच रेलवे लाइन

532. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में चूने के पत्थर तथा लिग्नाइट के संसाधनों का लाभ उठाने की दृष्टि से लखपत को 100 मील लम्बी एक लाइन बिछा कर भुज से जोड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) आगामी चार वर्षों में गुजरात में नई रेलवे लाइनों को बिछाने के लिये रेलवे प्रशासन ने कुल कितनी राशि नियत की है; और

(ग) क्या सीमेंट का उत्पादन करने के लिये सौराष्ट्र में अनेक कारखाने स्थापित करने की काफी गुंजाइश है और रेलवे परिवहन की सुविधाओं का न होना इस सम्बन्ध में एक बड़ी बाधा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) लखपत से भुज तक रेलवे लाइन बिछाने का कोई विचार नहीं है।

(ख) चौथी योजना में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए अन्तिम रूप से लगभग 161 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ग) गुजरात सरकार ने इस मंत्रालय को यह नहीं बताया है कि रेल परिवहन के अभाव में राज्य में सीमेंट या किसी और चीज़ का कारखाना खोलने में उन्हें किसी किस्म की कठिनाई हो रही है। समुद्री-तट के निकट सीमेंट के कारखानों की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पोरबन्दर बंदरगाह को सभी मौसमों के लिए उपर्युक्त बंदरगाह बनाने के लिए भी कार्यवाई कर रही है।

औद्योगिक लाइसेंस का दिया जाना

533. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्व श्री नित्यानन्द कानूनगो, टी० टी० कृष्णमाचारी और मनुभाई शाह के वाणिज्य मंत्री के रूप में कार्य करने के दौरान कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये; और

(ख) प्रत्येक लाइसेंस विदेशी मुद्रा सहित कितनी राशि के लिये दिया गया था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सर्वश्री नित्यानन्द कानूनगो, टी० टी० कृष्णमाचारी तथा मनुभाई शाह के उद्योग मंत्री के कार्य-काल में जारी किए गए लाइसेंसों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसको एकत्र

करने में काफी समय तथा परिश्रम लगेगा। जारी किए गए लाइसेंसों का विवरण हर एक की जारी की जाने की तारीख इत्यादि की सूचना निम्नलिखित प्रकाशनों में उपलब्ध है :—

1. लिस्ट आफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंगस लाइसेंस्ड बाई दि सैन्ट्रल गवर्नमेंट अन्डर दि इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 1951 ड्यूरिंग दि पीरियड अप टू दि 31 दिसम्बर, 1957।

2. लिस्ट आफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंगस लाइसेंस्ड बाई दि सैन्ट्रल गवर्नमेंट अंडर दि इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 1951 ड्यूरिंग दि इयर 1958।

3. वीकली इंडियन ट्रेड जर्नल डायरेक्टर जनरल आफ कमर्शियल इन्टेलीजेंन्स, कलकत्ता (1 जनवरी, 1958 से आगे की अवधि में) द्वारा प्रकाशित।

4. वीकली बुटेलिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज़ इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंस (अक्तूबर, 1961 से आगे की अवधि के लिये) चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स द्वारा प्रकाशित, तथा

5. अक्टूबर, 1961 से आगे की अवधि के लिए वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्यिक प्रकाशन दिनेशक द्वारा प्रकाशित मासिक 'जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड।' उपर्युक्त सभी प्रकाशनों की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) लाइसेंस प्राप्त मामलों में लगी पूंजी के खर्च के बारे में आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए हैं और इसीलिए वे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

लघु उद्योगों का विकास

534. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में लघु उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकारों को राज्यवार कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने औद्योगिक बस्तियां बनाने के लिये ऋण भी मांगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को मंजूर किये गये इस प्रकार के ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 410/67**]

Rates of Levy and Royalty on Minerals in Bihar

535. Shri Bibhuti Mishra :
Shri Kamal Nath Tiwary :

Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government have sent a proposal to the Central Government to raise the rate of levy and royalty on minerals produced in Bihar; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of ~~State in the Ministry~~ of Steel, Mines and Metals (~~Shri P. C. Sethi~~) : (a) Yes, Sir.

(b) In view of the importance of the subject and the representations received from other State Governments and mineral industry, Government constituted a Study Group to study the question of royalty on minerals in all its aspects. The report of the Study Group has been recently received and the same has been circulated to all State Governments for ascertaining their views. Government will take a decision on receipt of the views of the State Governments.

टोकियो में 'इकाफे' की बैठक

536. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री आर० के० बिड़ला :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री एम० के० संघी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अप्रैल, 1967 को एशिया तथा सुदूर पूर्व के देशों के आर्थिक आयोग 'इकाफे' की बैठक टोकियो में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इसमें भाग लिया था;

(ग) इस सम्मेलन में क्या क्या मुख्य निर्णय किये गये; और

(घ) भारत को इससे कितना लाभ हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 411/67**]

Purchase of Railway Material By Australia.

537. **Shri Bibhuti Misra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri S. R. Damani :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Australian Government is exploring the possibility of purchasing railway equipments manufactured in India; and

(b) if so, the broad details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

सोवियत रूस के सहयोग से घड़ियों के कारखाने

538. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री मधु लिमये : **श्री वाई० एस० कुशवाहा**
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सोवियत रूस के सहयोग से घड़ियों के नये कारखाने स्थापित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सहयोग की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या इन कारखानों में चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में घड़ियों का निर्माण आरंभ हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। सोवियत सहयोग से घड़ियां बनाने के दो कारखाने स्थापित करने के लिये दो प्राइवेट पार्टियों को स्वीकृति दी गई है।

(ख) सहयोग की शर्तों की जांच की जा रही है।

(ग) आशा है कि इन कारखानों में चौथी योजना की अवधि में उत्पादन शुरू हो जायगा।

एकान्तर (आल्टर्नेटिव) शनिवारों को कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

539. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकान्तर शनिवारों को कपड़ा मिलों को बन्द करने का सभी मजदूर संघों ने विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण मामले पर पुनर्विचार करने का है;

(ग) क्या इसको निरुत्साहित किया गया है कि रूई का व्यापार कुछ लोगों के हाथों में ही हो; और

(घ) यदि हां, तो रूई की ऐसी गांठों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ख) : सरकार के पास मजदूर संघ की ओर से 10 अप्रैल, 1967 से प्रत्येक अवान्तर शनिवार को फाल्तु बन्द होने के बारे में कोई अभिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कपास की कमी तथा अनिवार्य रूप से बन्द होने में उदारता करने की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मामले पर पुनः विचार करने का अभी कोई सुझाव नहीं रखती।

(ग) और (घ) : मिलों द्वारा कपास के स्टॉकों को अपने पास रखने को सीमित कर देने तथा कपास के बारे में ऋण देने पर पाबन्दी लगाने तथा कपास को मांगना, कपास को कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही एकत्रित करने के विरुद्ध निरुत्साहन करने तथा इस वस्तु के छुपे भंडार को बाहर निकालने की कार्यवाही है।

देशी उत्पादों के मूल्य

540. श्री राम किशन गुप्त : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुण प्रकार तथा मूल्य दोनों ही दृष्टियों से देश में बनी हुई वस्तुएँ आयात की जाने वाली वस्तुओं की तुलना में नहीं ठहरती; और

(ख) यदि हां, तो उनके गुण प्रकार को सुधारने तथा मूल्य कम करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं। जहां तक उपभोग्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, हम पाश्चात्य देशों तथा जापान से मुकाबला करके निर्यात क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ उपभोग्य वस्तुओं के मामले में देश में उत्पादित वस्तुएँ आयातित वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर सकतीं जिसका कारण कुछ कमियां हैं जैसे उत्पादन का परिमाण, मांग, क्षमता, नमूने तथा आधुनिकरण आदि जिनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। गैर उपभोग्य वस्तुएँ जैसे, मशीनी औजार, भट्टीयां, काटने वाले औजार, सीमेंट के संयंत्र, चीनी संयंत्र इत्यादि के मामले में देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य या किस्म में आयातित वस्तुओं से भली प्रकार तुलना की जा सकती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेलगाड़ियों का देर से चलना

541. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता क्षेत्र में बिजली से चलने वाली उपनगरीय रेलगाड़ियों के यात्री बार-बार यह शिकायत करते रहे हैं कि पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेलगाड़ियां देर से चलती हैं तथा गाड़ियों की संख्या भी कम है;

(ख) क्या इन शिकायतों की ओर ध्यान दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। कलकत्ता क्षेत्र के पूर्व रेलवे भाग में गाड़ियों के देर से चलने और उपनगरीय गाड़ियों की संख्या में कमी की कुछ शिकायतें मिली हैं। अभी तक दक्षिण-पूर्व रेलवे पर बिजली की उपनगरीय गाड़ियां नहीं चलायी गयी हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे माग पर गाड़ियों का संचालन सामान्यतः सन्तोषजनक रहा है । इसी तरह, पूर्व रेलवे पर जनवरी से अप्रैल, 1967 के दौरान उपनगरीय गाड़ियों के संचालन के विश्लेषण से पता चला है कि अप्रैल, 1967 को छोड़कर इन गाड़ियों का संचालन सन्तोषजनक रहा । ऊपरी कर्षण तारों, संचार केबलों, सिगनल के सामानों और बिजली, उपस्कर की चोरी व यात्रियों के प्रदर्शनों, रेल कर्मचारियों पर हमलों की वारदातें बढ़ जाने तथा ख़तरे की जंजीर को बार-बार खींचने आदि की घटनाओं के कारण अप्रैल, 1967 में उपनगरीय गाड़ियों के संचालन की स्थिति बिगड़ गयी थी । मार्च, 1966 में बिजली के 12 बहुएकक सवारी-डिब्बे जला दिये गये थे, जिसके कारण कुछ खण्डों पर उपनगरीय गाड़ियों के संचालन में कटौती करनी पड़ी थी । पश्चिम बंगाल सरकार से तारों आदि की चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में सहायता देने तथा राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए कहा गया है ।

रेलवे में चीफ ड्राफ्ट्समैनों की भर्ती

542. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963 में भारतीय रेलवे के जनरल मैनेजरों को आदेश दिया गया था कि चीफ ड्राफ्टसमैन बाहर से भर्ती न किए जायें अपितु कार्य कर रहे व्यक्तियों की पदोन्नति करके इन पदों को भरा जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह आदेश अब भी लागू है;

(ग) क्या 1964 और 1965 में इस आदेश का उल्लंघन किया गया था कलकत्ता में पूर्व रेलवे के विद्युत विभाग में चीफ ड्राफ्टसमैन बाहर से भर्ती किये गए थे; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : जी हाँ ।

(ग) और (घ) : रेलवे बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से दो उम्मीदवार 1964 में और एक 1965 में बाहर से नियुक्त किये गये, क्योंकि इन दोनों अवसरों पर निचले ग्रेडों के पात्र कर्मचारियों में से उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे ।

रेलवे की परिचालन-लागत

543. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री कंवरलाल :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे की बढ़ती हुई परिचालन लागत को कम करने के लिये किसी संभावना पर विचार किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर परिचालन लागत की समीक्षा और नियंत्रण लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। क्षेत्रीय रेल प्रशासन और रेल मंत्रालय दोनों ही कुशल और पर्याप्त गाड़ी सेवाएं चालू रखने के साथ-साथ लागत को न्यूनतम रखने की कार्रवाई कर रहे हैं। देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के संदर्भ में परिचालन लागत पर नियंत्रण रखने की और भी ज्यादा जरूरत है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय प्रशासनों को कई निदेश जारी किये हैं।

यद्यपि खर्च के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर रेल प्रशासन कुछ नियंत्रण रख सकते हैं, जैसे नियोजित कर्मचारियों की संख्या, इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और अन्य सेवाओं की मात्रा आदि पर खर्च की बहुत सी मदें ऐसी हैं जो रेलवे के नियंत्रण से बाहर हैं जैसे समय-समय पर स्वीकृति मंहगाई भत्ते की दरें, रेल परिचालन में कोयला, सीमेंट, इस्पात आदि प्रायः इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की कीमत या इस तरह की सामग्री कर लगाये जाने वाले बिक्री कर, उपकर और सीमा शुल्क की दरें, जिनमें परिवर्तन होने से रेल परिचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब इनमें किये जाने वाले परिवर्तन बहुत अधिक होते हैं या एक के बाद एक शीघ्रतापूर्वक किये जाते हैं तो परिचालन लागत को उनके प्रभाव से बचा पाना असम्भव हो जाता है।

स्थिर मूल्यों के आधार पर अर्थात् यदि मजूरी और कीमतों में बढ़ती के प्रभाव को न गिना जाए तो प्रति दस लाख कुल मीटरिक टन किलोमीटर और प्रति दस लाख यातायात इकाइयों के अनुसार परिचालन लागत हाल के वर्षों में कम हुई है, जिसका कारण यह है कि कम खर्च में अधिक काम निकालने का प्रयास किया गया है। प्रति दस लाख गाड़ी किलोमीटर या प्रति दस लाख कुल मीटरिक टन किलोमीटर के हिसाब से कर्मचारियों की संख्या भी इन वर्षों में कम हुई है।

लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को पश्चिम जर्मनी से सहायता

544. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री**, भारत में लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को पश्चिम जर्मनी से सहायता सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे और यह बतायेंगे कि पश्चिमी जर्मनी की सरकार की ओर से विकासोन्मुख देशों की सहायता के बारे में छानबीन करने वाले पुर्ननिर्माण तथा ऋण निगम के विचार क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : भारत सरकार को छोटे और मझोले उद्योगों की सहायता करने के बारे में पश्चिमी जर्मनी से कोई

भी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गई है। अतः इस रिपोर्ट पर पुर्ननिर्माण तथा ऋण निगम का द्रष्टिकोण जानने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन

545. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दामानी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री रा० बरुग्रा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की प्रबन्ध व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका व्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताविक परिवर्तन कब तक किए जाने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के भावी संगठन के समूचे प्रश्न पर आजकल विचार किया जा रहा है। 1962 से पहले छः पूर्णकाल निदेशक थे बाद में इनकी जगह अंशकाल निदेशक नियुक्त किये गये। इसके अतिरिक्त 1963 में और भी प्रमुख परिवर्तन किए गये। सरकारी उपक्रम-समिति (Committee on Public Undertakings) ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है और कुछ शिफारिशें की हैं। प्रशासकीय सुधार आयोग भी इस मामले पर विचार कर रहा है। आयोग ने केवल इसी कार्य के लिए एक स्टडी ग्रुप नियुक्त किया है। मैं संगठन के ढांचे के बारे में सरकारी क्षेत्र के कारखानों के प्रमुख प्रबन्धकों से भी बातचीत करूँगा। विशेषकर इस बात पर कि क्या प्रत्येक कारखाने के लिए अलग-अलग कम्पनी बनाई जा सकती है और यदि हाँ तो क्या समन्वय का काम सब कम्पनियों का एक ही अध्यक्ष नियुक्त करने से हो सकता है इस बारे में प्राप्त हुए विचारों की रोशनी में शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश और पंजाब में नई रेलवे लाइन

546. **श्री एन० एस० शर्मा :**
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उन राज्यों की नई रेलवे लाइनें सम्बन्धी कुछ परियोजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) कुल मिलाकर चौथी योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

रेलवे सैलून

547. **श्री रणजीत सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन पदों के अधिकारी रेलवे सैलूनों का प्रयोग कर सकते हैं;

(ख) प्रत्येक रेलवे के प्रत्येक डिवीजन जिला में ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस समय कुल कितनी सैलून कारें प्रयोग में लाई जा रही हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Trains Running With Diesel Locomotives

548. **Shri Sidheshwar Prasad** : will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of trains running with diesel engines in April, 1967 ;

(b) the additional diesel locomotives which would be made available for trains during the next one year ; and

(c) the number of diesel locomotives being manufactured every year ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The total number of trains run with diesel engines during April, 1967 was 28973.

(b) 93 and 115 additional diesel locomotives would be made available for trains during 1967-68 and 1968-69 respectively.

(c) In 1966-67, 55 diesel locomotives were manufactured and in 1967-68, 72 diesel engines are expected to be delivered.

Khadi Gramodyog Bhavans

549. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that because of decline in the sale of Khadi, huge stocks thereof have accumulated in the Khadi Gram Udyog Bhavans ; and

(b) if so, the steps being taken to save these Bhavans from this crisis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) and (b) The required information is being collected and it will be placed on the Table of the House.

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य

550. श्री जनार्दनन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अदीचन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1950 से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं तथा देश में आयात किये जाने वाले समान का यूनिट मूल्य सूचकांक तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : आयात तथा निर्यात के सम्बन्ध में औसत यूनिट मूल्य के सूचकांक नीचे दिये हुए हैं:–

वर्ष	निर्यात	आयात
	आधार 1952-53=100	
1954-55	98	89
1955-56	90	87
1956-57	94	91
1957	94	98
1958	93	92
	आधार 1958=100	
1959	100	93
1960-61	110	96
1961-62	109	98
1962-63	106	94
1963-64	105	97
1964-65	107	99
1965-66	113	104

Theft of Silver from III Class Compartment of Delhi-Ahmedabad Janata Express

551. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 17 Kilograms of Silver was stolen from a third class compartment of Ahmedabad Janta Express at Delhi Junction on or about the 3rd April, 1967;

(b) if so, the name of the place from where this silver was brought; and

(c) the action taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Yes, the incident took place on 1-4-67. According to police report the silver was brought by the complainant from his shop in Chandni Chowk, Delhi for taking it to Ajmer.

(c) Government Railway Police, Delhi has registered a case under Section 379 I. P. C. and vigorous investigations are in progress.

Goods Trains Accident between Upalwai and Sirnapalli Stations

552. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a goods train met with an accident between Upalwai and Sirnapalli stations on the South-Central Railway (Metre gauge) as reported in the Hindustan dated the 13th December, 1966;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) Yes. The accident occurred on 11.12.1966.

(b) The accident was due to uneven loading of a wagon,

(c) Suitable disciplinary action is being taken against the staff held responsible.

Air-Conditioned Trains

553. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of air-conditioned trains introduced since 1st April, 1967;

(b) the income likely to accrue to Government as a result thereof; and

(c) the number of persons likely to be benefited as a result thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) With effect from 1. 4.67 a weekly Air-conditioned express train each on Bombay-Madras, Madras-Howrah and Howrah-Bombay (Via Nagpur) routes has been introduced and the frequency of the bi-weekly New Delhi-Amritsar Air-conditioned Express has been increased to triweekly.

(b) Accounts are not separately maintained for individual trains.

(c) Approximately 3,600 passengers per week.

खेत्री की तांबा खानों में लगी हुई पूंजी

554 : **श्री हिम्मतसिंह :**
श्री मद्दी सुदर्शनम :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेत्री (राजस्थान) की तांबा खानों में अब तक लगी कुल पूंजी का कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है और प्रारम्भ में इसमें कितनी पूंजी लगाने का प्राक्कलन था; और

(ख) क्या इस प्राक्कलन में परिवर्तन किया गया है तथा यदि हां, तो नवीनतम प्राक्कलन के अनुसार वस्तुत: कितनी धनराशि निश्चित की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) मार्च 1967 के अन्त तक खेतरी की खानों में लगभग 7.00 करोड़ रुपये व्यय किये गये । पहले खेतरी तांबा परियोजना से 21,000 टन विद्युदांशिक तांबा प्रति वर्ष उत्पादन करने के लिये 24.44 करोड़ रुपये की व्यय का अनुमान था ।

(ख) हां, महोदय । बढ़ाई गई परियोजना पर संशोधित पूंजि-लागत का अनुमान 78,524 करोड़ रुपये है । अब इस परियोजना के अंतर्गत 31000 टन तांबा धातु प्रति वर्ष पैदा होगा—21,000 टन खेतरी से और 10,000 टन कोलिहान के अयस्क से । इसके साथ साथ गंधक का तेज़ाब और 2,29,500 ट्रिपल सुपरफोस्फेट उर्वरक भी उत्पादित किये जायेंगे ।

Murder of U. P. M. L. A.

555. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 344 on the 7th April, 1967 and state :

(a) whether the investigation into the Darbari Lal, M. L. A. murder case by the Railway Police and C. I. D. has since been completed;

(b) whether the cause and motive of the murder had been detected; and

(c) if so, the details thereof and the action taken against the persons concerned ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Not yet.

(c) Two persons who have since been arrested in this case, are awaiting indentification parade.

Arrest At Dimapur Station

556. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 300 on the 31st March, 1967 and state.

(a) whether the investigation in the case of two persons who were found loitering in a suspicious manner at Dimapur Railway Station has since been completed; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Not yet

(b) Does not arise.

Manufacture of Refrigerators

557. Shri Onkar Singh: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of refrigerator manufacturing companies in India at present, the number of refrigerators being manufactured each year and the amount of foreign exchange expended each year on the import of machine parts like sealed compressors for manufacturing the same; and

(b) the time by which refrigerators would be manufactured with all the indigenous parts ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed): (a) There are at present five units borne on the registers of the Directorate General of Technical Development manufacturing domestic refrigerators in the country. Their total production during 1965, 1966 and 1967 (January-March) has been 31,431 Nos., 38,214 Nos. and 10, 200 Nos. (estimated) respectively. The allocation of foreign exchange to this industry during the past three years has been Rs. 10. 6 lakhs, Rs. 2. 6 lakhs and Rs. 14.7 lakhs and this is mainly for the import of raw materials like copper tubes, bundy tubes, special steel, starting and overload relays, components for sealed compressor like beads, sealed terminals etc. and freon gas. No foreign exchange has been allocated for the import of sealed compressors as the same is manufactured indigenously.

No figures are available in respect of the Small Scale Sector.

(b) Practically all the refrigerator manufacturers are manufacturing their own sealed units and other components like evaporators, condensors etc. In addition, thermostatic controls are also available from indigenous sources. The self sufficiency in respect of manufactures of components for domestic refrigerators has almost been achieved during the Third Plan period except for the starting and overload relays, which are also expected to be manufactured indigenously in about a year.

New Railway line in U. P.

558. Shri Onkar Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total length of existing railway lines in Uttar Pradesh and the additional lines proposed to be laid in that state during the Fourth Plan period; and

(b) whether there is any scheme to lay a broad gauge line between Budaun and Chandausi ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Information about length of Railway lines is not compiled State-wise, but Railway-wise; However, it has been assessed that the total lenth of railway lines of all gauges in Uttar Pradesh is about 8600 Kms. As the proposals of new lines to be constructed during the Fourth Plan have not been finalised yet, it is too early to say which, if any, new lines will be constructed in Uttar Pradesh during the Fourth Plan period.

(b) No.

Prices of Cloth

559 Shri Onkar Singh :
Shri Rane :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the number of times the prices of cloth, particularly the controlled cloth, were enhanced during the last two years and the extent of increase effected ?

The Deputy Ministry in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : In the last two years the prices of controlled cloth viz. sarees, dhoties, shirting, long-cloth and drill have been revised four times so as to account for the increases in the cost of production of such cloth. The extent of increase in ex-mill prices in the different cloth groups was as under :

Date of Revision	Extent of increase in ex-mill price
1st November, 1965	1.38 ·/. to 5·/..
1st April, 1966	About 2·/. in respect of coarse and medium categories, and 7 to 11 percent in the fine and superfine categories.
1st October, 1966	6·/.
15th April, 1967	4·5·/.

The prices of other varieties of cloth are not controlled.

लेखा विभागों में विद्युत चालित संगणक

560 : डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कालिता :
श्री रामचरण :
श्री अ० क० गोपालन
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० रमानी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या जोनल रेल के रेलवे लेखा विभागों में मशीनों से हिसाब किताब करने के लिये विद्युत चालित संगणक लगाये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किन किन केन्द्रों में संगणक लगाये गये हैं,

(ग) क्या ये मशीनें किराये पर ली गई हैं अथवा सीधी खरीदी गई हैं तथा विदेशी मुद्रा समेत प्रत्येक संगणक पर कितना-कितना व्यय हुआ है, और

(घ) हिसाब किताब करने में मशीनों के प्रयोग से कितने कर्मचारी फालतू हो जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में एक इलेक्ट्रानिक संगणक लगाया गयाहै ।

(ग) संगणक किराये पर लिया गया है । उत्तर रेलवे में लगाये गये संगणक का किराया चालू विनिमय दर के अनुसार लगभग 48,500 रुपये प्रति मास है । भुगतान केवल भारतीय रुपयों में किया जाता है ।

(घ) यांत्रिकीकरण से वाणिज्य और परिचालन सम्बन्धी सांख्यिकीय सूचना प्राप्त करने के काम में सुधार और इनके क्षेत्र का विस्तार हुआ है । साथ ही इससे यातायात राजस्व लेखा और संख्यान संबंधी काम संघटित हो गये हैं । काम की वर्तमान मात्रा को देखते हुए मशीन से लेखा तैयार करने के फलस्वरूप उत्तर रेलवे के लेखा विभाग में कर्मचारियों की संख्या में अनुमानतः 146 की बचत हुई है और यह बचत संगणक की लागत से अधिक है ।

इसके अलावा मशीनों द्वारा गलतियां और अवप्रभार के मामले पकड़े जाने और स्टेशनों से उसकी वसूली में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

कोयला साफ करने के कारखानों की स्थापना

561. **डा० रानेन सेन:** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अत्यधिक लागत पर कोयला साफ करने के नये कारखाने लगाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि साफ किये हुये कोयले का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसकी मांग अपेक्षाकृत कम है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) चौथी योजना काल के क्षमता कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर धुले हुए कोयले की जो आवश्यकताएं उत्पन्न होंगी उन्हें पूरा करने के लिये नई धावनशालाएं स्थापित करने का विचार है । उस पर आने वाली अनुमानित लागत का सम्बन्ध क्षमता से तथा कीमतों की सामान्य बढ़ती से है ।

(ख) और (ग) : कभी-कभी धुले हुए कोयले की सप्लाई और मांग में अस्थाई असमानताएं होती हैं । इस समय धुले हुए कोयले का कोई अतिरेक नहीं ।

कच्चे माल की कमी

562. **डा० रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कुछ उद्योगों में मन्दी का कारण कच्चे माल की सप्लाई तथा भारत सरकार से अचानक कम आर्डर मिलना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कठिनाइयों का सामना करने के लिये सरकार का विचार उद्योगों की क्या सहायता करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : उदार की गई आयात नीति के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, जो देश में औद्योगिक उत्पादन का अधिकांश भाग तैयार करते हैं, को अपनी पूरी क्षमता में उत्पादन करने के लिए कच्चे माल पुर्जों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिए मंजूरी दी जा रही है । यहां तक कि गैर-प्राथमिकता वाले ऐसे उद्योगों को भी 90 प्रतिशत तक के साख पत्र खोल कर अथवा वास्तव में 60 प्र०श० आयात करके पिछले आयात लाइसेंस का इस्तेमाल करने के पश्चात् अपनी छः महीने के लिये कच्चे माल, पुर्जों तथा फालतू पुर्जों का आयात करने के लिये आवेदन पत्र देने की स्वीकृति दी गई है ।

फिर भी माल गाड़ी के डिब्बे का निर्माण, हल्के तथा भारी ढांचे, बायलरों, गंधक का तेजाब, हाईड्रोजन पेराक्साइड, फार्मलडीहाइड आदि ऐसे उद्योग हैं जिन्हें मांग में अस्थायी कमी,

कच्चे माल की कमी तथा आन्तरिक समस्याओं के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । अनुमान किया जाता है कि उत्पादन कार्यक्रम में विविधता लाने और जिन कच्चे माल की आवश्यकता होती है उन्हें आसानी से उपलब्ध करने के लिये इन उद्योगों की क्षमता का और अधिक इस्तेमाल कर सकना संभव हो सकेगा ।

कनाडा के साथ व्यापार

563. डा० रानेन सेन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री मनीभाई जे० पटेल :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री एस० आर० दमानी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा कनाडा के बीच आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिये अप्रैल 1967 के मध्य में कनाडा के एक गैर-सरकारी दल ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो समझौते का स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां । प्रतिनिधि मंडल यद्यपि गैर-सरकारी व्यक्तियों का था परन्तु इसके नेता श्री आर० आर० लौफमार्क थे जोकि ब्रिटिश कोलम्बिया में औद्योगिक विकास, व्यापार तथा वाणिज्य मंत्री हैं ।

(ख) और (ग) : सरकारी स्तर पर कोई समझौता दृष्टिपात नहीं है । प्रतिनिधि मंडल की सरकारी अधिकारियों तथा व्यापारियों से जो बात हुई वह भारत तथा ब्रिटिश कोलम्बिया के बीच व्यापार तथा साझा कार्य में अधिक सहयोग बढ़ाने में खोज करने के बारे में थी ।

रेलवे यार्डों का पुर्निर्माण

564. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में खुर्दा रोड़, भुवनेश्वर और कटक स्टेशनों के रेलवे यार्डों के पुर्निर्माण के लिये कुछ धन नियत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक यार्ड के लिये कितना धन नियत किया गया है ; और

(ग) इसमें क्या प्रसार तथा सुधार करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : खुर्दा रोड़ यार्ड का विस्तार खुर्दा रोड़-भुषुण्डपुर के बीच दोहरी लाइन बिछाने के एक अंग के रूप में किया जा रहा है

और इस काम पर 80.70 लाख रुपये की लागत आयेगी। 1967-68 में इसके लिए 30.00 लाख रुपये के खर्च की व्यवस्था की गयी है। कटक और भुवनेश्वर के यार्डों के ढांचे में परिवर्तन के लिए 1967-68 में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

(ख) खुर्दा रोड में सुधार और विस्तार के निम्नलिखित काम करने का विचार है :–

(i) 1, 375; फीट लम्बा एक अतिरिक्त द्वीप प्लेटफार्म ;

(ii) दो वर्तमान प्लेटफार्मों का 1,375 फुट की लम्बाई तक विस्तार ;

(iii) नये प्लेटफार्म को मिलाने के लिए एक नया ऊपरी पैदल पुल ;

(iv) नये द्वीप प्लेटफार्म पर केन्द्रीय रेल मानक टाइप की यात्री प्लेटफार्म की छत ;

(v) 3 अतिरिक्त माल आदान लाइनें, छटाई लाइनें तथा शंटिंग ग्रीवा।

उड़ीसा में रेलवे होस्टल

565. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रेलवे होस्टलों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) उड़ीसा में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए कितने रेलवे होस्टल इस समय हैं ; और

(ग) उन होस्टलों में रहने वालों की कुल संख्या कितनी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) एक आर्थिक सहायता प्राप्त छात्रावास (कटक में)।

(ग) 31.3.1967 को इनकी संख्या 49 थी।

पूर्व रेलवे, आसनसोल के सिगनल विभाग में छंटनी

566. **श्री देवेन सेन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे, आसनसोल, जिला बर्दवान के सिगनल विभाग के 30 कर्मचारियों की छंटनी 19 अप्रैल, 1967 को अथवा उस तिथि से कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि छंटनी किये गये अधिकांश व्यक्ति 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष से अधिक समय से रेलवे सेवा में काम करते रहे हैं ;

(घ) उन्हें तत्काल बहाल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) क्या पूर्व रेलवे, आसनसोल में, विशेषत: इंजन साफ करने वाले सैक्शन, सवारी तथा माल डिब्बा विभाग और यातायात विभाग में और अधिक लोगों की छंटनी करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली और राजस्थान के बीच मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलना

567. **श्री आर० के० बिड़ला :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और राजस्थान के बीच मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा): (क) और (ग) : जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण

568. **श्री आर० के० बिड़ला :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मधु लिमये :
श्री विभूति मिश्र :
श्री पी० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री बी० एस० शर्मा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० रमानी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारा इस्पात कारखाने के निर्माण सम्बन्धी योजना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) कारखाने का निर्माण कब आरम्भ होगा और इस योजना पर अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ; और

(ग) पिछले एक वर्ष में अनुमानित लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के लिए सोवियत संघ द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन के 29 मार्च 1966 को स्वीकार कर लेने पर बोकारो स्टील लिमिटेड ने सोवियत संगठनों के साथ रूस से उपकरणों आदि की सप्लाई के लिए, कारखाने के निर्माण के लिए सोवियत विशेषज्ञों को भारत भेजने और भारतीय प्रशिक्षार्थियों को रूस भेजने, कार्यकारी नक्शे तथा भारत में बनाए जाने वाले ढांचे और मशीनों तथा उपकरणों के डिजाइन की पूर्ति के बारे में करार किये हैं। निर्माण सम्बन्धी उपकरणों के भारतीय संभरण कर्ताओं को आर्डर देने के अलावा चेकोस्लावाकिया से शंटिंग लोको मोटिव के आयात के लिए तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में जिनमें रूस भी शामिल है,

से निर्माण कार्य में काम आने वाले केनों के आयात के लिए करार कर लिए गये हैं। कारखाने के रूपांकन तथा इंजीनियरी के ऐसे सारे काम के लिए जो रूसी क्षेत्र से बाहर हैं मेसर्स एम० एन० दस्तूर को सौंपा गया है। देश से प्राप्त किए जाने वाले साज सामान और उपकरणों की सूचियां भी तैयार करली गई है । संयंत्र और उपकरणों के भारतीय संभरण कर्त्ताओं प्रधान तथा हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को औपचारिक रूप से आर्डर देने से पहले ही सोवियत संघ से प्राप्त डिजाइन दे दिये गये हैं और उनसे कह दिया गया है कि वे सामान तैयार करना शुरू कर दें । अप्रैल 1967 के अंत तक, रूस से 10,314 मीटरी टन उपकरण पाइप और दूसरा सामान कार्य-स्थल पर पहुँच चुका था। कार्यकारी ड्राइंग, तकनीकी दस्तावेज और डिजाइन एसाइनमेन्ट्स भी प्राप्त हो रहे हैं । कारखाने के स्थल को समतल करने का 95 प्रतिशत काम, कन्स्ट्रकशन यार्ड का 99 प्रतिशत मिट्टी का काम और गर्ग बांध के निर्माण कार्य का 98 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है । कन्सट्रक्शन यार्ड में 9.5 किलो मीटर। 9.00 किलो मीटर रेल की पटरी के बिछाने, जोड़ने का काम पूरा हो गया है। भवनाथपुर और कुटेश्वर की चूना पत्थर की खानों के विकास के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रगति कर रहा है। प्रायोजना के लिए आवश्यक 31,254 एकड़ भूमि में से 17,563 एकड़ भूमि अप्रैल 1967 तक प्राप्त की जा चुकी थी। कारखाने के समस्त सिविल इंजीनियरी तथा स्ट्रकचरल कार्य के लिए हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन पलिमिटेड को ठेका दिया गया है । सिविल इंजीनियरी के काम के लिये टेन्डर शीघ्र ही पूरे किये जाने वाले हैं । इस्पात के ढ़ांचों के निर्माण और कारखाने को खड़ा करने के टेन्डर मांगे गये हैं ।

बोकारो टाउनशिप में 600 अस्थायी मकान, 500 श्रमिकों के आवास, एक अतिथिशाला; एक 50 कमरों वाले हॉस्टेल, 992 स्थायी मकान, एक 50 बिस्तर वाले अस्पताल, कार्यालय के लिए कुछ अस्थायी भवन, सोवियत विशेषज्ञों के लिए बी० टाइप के 24 मकान और 200 कमरों के बोकारो होटल की बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है । 756 के लगभग दूसरे स्थायी मकानों का निर्माण प्रायः पूर्ण हो चुका है। 1966-67 के लिए स्वीकृत किये गये 2520 और मकानों जिनमें सोवियत विशेषज्ञों के 300 सी० टाइप मकान भी शामिल हैं और इनके साथ-साथ सरकारी इमारतों और सबन्धी सेवाओं के निर्माण का कार्य भी प्रगति कर रहा है ।

(ख) स्थल को समतल करने का काम तथा दूसरे मिट्टी के काम लगभग पूरे हो गये हैं । वर्षा ऋतु के बाद जल्दी ही-अर्थात् अक्टूबर 1967 में नीव भरने तथा सिविल इंजीनियरी के कार्य शुरू कर दिये जायेंगे । 31 मार्च 1967 तक बोकारो स्टील लिमिटेड ने बोकारो प्रायोजना पर 382 मिलियन रुपये खर्च किये हैं ।

(ग) मार्च 1966 में, जब विस्तृत सोवियत प्रायोजना प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया गया था, बोकारो स्टील ने प्रायोजना के प्रथम चरण पर 6265 मिलियन रुपये खर्च आने का अनुमान लगाया था । 1966–67 में रुपये के अवमूल्यन के कारण आयात किये जाने वाले साज सामान के मूल्य में वृद्धि हो जाने के अतिरिक्त लागत के मूल अनुमानों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत लागत में कमी करने के उद्देश्य से किये अध्ययन के फलस्वरूप प्रथम चरण की लागत के अनुमानों में लगभग 114 मिलियन रुपये की कमी हुई है । अवमूल्यन के पश्चात् और सोवियत संगठनों के साथ लागत में कमी करने के प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से विचार

करने के बाद सरकार ने नवम्बर 1966 में केवल संयंत्र की 6200 मिलियन रुपये की लागत के अनुमान को स्वीकार कर लिया है जिसमें आफसाइट सुविधाओं की लगभग 500 मिलियन रुपये की लागत शामिल नहीं है और जिनके लिए सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किये जाने हैं।

रबड़ का मूल्य

569. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जनार्दनन :
श्री पी० सी० अदीचन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के छोटे रबड़ उत्पादकों ने कच्चे रबड़ के उचित दाम मांगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) प्रशुल्क आयोग से कच्ची रबड़ के उत्पादन की लागत के बारे में पता लगाने तथा उसके लिये उचित मूल्य का सुझाव देने के बारे में कहा है। उनकी सिफारिशें प्राप्त होने के बाद उचित कार्यवाही की जायेगी। यह सिफारिशें मई 1967 के अन्त तक आने की संभावना है।

समवाय अधिनियम

570. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री शारदा नंद :
श्री जे० बी० सिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समवाय अधिनियम में संशोधन करने का है जिससे कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को धन दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके;

(ख) क्या संथानम समिति द्वारा इस सम्बन्ध में की गई सिफारिश पर सरकार ने कोई विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) सिफारिश स्वीकार योग्य नहीं पाई गई।

उड़ीसा में नई रेलवे लाइनें

571. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

श्री हेम बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में उड़ीसा में कोई नई रेलवे लाइनें बिछाने का विचार है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने रूरकेला से तलचर तक कोई नई रेलवे लाइन बिछाने का सुझाव दिया है और क्या सरकार ने इस बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ग) क्या कटक से पारादीप तक रेलवे लाइन बिछाने के लिये इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) अतीत में की गयी जांच से पता चला है कि इस लाइन का आर्थिक दृष्टि से औचित्य नहीं है ।

(ग) अभी नहीं ।

रद्दी लोहे के निर्यात पर प्रतिबन्ध

572. श्री के० आर० गणेश :
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री ए० पी० चटर्जी :
श्री डी० के० कुन्ते :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री य० का० भट्टाचार्य :

क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रद्दी लोहे के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) देश में इंजीनियरिंग उद्योगों को प्रति वर्ष कुल कितने रद्दी लोहे की आवश्यकता पड़ती है ; और

(घ) वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 में क्रमशः कुल कितना तथा कितने मूल्य के रद्दी लोहे का निर्यात किया गया था ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । फिर भी यह बताया जाता है कि ऐसा स्क्रैप निर्यात करने की अनुमति दी जाती है जो हमारी आवश्यकताओं से अधिक होता है और जो साधारणतया हमारी भट्टियों में इस्तेमाल नहीं होता ।

(घ) (1) 1965-66 : 4,46,429 टन कीमत लगभग 550 लाख रुपये हैं ।

(जहाज तक निष्प्रभार)

(2) 1966-67 (जनवरी 1967 तक) 4,51,514 टन मूल्य लगभग 745 लाख रुपये (जहाज़ तक निष्प्रभार)

बिड़ला समवाय समूह

573. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक लाइसेंसों में बिड़ला समवाय समूह द्वारा प्राप्त किये गये बड़े भाग के बारे में योजना आयोग के श्री हज़ारी द्वारा किये गये अध्ययन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या बिड़ला समूह द्वारा किये गये विभिन्न कदाचारों और अनियमितताओं तथा इन लाइसेंसों को प्राप्त करने में उनके द्वारा प्रयोग किये गये अनुचित तरीकों की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ग) क्या बिड़ला समवाय समूह के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या इनमें से कुछ फर्मों को इन अनियमितताओं और कदाचारों के आधार पर काली सूची में रखा गया है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) और (घ) का उत्तर नकरात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने बिड़ला समूह को दिए गए लाइसेंसों की संख्या के बारे में डा० हज़ारी के प्रतिवेदन में दिय गए निर्णयों को नोट कर लिया है ।

(ख) बिड़ला समूह द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बरती गई किसी भी अनियमितता अथवा कदाचार का कोई विशिष्ट उदाहरण सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

जमालपुर स्टेशन पर रेलवे सम्पत्ति की चोरी

574. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या रेलवे मंत्री 26 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3468 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमालपुर में रेलवे सम्पत्ति अर्थात् स्क्रेप, तांबे की प्लेटों तथा स्क्रेप बेंचों की चोरी के बारे में पुलिस द्वारा की जा रही जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : जमालपुर की सरकारी रेलवे पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409/406/379/411/34/109/119 और रेलवे भण्डार (अनधिकृत कब्जा) अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन ठेकेदार और अन्य 6 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र पेश कर दिये हैं। इस मामले में शामिल 3 रेल-कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है। अभी मुकदमा चल रहा है।

अशोक मार्केटिंग लिमिटेड

575. **श्री ए० मो० बनर्जी** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री 7 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 780 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यस्थ ने अशोक मार्केटिंग लिमिटेड को अमरीकी खरीददारों के साथ हुए सौदे में हुई 733,758 डालर की हानि के प्रश्न पर अपना निर्णय दे दिया है ;

(ख) समवाय अधिनियम की धारा 237 (ख) और 249 (1) (क) तथा लेख याचिका और कलकत्ता उच्चन्यायालय में अपीलों के अधीन कम्पनी के कार्यों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल किस अवस्था में है; और

(ग) क्या इस कम्पनी से सम्बन्धित पंच निर्णय, लेख, अपीलों के निपटान में विलम्ब हुआ है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं, श्रीमान्, सरकार का विचार है कि कम्पनी ने गत जनवरी को मध्यस्थता का कार्य भारतीय वाणिज्य मंडल कलकत्ता, के हवाले किया था। मंडल के, मध्यस्त का कार्य स्वीकार करने के पश्चात्, कम्पनी ने अपने केश का विवरण मध्यस्थों के पास भेज दिया। मध्यस्थों ने संयुक्त राज्य पक्ष के पास, विवरण की कापी, उनका उत्तर प्राप्त करने के लिये भेज दी है। यह अधिगम्य है कि संयुक्त राज्य पक्ष के उत्तर के प्राप्त होते ही, मामले की सुनवाई निश्चित की जायेगी।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की दोनों धाराओं, 237 (ख) तथा 249 के अधीन जांच आदेश दिये गये थे। कम्पनी द्वारा लिखित याचिका फाइल करने पर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, धारा 237 (ख) के अन्तर्गत पारित आदेश की पुष्टि कर दी, परन्तु कम्पनी अधिनियम की धारा 249 के अधीन आदेश से संबन्धित लिखित याचिका मंजूर कर ली। कम्पनी ने इस आदेश के विरूद्ध अपील को अधिमान्यता दी। इस सम्बन्ध में कम्पनी विधि बोर्ड ने प्रति-आपत्ति फाइल कर दी है। केस अभी तक, कलकत्ता उच्च न्ययालय की अपीलीय बैंच में अनिर्णीत है।

(ग) इस मामले में सरकार से कोई भी राय प्रगट करने की आशा कठिनता से ही की जा सकती है ।

मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी

576. **श्री मधु लिमये :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० राममनोहर लोहिया : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर के संबंन्ध में यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय कार्य विभाग ने सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत जब्त की गई पुस्तकों तथा अन्य उपलब्ध सामग्री के आधार पर मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी की निर्यात कर्त्ता कम्पनी मैसर्स ग्रै द्वारा किये गये समवाय अधिनियम की धाराओं के उलंघन का इस बीच अनुमान लगा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुमान के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ख) : कम्पनी कार्य विभाग, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड को की गई अपील के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था । अपील का आदेश, 29 मार्च, 1967 को प्राप्त हुआ था कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के, किसी भी अतिलंघन को निश्चित रूप से जानने के लिये, कम्पनी के लेखे की पुस्तकों की छान बीन की जावेगी । मामले की अतिशीघ्र कार्यान्वित के लिये आवश्यक अनुदेश प्रेषित कर दिये गये हैं । कार्यवाही करने का प्रश्न, खातों तथा अन्य प्रलेखों की परीक्षा के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष की प्रतीक्षा में हैं ।

गैमन इंडियन लिमिटेड

577. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैमन इंडिया लिमिटेड, बम्बई के मामलों (छिपा कर विदेशों में रक्खी हुई सम्पत्ति आदि के बारे में सन्तुलन पत्र में की गई टिप्पणी से उत्पन्न हुए मामलों) की जांच इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा संबंन्धी तथा अन्य प्रचलित कानूनों का उल्लंघन करने के कारण कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जैसा कि विधि मंत्रालय के राज्य मंत्री ने 15 अक्टूबर, 1966 को लोक सभा में अतारांकित

प्रश्न संख्या 1333 के उत्तर में कहा था, कि कम्पनी ने लंदन में, चार्टर प्राप्त लेखाकारों के एक व्यवसाय संघ को लंदन के अपने निवेश लेखे की पड़ताल के लिये नियुक्त किया था। अक्तूबर, 1966 में लंदन व्यवसाय संघ ने अपनी रिपोर्ट कम्पनी को पेश कर दी। भारतीय कम्पनी के विधिक लेखा-परीक्षकों ने, 31 मार्च 1966 को समाप्त होने वाली वर्ष के उपरोक्त कम्पनी के लेखे की अपनी रिपोर्ट में, सहभागीदारों का ध्यान लंदन व्यवसाय संघ के निष्कर्षों के प्रति आकर्षित किया है। लेखा परीक्षकों ने इंगित किया कि लंदन व्यवसाय संघ द्वारा की गई मामले की परीक्षा 1 अप्रैल, 1955 से 31 मार्च 1965 तक की अवधि की होने से उसमें जो अधिकार और अधिलाभ सहभास तथा लाभांश सम्मिलित है, जो पहले भागों में कुछ असंमतियों के कारण अलेखित रह गये थे तथा जिनका 31 मार्च 1969 की वर्ष समाप्ति के लेखे में समायोजन न हो सका था। भारतीय कम्पनी के अनुसार, लंदन, व्यवसाय संघ द्वारा इंगित की गई विभिन्न असंगतियों से उत्पन्न परिणात्मक स्थिति यह थी कि इसने गैमन इंजीनियर्स लिमिटेड, यू० के०, से 200 पौंड से अधिक का धन, 31-5-1965 के वर्ष समाप्ति के लेखे में बताये गये, 104,552 पौंड 18 शि० 6 पैंस के समायोजन के लिये उधार लिया था। इस मामले में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई जाँच, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के किसी प्रकार के उल्लंघन की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से अभी तक चल रही है।

(ख) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 1333 के उत्तर में कहा जा चुका है, विदेशी मुद्रा नियम, अधिनियम के अधीन किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया गया है। कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये कम्पनी तथा इसके अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने के प्रश्न से सम्बन्धित मामले में, वर्तमान जांचों के पूर्ण होने पर विचार किया जायेगा।

कठुआ से जम्मू रेलवे लाइन

578. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कहुआ से जम्मू तक रेलवे लाइन का विस्तार करने का कार्य वस्तुतः कब आरंभ होगा ; और

(ख) इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : कठुआ से जम्मू तक रेलवे लाइन का विस्तार करने के सम्बन्ध में अन्तिम मार्ग निर्धारण और यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी अभी हाल में दी गयी है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा। इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह लाइन कब तक बनकर तैयार हो जायेगी।

रेलगाड़ियों में जंजीर का खींचा जाना

579. **श्री काशी नाथ पान्डे :**
श्री एन० पी० यादव :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966-67 में रेल गाड़ियों में जंजीर खींचे जाने के कारण कार्य-घन्टों को भारी क्षति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितने कार्य-घन्टों की हानि हुई तथा स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

1966-67 में खतरे की जंजीर खींचने के कारण काम के लगभग 21,184 घण्टों का नुकसान हुआ।

1966-67 में खतरे की जंजीर खींचने की अधिक घटनाएँ हुई, क्योंकि सभी अनुपनगरीय गाड़ियों में खतरे की जो जंजीर पहले नाकाम कर दी गयी थी, उसे मई, 1966 से फिर ठीक कर दिया गया। खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं में असामान्य वृद्धि को देखते हुए दिसम्बर, 1966 में रेलों को हिदायत दी गयी कि जिन अनुपनगरीय गाड़ियों में इस तरह की घटनाएं बढ़ जाने से गाड़ियों के समय पर चलने और उनके यातायात में रुकावट आती है, उनमें खतरे की जंजीर को फिर से नाकाम कर दिया जाये।

कुछ गाड़ियों में खतरे की जंजीर नाकाम करने के अलावा खतरे की जंजीर का दुरुपयोग रोकने के लिए नीचे लिखे उपाय किये गये हैं ;

(i) समाचार-पत्रों, सिनेमा स्लाइडों, इश्तहारों और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लाउडस्पीकर के जरिए घोषणाओं द्वारा शिक्षात्मक अभियान चलाना ;

(ii) तीसरे दर्जे के डिब्बों में सादे कपड़ों में चल-टिकट परीक्षक और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात करना ;

(iii) जो व्यक्ति खतरे की जंजीर खींचने वालों को पकड़ने और न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाने में रेल-प्रशासनों को सहायता देते हैं, उन्हें 50 रुपये तक का नकद इनाम देने की योजना चालू करना ;

(iv) चल-टिकट परीक्षकों और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को मिलाकर खतरे की जंजीर का दुरुपयोग रोकने वाले दस्ते बनाना ; और

(v) व्याख्यानों, रेलवे-संस्थानों की परिचालित यात्राओं आदि के द्वारा विद्यार्थियों में खतरे की जंजीर खींचने की बुराइयों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

गैर सरकारी फर्मों के साथ किए गए इस्पात के सौदों की जांच के लिए सरकार

जांच आयोग

580. श्री अब्दुल गनी दार : श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम किशन गुप्त : श्री क० ना० पांडे :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमीन चन्द प्यारेलाल और राम किशन कुलवन्त राय जैसी कुछ गैर सरकारी फर्मों के साथ किये गये इस्पात के सौदों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किये गये जांच आयोग ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ग) सरकार को अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) : कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(ग) चूंकि लोहा और इस्पात मंत्रालय द्वारा 15 वर्ष में जारी किये गये सभी बड़े-बड़े लाइसेंसों, परिमिटों के सारे मामलों की जांच की जानी है अतः इस समय यह कहना कठिन है कि रिपोर्ट कब पेश की जाएगी ।

कुरुक्षेत्र से पीहोवा (हरियाना) तक रेलवे लाइन

581. श्री अब्दुल गनी दार : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरुक्षेत्र से पीहोवा तक, जो कि हरियाना में एक धार्मिक स्थान है, एक नई रेलवे लाइन बिछाने की मंजूरी दी गई थी और सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो मंजूरी कब दी थी और सर्वेक्षण कार्य कब पूरा हुआ था ;

(ग) क्या यह सच है कि निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और इसके कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : 23.3.1956 को इस परियोजना की केवल प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण (न कि निर्माण की) की मंजूरी दी गयी थी। यातायात सर्वेक्षण दिसम्बर, 1956 में पूरा हो गया था जबकि इंजीनियरिंग सर्वेक्षण सिम्तबर, 1957 में पूरा हुआ ।

(ग) जी हां ।

(घ) यह परियोजना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं पायी गयी और दूसरी पंचवर्षिय योजना में ऐसे क्षेत्रों की छोटी शाखा लाइन योजनाओं को सम्मिलित करना संभव नहीं था। जहां पहले से ही रेलवे लाइनें एक दूसरे से काफी समीप है । इस प्रस्ताव को 1958 में अस्थगित कर दिया गया और तबसे इस परियोजना पर आगे विचार नहीं किया गया। सीमित वित्तीय साधनों के कारण इस परियोजना पर फिर विचार करने के आसार बहुत कम हैं ।

कोटी कार का निर्माण

582. श्री अब्दुल गनी दार :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री बी० कृष्णमूर्ति :
श्री अ० वि० पाटिल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सूपकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री विरेन्द्र कुमार शाह :
श्री मं० र० कृष्ण :
श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री नीतिराज सिंह :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री स्वैल :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मिठा लाल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन०
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीराजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :
श्री मु० न० नाधनूर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :
श्री सीताराम केसरिया :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री मोहसिन :
श्री भोगेन्द्र झा :
डा० प० मंडल :
श्री वाई० जी० गौड :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री रा० कृ० सिंह
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री सी० पी० देसाई :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बाबूराव पटेल :
डा० सन्तोषम :
श्री कार्तिक आराओं :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटी कार का निर्माण करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि फिएट और एम्बैसेडर कारों की, जो कि बहुत मंहगी भी हैं, सप्लाई कम होने की बात को ध्यान में रखते हुए देश में ऐसी कार की मांग बहुत अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक बाजार में आ जायेगी ;

(घ) क्या सरकार को भारत की और विदेशों की कुछ फर्मों से छोटी कार का निर्माण करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या है और इन प्रस्तावों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ) : एक विवरण साथ नत्थी किया जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 412/67]

निर्यात

584. श्री लीलाधर कटकी :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बी० एस० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री आर० के० बिड़ला :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री च० का भट्टाचार्य :
श्री मीठा लाल :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री एस० सी० झा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री रामेश्वर राव :
श्री राणे :
श्री एन० के० संघी :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० किस्कू :
श्री यशवंत सिंह कुशवाह :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री यशपाल सिंह :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री एस० एन० माइती :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वास्तव में अवमूल्यन से निर्यात कम हो गया है जबकि अनुमान यह था कि रुपये के अवमूल्यन से निर्यात बढ़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात कितना कम हो गया है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) निर्यात बढ़ाने तथा विभिन्न वस्तुओं के लिये पुनः विदेशी मंडियों में मांग उत्पन्न करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क), (ग) और (घ) : 31-3-1967 को प्रश्न संख्या 188 के भाग (क), (ग) तथा (घ) जो कि इससे मिलते जुलते थे, के उत्तर दिये गये थे।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा है।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 413/67]

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय हो गया है कि इंजीनियरिंग का निर्यात का सामान उत्पादन करने वालों को मूल लोहा तथा इस्पात अन्तर्राष्ट्रीय दामों पर दिया जायेगा।

(ग) निर्यात में सहायता देने के बारे में जो कार्यवाही की जाती है उस पर लगातार पुर्नविचार होता रहता है।

निर्यात प्रोत्साहन योजना

585. श्री लीलाधर कटकी :
श्री एस० आर० दमानी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री रा० बरुआ :
श्री वाई० एस० प्रसाद :
श्री एन० के० संघी :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० किस्कू :
श्री एस० एन० माइती :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी।

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वस्तुओं के निर्यातकों को विदेशी मंडियों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कोई प्रोत्साहन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यात प्रोत्साहन योजना में उपयुक्त रद्दोबदल का सुझाव देने वाली एक समिति नियुक्त करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) : निर्यात को बढ़ाने के लिए, विभिन्न वस्तुओं का वह व्यक्ति निर्यात करने वाले जिनका नाम रजिस्टरमें लिखा हुआ है उनके लिये आयात नीति ऐसी बनाई है ताकि बिना रुकावट के उस कच्चे माल का आयात होता रहे जिसकी निर्यात की वस्तुऐं बनाने में आवश्यकता है। एक और योजना यह भी है कि कुछ विशेष वस्तुओं के निर्यात के लिए नकद सहायता दें जैसे इंजीनियरिंग का सामान, रसायनिक, प्लास्टिक तथा अन्य उत्पादक वस्तुएँ, मूल लोहा तथा इस्पात आदि। इस सहायता की दर सामान्यत: 10% 20%, के बीच है।

व्यापार बोर्ड

586. श्री लीलाधर कटकी :
श्री नी० रं० लास्कर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापार बोर्ड को समाप्त करने का है ; और

Matter missing

(ख)। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : इस विषय विचाराधीन है।

Extension of Bhagalpur-Mandar Hill Branch Line

587. **Shri B. S. Sharma :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether some scheme has been formulated to extend the Bhagalpur-Mandar Hill Branch Line for connecting it with Main line via Dumka which is the Headquarter of Santhal Pargana;

(b) if so, by what time the construction work will be taken in hand ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) There is no proposal to extend the Bhagalpur-Mandar Hill Branch line and connecting it with any of the other existing lines.

(b) Does not arise.

Metals and Minerals Resources in Bihar

588. **Shri B. S. Sharma :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a likelihood of availability of metals and mineral resources in the southern part of Banka sub-Division of Bihar and whether some type of research work or prospecting has been started there;

(b) if so, the mineral resources likely to be found there and whether the exploitation work is likely to be done on commercial basis; and

(c) when Government propose to begin this work keeping in view the drought and starvation conditions in that State and the need for providing work to the drought-stricken people ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) to (c) Investigations carried out by the Geological Survey of India have indicated that clays are found near Samukhia and Satletwa in the southern part of Banka sub-Division of Bihar. Certain old workings of mica have been observed at Jakhajor, Kusidol and Gundra but these are not of economic importance. Investigations for copper-lead-zinc ores, which were conducted during the Third Five-Year Plan in the region of Phaga, Baghmari, Karda, Khajuri, Gawaura, Bhorsar, Dhudijhor, Dhudijharna, Kharikhar, are in progress, but so far no workable deposits of these minerals have been recorded. It is, therefore, premature to commence any commercial exploitation at this stage.

इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा संसार के सभी देशों से निविदायें आमंत्रित करना

589. श्री अ० कु० गोपालन :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी ने लन्दन में दो निरन्तर ढलाई करने वाली मशीनों की सप्लाई के लिये संसार के सभी देशों से निविदाएं आमन्त्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रांची के हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन ने इन अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं में भाग लिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन योजना के अधीन विदेशी मुद्रा में 25 प्रतिशत की बचत की जा सकती थी; और

(घ) इण्डियन आइरन तथा स्टील कम्पनी को इन मशीनों के लिये निविदायें मंगाने की अनुमति देने के क्या कारण है जबकि उक्त मशीनें स्वदेश में ही निर्मित की जा सकती थीं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) मैंसर्स इन्टरनेशनल कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, लंदन ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के कहने पर कान्टीन्यूअस कासटिंग प्लाण्ट के लिए टेण्डर मांगे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ठेकेदार के चुन लिए जाने के बाद ही विदेशी मुद्रा की बचत का अनुमान लगाया जा सकेगा।

(घ) इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी को पुननिर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा दिये गये ऋण की शर्तों में एक यह भी शर्त है कि बैंक द्वारा दिये गये ऋण से जो भी माल खरीदा जाय अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतियोगिता के आधार पर खरीदा जाय। भारतीय कंपनियां भी टेण्डर में भाग ले सकती हैं--जैसा कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा भरे गये टेण्डर से स्पष्ट है।

ट्रैफिक एकाउंट्स कार्यालयों में क्लर्क

591. श्री अ० कु० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० रमानी :
श्री जगन्नाथराव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में ट्रैफिक एकाउण्ट्स कार्यालयों में क्लर्कों की पदोन्नति पर 1963 से प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

रुई के मूल्य

592. श्री श्र० क० गोपालन : श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० रमानी : श्री डी० एस० पाटिल :

क्या **वारिणज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मिल ओनर्स एसोसियेशन के प्रधान द्वारा 21 अप्रैल, 1967 को दिए गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद रुई के मूल्य अधिकतम निर्धारित मूल्य से बढ़ते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वारिणज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : रुई के मूल्य अधिकतम निर्धारित मूल्यों से बढ़ने की समस्या सरकार के लगातार विचाराधीन है। लगातार दो सूखा होने के कारण 1965–66 तथा 1966–67 में कपास की फसल काफी कम हुई और उसके कारण कपास के मूल्य बढ़ गये। मूल्यों को जहां तक संभव हो अधिकतम निर्धारित मूल्य के बराबर रखने के लिए लाने ले जाने पर नियन्त्रण, स्टॉक नियन्त्रण, ऋण नियन्त्रण तथा कपास का अधिग्रहण आदि बहुत से कदम उठाये हैं। काफी हद तक इन कार्यों ने मूल्य को बढ़ने से रोकने में सहायता दी। आगे भी ऐसे कार्य किये जायेंगे जो आवश्यक हों तथा जिन्हें कार्यान्वित किया जा सके।

Coal Mines in 1966-67

593. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state the quantity of coal extracted in the country during 1966-67.

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) :
The production of coal in the country was 68.43 million tonnes excluding lignite which was 2.46 million tonnes, during 1966-67.

Exports by Small Scale Industries

594. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to establish a Central Agency to encourage the exports by Small Scale Industries;

(b) if so, the composition of this agency; and

(c) how the Small Scale Industries are likely to benefit from this ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

Setting up of Factories in Foreign Countries

595. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government encourage such Indian Organisations who want to collaborate in setting up factories in foreign countries;

(b) if so, the nature of encouragement offered; and

(c) the number of Indian firms who have entered into such collaboration during the last three years and the number of such applications still under consideration ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) : Initiative for establishing industrial enterprises abroad normally rests with private Indian industrialists. Government of India encourages such an initiative to see such collaborations through in whatever way possible and considered necessary.

(c) During the last 31 years ending 31st March, 1967, permission was given to 22 Indian parties to participate in the establishment of 25 overseas projects. Besides, 15 more overseas collaboration proposals from different Indian industrialists are presently under consideration of the Ministry.

Issue of Licences to Small Scale Industries

596. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Govemment have decided to liberalise the policy of issuing emergency licences to such small scale industries which meet the requirements of 59 priority industries; and

(b) if so, the number of industries which will be given top priority ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The Import Policy for the current year has been announced and the details are given in the Import Trade Control Policy (Red Book) for the year April, 1967–March, 1968. The industries listed as priority industries, whether small scale or large scale, will continue to get licences for the import of raw materials, components and spares to the extent necessary to maximise production; and on providing evidence of utilisation of the earlier licences, industrial units will be eligible to approach the licensing authority for further provision of foreign exchange.

(b) The list of such priority industries is attached. [**Placed in Library, See No. LT-414/67**] There are no industries, which are accorded "top priority".

गोल्डन राक वर्कशाप के कर्मचारियों के लिये विशेष रेलगाड़ी चलाना

597. **श्री सेझियान :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल्डन राक के रेलवे कर्मचारियों की सुविधा के लिए थंजावूर और तिरुचिरापल्लि के बीच कर्मचारियों की विशेष रेलगाड़ी चलाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलगाड़ियों का देर से चलना

568. **श्री सेझियान :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थंजावूर और तिरुचिरापल्ली के बीच रेलगाड़ियों के देर से

चलने के कारण गोल्डन राक वर्कशाप के रेलवे कर्मचारियों को होने वाली असुविधा का पता है; और

(ख) पर्याप्त संख्या में तथा समय पर इस लाइन पर गाड़ियां चलाने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : गोल्डन राक कारखाने के रेल-कामगारों की आवश्यकता पूरी करने वाली तंजाऊर-तिरुचिरापल्लि खंड की सवारी गाड़ियों के ऊपर तरजीह दी जाती है, जिनमें डाक और एक्सप्रेस गाड़ियां भी शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये गाड़ियां समय की पाबन्द रहे, सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। इन गाड़ियों द्वारा समय पालन की स्थिति ऐसी नहीं है कि रेल-कामगारों को अकारण असुविधा हो।

सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का दिया जाना

599. श्री शारदा नन्द : श्री भारत सिंह चौहान :
श्री जीतेन्द्र बहादुर सिंह : श्री रणजीत सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 350.00 रुपया से अधिक बेसिक मासिक वेतन पाने वाले ही स्कूटरों के लिए आवेदन पत्र देने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो वेतन मानों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों में इस बारे में विभेद के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस त्रुटि को दूर करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार के कोटे से स्कूटरों के नियतन के लिए ऐसे सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाता जिनका मूल वेतन 350 रु० प्रति मास से कम है। फिर भी, (1) डाक्टरों, (2) ऐसे अधिकारियों जिनको प्रमुख रूप से बाहर का काम करना पड़ता है, (3) मन्त्रियों तथा उनके समान पदों वाले अन्य उच्च अधिकारियों का निजी कर्मचारी वर्ग और संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी के निजी कर्मचारियों, इत्यादि के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है बशर्ते कि उनका वेतन 300 रु०, मासिक से कम न हो। ये सीमाएं केन्द्रीय सरकार के कोटे में स्कूटरों की सीमित सप्लाई का युक्ति संगत वितरण करने के लिए निर्धारित की गई हैं। स्कूटरों के नियतन के बारे में अपनाए गए मार्ग-दर्शक सिद्धान्त आवेदक द्वारा किये जाने वाले कार्य और आवेदक द्वारा उसे खरीदने और उसको रख सकने की क्षमता है।

ऐसे सरकारी अधिकारियों को जिनका मासिक मूल वेतन 300 रु० से कम तथा 150 रुपये से कम नहीं है उन्हें पर्लयामा तथा विकी मोपेड के लिये प्राथमिकता देने पर विचार किया जाता है, जिनका केन्द्रीय सरकार का कोटा अभी हाल ही में निर्धारित किया गया है।

कपास के व्यापार के लिये ऋण में कटौती

600. **श्री शारदा नन्द :** **श्री भारत सिंह चौहान :** **श्री जीतेन्द्र बहादुर सिंह :** **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास में जमा खोरी और सट्टेबाजी को बन्द करने के हेतु कपास व्यापार के लिए ऋण में कटौती करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कटौती की जायेगी और सरकार ने अग्रेतर क्या कार्यवाही की है जिससे कपास उगाने वालों को इस कटौती से कोई हानि न हो ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : जी हां। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने सब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को हिदायतें दे रखी हैं कि वे मिलों की पेशगी में कमी कर दें तथा व्यापार केवल उन मिलों से करें जिनको खरीद, लाने ले जाने के परमिट के अन्तर्गत आते हों जोकि भारत सरकार के वस्त्र आयुक्त ने जारी की हैं तथा अन्य मामलों में पेशगी बीते वर्ष के स्तर से 85% हो। इन ऋणों की पाबन्दियों का उत्पादकों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मिलों से कपड़े का उत्पादन

601. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1956 और 1966 के बीच मिलों से तैयार कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धि बहुत कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ। वर्ष 1956 से 1966 के बीच मिलों से तैयार कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 10.63 मीटर से घटकर 7.63 मीटर (अस्थायी) रह गई है।

(ख) इसके घटने के कई कारण हैं, जैसे मिल क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन में इतनी वृद्धि का न होना जितनी वृद्धि जनसंख्या में हुई है। दूसरे विकेन्द्रित क्षेत्र में हथकरघे और विद्युत-करघों में वृद्धि का होना, जिसका परिणाम यह हुआ है कि इन क्षेत्रों में बने कपड़े से आन्तरिक आवश्यकता बहुत हद तक पूरी हो जाती है। विकेन्द्रित क्षेत्रों में तैयार कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 1956 में 4.08 मीटर से बढ़कर 1966 में 6.12 मीटर हो गई है।

स्पेन के साथ व्यापार करार

602. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री एन० के० संघी :
श्री वाई० ए० प्रसाद :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेन की सरकार के साथ व्यापारिक समझौता करने का सरकार का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-पौलैण्ड व्यापार-समझौता

603. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** **श्री अ० श्रीधरण :** **श्री एन० के० संघी :** **श्री मधु लिमये :** **श्री म० रामपुरे :** **श्री म० सुदर्शनम :** **श्री जार्ज फरनेंडीज़ :** **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :** **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1967 में भारत तथा पौलैंड के बीच एक व्यापार-समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब लागू किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) एक भारतीय व्यापार शिष्ट मंडल हाल ही में वारसा गया था और उसने पौलेंड के व्यापार शिष्ट मंडल से वर्ष 1967 में व्यापार की सम्भावनाओं के बारे में बात चीत की, तथा इस सम्बन्ध में चर्चा 12 अप्रैल, 1967 को समाप्त हुई थी। यह अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 1967 में दोनों देशों के बीच व्यापार 6500 लाख रुपये के स्तर तक पहुँच जायेगा।

पौलेंड से मशीनी औजारों, जहाज के उपकरण, मछली पकड़ने में काम आने वाले जहाज, बर्मे, पूँजीगत माल, विभिन्न प्रकार के रसायन, उर्वरक, गन्धक, औषधियाँ तथा वेल्लित इस्पात से बनी वस्तुए आयत की जायेंगी। पौलेंड ने भारत को गन्धक और यूरिया (उर्वरक) विशेष रूप से अधिक मात्रा में दिये हैं।

भारत से कॉफी, चाय, काली मिर्च, खल, तम्बाखू और रुई का कचरा जैसी कृषि जन्य वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा। भारत में बना अन्य प्रकार के सामान जैसे टायर, ट्यूब, मशीनी औजार, सिले हुए कपड़े, चमड़े के जूते, इस्पात के सीरये तथा पाईप आदि, कपड़े उद्योग की मशीनरी तथा नारियल की जटा से बना सामान का भी निर्यात किया जायेगा।

इम्पीरियल कैमीकल इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

604. **श्री सी० सी० देसाई :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री निम्न-लिखित तीन कम्पनियों द्वारा, जो पूर्णतः अथवा मुख्यतः विदेशी स्वामित्व वाली हैं; किये गये

आन्तरिक वितरण का स्वरूप तथा व्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(1) इम्पीरियल कैमीकल इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड;

(2) मैंटल बाक्स कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड; और

(3) लीवर ब्रादर्स लिमिटेड; अथवा इसकी सहायक कम्पनियां अथवा शाखायें ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : उत्पादन के आन्तरिक वितरण की व्यवस्थाओं की प्रकृति तथा व्यौरे अभी प्राप्त नहीं हैं। व्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं तथा उनके प्राप्त होते ही वह सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे।

ट्रांजिस्टरों का निर्माण

605. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री वी० कृष्णमूर्ति :
श्री जार्ज फर्नेंडीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सस्ते ट्रांजिस्टरों का निर्माण करने वाले छोटे उद्योगपतियों को दिये गये अत्यावश्यक प्रमाण पत्र रद्द कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार के इस कार्य से सस्ते ट्रांजिस्टरों का छोटे पैमाने पर निर्माण करने वाले लोगों द्वारा लगाई गई करोड़ों रुपये की राशि की हानि होगी; और

(घ) क्या चन्दा समिति की इस आशय की सिफारिशों को कि देहाती क्षेत्रों में उपयोग के लिये कम कीमत वाले ट्रांजिस्टरों का खूब निर्माण किया जाय सरकार द्वारा मान लिये जाने के बाद ही ट्रांजिस्टरों के निर्माण की अनुमति दी गई थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं। जो लघु उद्योग रेडियो सेटों का निर्माण पहले से ही कर रहे हैं उनके लिये अनिवार्यता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होती। वर्ष 1967–68 के लिये नये उद्योगों को आयात लाइसेंस दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) लघु क्षेत्र के कारखानों को न तो सस्ते ट्रांजिस्टर बनाने के लिये कोई विशिष्ट अनुमति ही दी गई है और न इस प्रकार की अनुमति देना आवश्यक ही होता है।

सरकारी उपक्रमों आदि के लिये इस्पात की आवश्यकता

606. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह हिसाब लगाया है कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों और परियोजनाओं विभागों में कितना इस्पात काम में आता है; और

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र और रेलवे, डाक तथा तार विभाग, जहाजरानी और परिवहन सहित सरकारी उपक्रमों में इस्पात की खपत किस अनुपात में होती है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र०चं० सेठी): (क) सरकारी इन्डैन्ट कर्ताओं (रेलवे आंक्षि शामिल हैं) को किये गये सीधे प्रेषणों के आधार पर और इस धारणा के आधार पर कि नियंत्रित स्टाकिस्टों को भेजे गये इस्पात का 20 प्रतिशत के लगभग सरकारी विभागों के लिए चला जाता है, ऐसा अनुमान है कि 1965-66 में सरकारी विभागों ने 16,91,890 टन इस्पात इस्तेमाल किया। इसी अनुमान के अनुसार 1966–67 में (नवम्बर 1966 तक) सरकारी विभागों ने 10,17,836 टन इस्पात इस्तेमाल किया।

(ख) देश में बेचे गये कुल इस्पात का लगभग 40 प्रतिशत सरकारी विभागों को दिया गया।

महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम का कारखाना

607. **श्री के० अनीरुधन :**
श्री उमानाथ :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री वी० विश्वनाथ मेनन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम का कारखाना लगाने के काम में भारत अल्यूमिनियम कम्पनी ने 1 जनवरी, 1964 से क्या प्रगति की है;

(ख) इस दिशा में अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या प्रबन्ध-निदेशक अपना कार्य करने के योग्य हैं तथा उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है; और

(घ) क्या सरकार का विचार परियोजना की पूर्ति में होने वाले विलम्ब के कारणों की जांच करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम प्लांट सम्पन्न करने का निर्णय भारत सरकार ने 15 जनवरी 1964 को किया। निर्णय करने के बाद सरकार ने पश्चिमी जर्मनी के परामर्शदाताओं मैसर्स वैरीनिगटे एल्यूमिनियम वर्क (वो) के साथ बातचीत की जोकि इस परियोजना के निजी क्षेत्र में लगाये जाने के विचार के समय इस परियोजना से सम्बन्धित थे। पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि से आवश्यक ऋण प्राप्त करने का प्रबंध भी करना है। 27 नवम्बर, 1965 को भारत एल्यूमिनियम कम्पनी बनाई गई और आगे बातचीत करने पर कम्पनी ने मैसर्स वैरी निगटे एल्यूमिनियम वर्क के साथ कोयना एल्यूमिनियम परियोजना के लिये तकनीकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से 6–1–66 को एक समझौता किया। समझौते की शर्तों के अनुसार, मैसर्स वैरीनिगटे वर्क ने जुलाई 1966 में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैसर्स वैरी निगटे ने जो परियोजना की लागत का अनुमान

बताया था वह अधिक प्रतीत होता था इसलिये 'बालकों' ने इस विषय में और स्पष्टीकरण प्राप्त किये। परामर्शदाताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर 'बालकों' परियोजना पर आने वाली लागत के अनुमान की पुनरीक्षा कर रही है तथा इस परियोजना की शक्यता का पता लगा रही है।

(ख) 31–3–1967 तक भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने इस परियोजना पर 22.96 लाख रुपये की रकम खर्च की।

(ग) हां, महोदय। उसका (प्रबन्ध-निदेशक का) मुख्यालय अस्थायी रूप से नई दिल्ली में है।

(घ) जैसा, कि उत्तर के भाग (क) में बताया गया है, संशोधित प्राक्कलनों पर आधारित परियोजना की आर्थिक शक्यता का निश्चित पता लगने तक कोयना एल्यूमिनियम परियोजना पर आने वाली लागत के अनुमानों की अभी औपचारिक रूप से स्वीकृति नहीं दी गई है। इसलिये परियोजना के पूर्ण होने में देरी होने के कारणों की पड़ताल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Accident at Turki Station (N. E. Rly.)

608. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the 34 Dn. Janata Fast Pasengers was involved in a collision at Turki Railway station on the North-Eastern Railway at a distance of 14 miles from Muzaffarpur as reported in the Hindustan dated the 22nd April, 1967 ;

(b) if so, the causes of the accident ; and

(c) the loss of life and property caused thereby ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) No. presumably the reference is to the accident in which train No. 34 Down Janata Fast Passenger got derailed between Turki and Ramdayalunagar stations on 19-4-1967.

(b) The accident was due to a buffalo coming on to the track and getting run over and killed, causing obstruction.

(c) There was no loss of life. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs.10,000/-.

Export of Manganese

609. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Ram Singh Agarwal :

Will Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Japan has decided to import manganese worth Rs. 10 lakhs from India ;

(b) if so, the quantum of foreign exchange likely to be earned therefrom ;

(c) wether Government propose to export manganese to other countries also ;

(d) the quantity of manganese being exported from India to different countries every year alog with the names of those countries ; and

(e) the quantity of manganese consumed in India every year ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) : The M. M. T. C. has entered into a contract with the Steel Mills of Japan for sale of ferruginous manganese are worth nearly £ 1 million in **1967-68.**

(c) Yes Sir,

(d) and (e) A statement indicating the export of manganese are to diffrent conntries and the quantity of manganese are consumed in India during the last few years is attached **(placed in Library see No. LT- 415/67).**

इंडोनेशिया का व्यापार प्रतिनिधि मंडल

610. श्री एन० के० सांघी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के 10 करोड़ रुपये के ऋण के अन्तर्गत व्यापार की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये इंडोनेशिया के व्यापार प्रतिनिधि मण्डल की भारत आने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मण्डल के कब भारत आने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) किसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के निकट भविष्य में भारत आने की कोई सम्भावना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बैलाडिला खानों से लोह अयस्क का भेजा जाना

611. श्री प्र० के० देव :

श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री डी० एन० देव :

क्या **इस्पात, खान तथा** धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडिला खानों से पत्तन को लोहा अयस्क भेजने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक भेजा जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) बैलाडिला का हाथों द्वारा निकाला गया प्लव अयस्क 6 मई 1967 से बन्दरगाह को ले जाया जाना शुरू हो गया है । इसके अतिरिक्त आशा है कि निर्माणाधीन यंत्री कृत खान से इस वर्ष के अंत के लगभग अयस्क ले जाया जाना आरम्भ हो जायेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोआ में कच्चा लोहा परियोजनाएं

612. श्री स्वीक्वेइरा : क्या इस्पात, खान और धातु मंत्री यह बताने **की कृपा करेंगे कि :**

(क) गोआ में कच्चे लोहे की कितनी परियोजनायें स्थापित करने के लिए **लाइसेंस दिये**

गये तथा प्रत्येक परियोजना की क्षमता क्या है और प्रत्येक के लिए किस-किस तारीख को लाइसेंस दिये गये,

(ख) क्या कुछ परियोजनाओं के लिये लाइसेंस देने के लिए मना किया गया था और यदि हां तो उनकी संख्या तथा क्षमता कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो प्रत्येक की क्षमता क्या है; और

(घ) लाइसेंस दिये गये प्रत्येक परियोजना ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) गोआ में कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए दो इकाइयों को इन्टेन्ट पत्र दिये गये है। एक का नाम वी० एस० डेम्पो एण्ड कम्पनी लिमिटेड, पंजिम, गोआ है जिसकी क्षमता 300,000 टन प्रतिवर्ष की है। इन्हें 13 फरवरी 1964 को इन्टेन्ट पत्र दिया गया था। दूसरी कंपनी का नाम वी० एम० सलगावकर ई० इरमावो लिमिटेड वास्कोडिगामा, गोआ है। इसकी वार्षिक क्षमता 300,000 टन प्रतिवर्ष की है। इन्हें 24 जून, 1964 को इन्टेन्ट पत्र दिया गया था।

(ख) जनवरी, 1963 में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम गोआ में लागू किया गया था। तब से लेकर कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के 8 आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये हैं। ये 30,000 से लेकर 270,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए थे। अस्वीकृति के कारण प्राय यह थे कि प्रस्तुत की गई योजनाएं भली प्रकार से नहीं बनाई गई थीं अथवा किसी खास समय पर और लाइसेंस देने की गुंजाइश नहीं थी।

(ग) इस समय गोआ में कच्चे लोहे की और अधिक क्षमता स्थापित करने के लिए कोई प्रायोजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) भाग (क) में उल्लिखित दोनों पार्टियों को हैवी इन्जीनिरिंग कारपोरेशन रांची से संयंत्र और उपकरण-प्राप्त करने के लिए बातचीत करनी है, और उनसे कहा गया है कि वे अक्टूबर, 1967 तक अपने प्रस्तुत करें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के डब्लिंग सेक्शन में काम करने वालों को दैनिक भत्ता

613. **श्री विश्वनाथ मेनन** :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री उमानाथ :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री के० अनिरुधन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे के गोंडा डिवीजन में डब्लिंग सेक्शन में काम करने वालों को उतना दैनिक भत्ता नहीं दिया जा रहा है जितना केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : सूचना मंगायी जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसूर राज्य में नई रेलवे लाइन

614. श्री के० लक्कप्पा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) इस समय मैसूर राज्य में कितनी रेलवे लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि लाइनें बिछाई जा रही हैं तो उनके निर्माण कार्य की क्या प्रगति है; और

(ग) क्या मैसूर राज्य में सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में **बदलने का** प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में अभी निर्णय होना बाकी है।

(ख) जिन दो नयी लाइनों का निर्माण-कार्य चल रहा है और जो पूर्ण या आंशिक रूप से मैसूर राज्य में पड़ती हैं उनके सम्बन्ध में अप्रैल, 1967 तक हुई प्रगति इस प्रकार है:—

(1) मंगलूर-हसन (मीटर लाइन) 16.5 प्रतिशत

(2) मंगलूर-पानम्बुर (बड़ी लाइन) 59 प्रतिशत

(3) सेलम-बेंगलूरु (मीटर लाइन) 64 प्रतिशत

(ग) जी नहीं।

Manufacture of Jeeps by M/s. Mahindra and Mahindra

616. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs be** pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of U. S. A. have given a loan of Rs. 7 crores to M/s. Mahindra and Mahindra for the manufacture of jeeps ; and

(b) if so, the terms of the loan ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) It is understood that M/s. Mahindra and Mahindra have negotiated for a direct loan of about Rs. 7 Crores from USAID, but the formal agreement setting out the terms of the loan and its repayment has not been executed as yet.

रूरकेला इस्पात कारखाने में मृत्यु

617. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने के हॉट स्ट्रिप मिल का एक मजदूर हाल में इस कारखाने के प्रथमोपचार केन्द्र में पेंसिलिन का इंजैक्शन लगाये जाने के तुरन्त बाद मर गया;

(ख) क्या इस कारखाने में इससे पहले भी एक व्यक्ति इसी तरह मर गया था;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पूरी जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) और (घ) : तीन विशेषज्ञों की एक समिति ने इस मामले की अच्छी तरह जांच की थी । समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि इंजेक्शन लगाने से पहले, इंजेक्शन लगाते समय तथा इंजेक्शन लगाने के बाद पूरी सावधानी बरती गई और मृत्यु पैन्सिलिन की प्रत्यधिक्रिया के कारण हुई ।

यात्री सुविधायें

618. श्री पी० पी० एस्थोस : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल से दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता जाने वाले यात्रियों के लिये वर्तमान सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल से इन स्टेशनों को और वहां से वापस सीधी यात्री गाड़ियों की व्यवस्था करने तथा उनमें डिब्बों की संख्या बढ़ाने का है ; और

(ग) यात्री गाड़ियों में शयन डिब्बों, जलपान गृहों, बिजली, पंखे, पानी आदि की वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : इस समय एक ओर केरल और दूसरी ओर बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता के बीच सीधे जाने वाले सवारी डिब्बे और मेल लेने वाली गाड़ियों के रूप में सीधी यात्रा करने की जो सुविधायें उपलब्ध हैं वे काफी हद तक इन दो स्थानों के बीच होने वाले यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं । गर्मी के महीनों में जब यातायात एकाएक बढ़ जाता है तो छुट्टी स्पेशल गाड़ियां चलायी जाती हैं और सामान्य गाड़ियों में अधिकतम संख्या में डिब्बे जोड़े जाते हैं ताकि अतिरिक्त यातायात की निकासी की जा सके । इसलिए यात्रा करने की वर्तमान सुविधाओं में वृद्धि करने का इस समय कोई औचित्य नहीं है । इसके अलावा लाइन क्षमता की कमी और गाड़ियों में और गुंजाइश न होने के कारण इस समय एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने या गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने, सीधा डिब्बा लगाने की व्यवस्था करना परिचालन की दृष्टि से संभव नहीं है ।

(ग) गाड़ियों में तीसरे दर्जे के सामान्य डिब्बों की जगह तीसरे दर्जे के शयन यान चलाये गये हैं ।

सीधे जाने वाले यात्रियों के लाभ के लिए बम्बई वी. टी. और कोच्चिन हार्बर टर्मिनस/मंगलूरु के बीच तीसरे दर्जे के निम्नलिखित शयन यान लगाये जा रहे हैं :—

(i) बम्बई वी. टी. और कोच्चिन हार्बर टर्मिनस के बीच 11 अप/12 डाउन बम्बई-मद्रास एक्सप्रेस और उनसे मेल लेने वाली 41 डाउन/42 अप केरल एक्सप्रेस गाड़ियों में बैठने एवं सोने की व्यवस्था युक्त तीन टायर वाला एक शयन यान ।

(ii) बम्बई वी. टी. और कोच्चिन हार्बर टर्मिनस के बीच 13 अप/14 डाउन मद्रास-बम्बई जनता एक्सप्रेस और उनसे मेल लेने वाली 41 डाउन/42 अप केरल एक्सप्रेस गाड़ियों में बैठने एवं सोने की व्यवस्था युक्त तीन टायर वाला एक शयन यान; और

(iii) बम्बई वी. टी. और मंगलूरु के बीच 13 अप/14 डाउन मद्रास-बम्बई जनता एक्सप्रेस और उससे मेल लेने वाली 1 डाउन/2 अप मद्रास-मंगलूरु डाक गाड़ियों में सप्ताह में तीन बार बैठने एवं सोने की व्यवस्था युक्त तीन टायर वाला शयन यान।

इस समय नयी दिल्ली और कोच्चिन हार्बर टर्मिनस के बीच 21 डाउन/22 अप सदर्न एक्सप्रेस और उससे मेल लेने वाली 41 डाउन/42 अप केरल एक्सप्रेस गाड़ियों में तीन टायर वाला एक शयन यान चलाया जा रहा है।

कोच्चिन हार्बर टर्मिनस और नयी दिल्ली के बीच तीन टायर वाले शयन यान की जगह बैठने एवं सोने की व्यवस्था युक्त तीन टायर वाले शयन-यान लगाने का विचार है। इसके साथ ही मद्रास सेंट्रल और नयी दिल्ली के बीच 21 डाउन/22 अप सदर्न एक्सप्रेस में चलने वाले तीसरे दर्जे के सामान्य डिब्बे की जगह तीन टायर वाला एक शयन यान लगाने का भी विचार है।

जहां तक खान-पान व्यवस्था का प्रश्न है, निम्नलिखित गाड़ियों में भोजन-यानों की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है।

क्रम सं०	गाड़ी	जिन स्टेशनों के बीच भोजनयान चलते हैं
1.	15 डाउन/16 अप जी० टी० एक्सप्रेस	काजोपेट-बीना (दैनिक)
2.	17 डाउन/18 अप जनता एक्सप्रेस	मद्रास-दिल्ली (हफ्ते में तीन दिन)
3.	13 डाउन/14 अप जनता एक्सप्रेस	मद्रास-बम्बई (हफ्ते में तीन दिन)
4.	21 डाउन/22 अप वातानुकूल/सदर्न एक्सप्रेस	मद्रास-नयी दिल्ली (दैनिक)
5.	97 डाउन/98 अप वातानुकूल एक्सप्रेस	मद्रास-बम्बई (साप्ताहिक)
6.	99 डाउन/100 अप वातानुकूल एक्सप्रेस	मद्रास-हवड़ा (साप्ताहिक)

मद्रास और नयी दिल्ली के बीच हफ्ते में दो बार चलने वाली और मद्रास और बम्बई (साप्ताहिक) तथा मद्रास और हवड़ा (साप्ताहिक) के बीच चलने वाली वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूल भोजन यानों की व्यवस्था की गयी है। मद्रास और नयी दिल्ली के बीच हफ्ते में पांच दिन चलने वाली सदर्न एक्सप्रेस में जुड़वा भोजन-यान चलाये जाते हैं, जिनमें बैठने की अधिक जगह होती है। जैसे ही अतिरिक्त भोजन यान उपलब्ध होंगे, मद्रास और नयी दिल्ली के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस गाड़ियों में भोजन यानों के फेरे बढ़ाने का विचार है। छुट्टी (ग्रीष्म) स्पेशल गाड़ियों में भी यथासंभव भोजनयान की सुविधा दी जाती है।

जिन गाड़ियों में भोजन-यान की व्यवस्था नहीं है उनसे यात्रा करने वालों की सुविधा के लिए रास्ते के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सभी तरह की व्यवस्था वाले भोजनालयों का प्रबन्ध किया गया है। रेल प्रशासनों द्वारा समय-समय पर इन प्रबन्धों की समीक्षा की जाती है और यात्रियों की आवश्यकताओं को सन्तोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए उनमें आवश्यक वृद्धि की जाती है।

जहां तक गाड़ियों में रोशनी और पंखों की व्यवस्था का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि सभी सवारी डिब्बों में पर्याप्त बत्तियों और पंखों की व्यवस्था की गयी है। किन्तु ऐसे भी कुछ मामले हैं जहां असामाजिक तत्वों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में बिजली उपस्करों की उठाईगीरी और उनसे छेड़-छाड़ के कारण ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। दी गयी बुनियादी सुविधाओं को बनाये रखने के लिए इन समस्याओं को कारगर ढंग से सुलझाने के उपाय किये जा रहे हैं।

जहां तक गाड़ियों में पानी की व्यवस्था का प्रश्न है, टर्मिनल स्टेशनों पर गाड़ियों के छूटने से पहले सवारी डिब्बों की टंकियों में फिर से पानी भरने की व्यवस्था है। अनुरक्षण कर्मचारियों को यह भी हिदायत है कि वे सवारी डिब्बों की धुलाई और सफाई करें और यह सुनिश्चित करने के लिए डिब्बों की जांच करें कि फिटिंग अच्छी हालत में है। शौचालयों में पानी के नलों और फ्लश की टोंटियों की भी जांच की जाती है ताकि उनसे पानी बेकार न बहता रहे। इनके अलावा, रास्ते में सवारी डिब्बों में पानी देने के निर्दिष्ट स्टेशनों पर गाड़ी खड़ी होने पर उसकी टंकियों में पानी भरने की भी व्यवस्था है। इन विशिष्ट स्टेशनों पर अनुरक्षण कर्मचारी भी तैनात रहते हैं ताकि यदि यात्रियों की कोई शिकायतें हों तो उन्हें दूर किया जा सके।

एरणाकुलम और मदुरै के बीच रेलवे लाइन

619. श्री पी० पी० एस्थोस : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्रों के उत्पादकों को निर्यात की सुविधाएं देने की आवश्यकता की दृष्टि से एरणाकुलम और मदुरै के बीच डेलीकोलम जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से होती हुई एक रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) पश्चिमी घाटों के आर-पार इस लाइन का निर्माण अत्यधिक खर्चीले के सिवाय कोई व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है। चूंकि चौथी योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए बहुत कम धन उपलब्ध होने की संभावना है, इसलिए ऐसे प्रस्तावों को हाथ में नहीं लिया जा सकता जो खर्चीले और अलाभप्रद हैं।

एरणाकुलम से कन्याकुमारी अन्तरीप तक रेलवे लाइन

620. श्री पी० पी० एस्थोस : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तटवर्ती मार्ग से होकर एरणाकुलम से कन्याकुमारी अन्तरीप तक एक नई रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : तटवर्ती मार्ग से होकर एरणाकुलम से कोल्लम

तक नयी रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव नहीं है। लेकिन त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ख) वर्तमान एरणाकुलम–कोल्लम लाइन भीतरी प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करती है और तटवर्ती मार्ग से होकर एक दूसरी लाइन बनाना अलाभप्रद होगा।

केरल में बड़ी बड़ी लाइन

621. **श्री पी० पी० एस्थोस :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में छोटी रेलवे लाइनों के स्थान पर बड़ी रेलवे लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) प्रकटत : माननीय सदस्य का आशय एरणाकुलम–तिरुवनन्तपुरम मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने से सम्बन्धित प्रस्ताव से है। इस खण्ड का तुरन्त आमान परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस मीटर लाइन खण्ड पर पर्याप्त लाइन क्षमता उपलब्ध है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर लाइन क्षमता सम्बन्धी छोटे-मोटे कामों की व्यवस्था तथा डीजलीकरण करके और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

मुवत्तुपुजहा में प्रसार केन्द्र

622. **श्री पी० पी० एस्थोस :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के प्रसार केन्द्र मुवत्तुपुजहा के बारे में मुवत्तुपुजहा के बहुत से स्थानीय लोगों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मुवत्तुपुजहा के 24 निवासियों के पास से एक ज्ञापन मिला था।

(ख) एक विवरण साथ में नत्थी है। **[पुस्कालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 416/67]**

इटारसी से भीलाखेड़ी यार्ड (मध्य रेलवे) तक 'फ्लाई ओवर'

623. **श्री नीति राज सिंह :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के इटारसी स्टेशन से भीलाखेड़ी यार्ड तक एक 'फ्लाई ओवर' बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) क्या इटारसी स्टेशन से उक्त यार्ड तक भूमि पर कुछ और लाइनें बिछाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) स्टेशन से यार्ड तक अतिरिक्त लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) अतिरिक्त लाइनें बिछाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है।

भीलाखेड़ी यार्ड तथा इटारसी रेलवे स्टेशन

624. **श्री नीति राज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भीलाखेड़ी यार्ड तथा इटारसी रेलवे स्टेशन के बीच कितना फासला है;

(ख) क्या उपरोक्त दोनों स्थानों के बीच पक्की सड़क की व्यवस्था है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भीलाखेड़ी यार्ड पर स्कूल, अस्पताल तथा बाजार की व्यवस्था नहीं है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त यार्ड में सुरक्षा के लिये पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो वहां पर इन सुविधाओं की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) भीलाखेड़ी यार्ड इटारसी रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है।

(ख) ये दोनों स्थान पक्की सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं।

(ग) भीलाखेड़ी यार्ड में जनवरी, 1967 से एक अध्यापक वाला प्राथमिक स्कूल चल रहा है। बाजार सम्बन्धी सुविधाओं की मंजूरी दी जा चुकी है और उनकी व्यवस्था की जा रही है। 26.1.1966 से इस यार्ड में एक लाक अप औषधालय चल रहा है, जिसमें इटारसी स्वास्थ्य यूनिट का डाक्टर मरीजों को देखता है।

(घ) भीलाखेड़ी यार्ड की रक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में रेलवे सुरक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है। इसके अलावा वहां एक सरकारी रेलवे पुलिस बाहरी चौकी खोलने का विचार है।

(ङ) कृपया उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर देखें।

इटारसी स्टेशन पर रेलवे क्वार्टर

625. **श्री नीतिराज सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी (मध्य रेलवे) में 'एच' टाइप क्वार्टर है;

(ख) उनका निर्माण कब और कितनी लागत से किया गया था;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि ये क्वार्टर अभी 20 वर्ष या इससे भी अधिक समय तक चल सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनको क्यों गिराया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। इटारसी में इस तरह के 31 क्वार्टर हैं।

(ख) ये क्वार्टर 1943 में लगभग 76,000 रुपये की लागत से बनाये गये थे।

(ग) जी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अस्थायी किस्म के हैं।

(घ) ये क्वार्टर इस तरह के बनाये गये थे कि लगभग 10 वर्ष तक चल सकें। दरारें पड़ जाने और छतें लटक जाने आदि के कारण इनमें रहना खतरनाक है; इसलिए उन्हें गिराया जा रहा है।

पेटियां भेजने के लिये माल डिब्बों का आवंटन

626. **श्री के० एम० अब्राहम :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टयम जिले के आरा मिल मालिकों से कोट्टयम और एट्ठमानूर रेलवे स्टेशनों से पेटियां भेजने के लिये माल–डिब्बों के आवंटन के लिये कोई याचिका प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि संबंधित स्टेशन मास्टर वहां से भेजे जाने वाले खाली डिब्बों में पेटियां लादने की अनुमति नहीं दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेटियां भेजने की अनुमति देने के लिये संबंधित अधिकारियों को हिदायत देने का है जिससे ये आरा मिलें पुनः काम चालू कर सकें ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (ग) : कोट्टयम और एट्टुमन्नूर स्टेशनों से पेटियां बुक करने के लिए माल डिब्बों का नियतन करने के बारे में क्विलन पैकिंग केसेज़ सप्लायर्स एसोसिएशन से एक प्रतिवेदन मिला है।

1 जनवरी से 15 मई, 1967 तक की अवधि में इन स्टेशनों पर पैकिंग–पेटियों के 55 माल डिब्बे लादे गये और 15 मई, 1967 को वहां केवल 5 मांगें बकाया रहीं, जिन्हें इस कारण पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि एर्नाकुलम में यानान्तरण की क्षमता सीमित है। वहां यानान्तरण सम्बन्धी काम बेहतर ढंग से हो इसके लिए ठेकेदार के मजदूरों के अलावा विभागीय मजदूरों को लगाने के लिए कारवाई की गयी है।

मोतियों का आयात

627. **डा० कर्णी सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सोने तथा चांदी के आभूषण बनाने वालों को सिन्थैटिक स्टोन तथा कल्चर मोती आयात करने के लिए आवेदन पत्र पेश करने का अवसर

नहीं दिया गया क्योंकि उनको अब तक आवश्यक आवेदन प्रपत्र (फार्म) नहीं दिये गये; और

(ख) क्या आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ा दी जायेगी ताकि समय पर आवेदन-पत्र न दे सकने वाले लोग आवेदन-पत्र दे सकें ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहायक कल्याण निरीक्षक का चयन

628. डा० कर्णी सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सहायक कल्याण निरीक्षक के चयन के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा विशिष्ट प्रक्रिया होने के बावजूद भी, उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा फरवरी, 1967 में हुए चयन में वरिष्ठता पर अधिक जोर देने के कारण इस प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो योग्यता के आधार पर कितने मामलों को नजरअंदाज कर दिया गया जो कि लिखित तथा मौखिक दोनों परीक्षाओं में अधिक अच्छे सिद्ध हुए थे; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों को रात की ड्यूटी का भत्ता

630. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड, नेशनल फैडरेशन आफ इन्डियन रेलवेमेन तथा आल इन्डिया रेलवेमेन्स फैडरेशन के प्रतिनिधियों के संयुक्त सम्मेलन में रात की ड्यूटी का भत्ता बढ़ाने के बारे में कोई समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकार की गयी दरें क्या है और उनसे किस वर्ग के कर्मचारियों को लाभ होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पूनाचा) : (क) और (ख) : रात के ड्यूटी भत्ते की दरें नहीं बढ़ायी गयीं लेकिन रात के ड्यूटी भत्ते के लिए पात्रता का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, ताकि उन कर्मचारियों को छोड़कर जो काम के घंटे विनियम के अनुसार "सारतः सान्तरालिक" (दूसंशली इन्टमिटिन्ट) और "अपवर्जित" (एक्सक्लूडेड) वर्ग में आते हैं, रात 10 बजे और प्रातः 6 बजे के बीच ड्यूटी देने वाले अन्य सभी कर्मचारी इसके पात्र हो सकें। इस भत्ते की दरें जो 1.4.67 से लागू होंगी, इस प्रकार है:—

मूल वेतन	रात की ड्यूटी के प्रति भारित घंटे (पर वेड आवर) के हिसाब से रात के ड्यूटी भत्ते की दर (अर्थात् सायं 10 बजे और प्रात: 6 बजे के बीच 6 घंटे की ड्यूटी के लिए ऐसी ड्यूटी के 10 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से)
	रु० पैसे
103 रुपये तक	0. 60
103 रु० से अधिक लेकिन 130 से कम	0. 85
130 ,, ,, 160 ,,	1. 06
160 ,, ,, 209 ,,	1. 30
209 ,, ,, 240 ,,	1. 40
240 ,, ,, 290 ,,	1. 60
290 ,, ,, 340 ,,	1. 80
340 ,, ,, 390 ,,	2. 00
390 ,, ,, 430 ,,	2. 20
430 ,, ,, 470 ,,	2. 40

बदरपुर और लुमडिंग हिल सैक्शन के बीच रेलवे लाइन

631. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली शरद् ऋतु में बदरपुर–लुमडिंग हिल सैक्शन लाइन में कोई सुधार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सुधार किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) पिछले जाड़े में पूर्वोत्तर सीमा रेल प्रशासन द्वारा मरम्मत के ऐसे कामों को शीघ्र करने की कोशिश की गई थी और अभी की जा रही है जो बरसात के दिनों में इस खंड पर सीधी संचार व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले अवरोध को कम करने के लिए आवश्यक हैं। पहले से शुरु किये गये कामों के अलावा कुछ दीर्घकालीन उपायों पर भी विचार किया जा रहा है ताकि अधिक स्थायी रेल सम्पर्क स्थापित किया जा सके। इन्हें अन्तिम रुप देने के बाद यथा संभव शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Railway Accidents in Assam Region

632. **Shri S. C. Samanta :**
Shri A. K. Kisku :
Shri S. N. Maiti :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of train accidents in the Assam region during the last three months and the total loss suffered as a result thereof;

(b) whether Government have made an enquiry regarding the frequent accidents in this region;

(c) if so, the findings thereof; and

(d) the steps taken to avoid such accidents ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) During the months of February, March and April, 1967, 23 train derailments took place in the Assam region served by the Northeast Frontier Railway. No other accident took place in the categories of collisions, level crossing accidents and fires in trains in this region during this period.

The cost of damage to railway property involved in these accidents was estimated at approximately Rs. 68,722/-.

(b) and (c) Enquiries are made in all cases of accidents and steps are taken to prevent recurrence of similar accidents. A continuous watch is kept over the trend of accidents and their causes and suitable preventive measures are initiated.

(d) Steps to prevent recurrence of accidents include better and safety oriented training, stricter supervision over the working of Railway staff and deterrent punitive action against those causing accidents apart from providing technological equipments and devices for ensuring safety. Besides, patrolling of track, running of search light specials, running of passenger trains on the vulnerable sections during day time etc, are the other special measures taken for preventing such accidents as have been taking place frequently in the Assam region.

केरल राज्य में नई रेलवे लाइनें

633 **श्री मंगलयुमाण्यम:**
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में चौथी योजना की अवधि में कितनी नयी रेलवे लाइनों का निर्माण किया जायेगा;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले नये निर्माण-कार्यों की सूची में एरणाकुलम एलप्पी रेलवे लाइन भी सम्मिलित है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस लाइन को चौथी योजना में सम्मिलित न करने के क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चौथी योजना में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय होना बाकी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

माल डिब्बों की मांग में कमी

634. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री डी० एन० देव :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में वैगनों की मांग में भारी कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Import of Saltpetre from Chile

635. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Commerce be pleased to state.

(a) Whether it is a fact that the import of Saltpetre from Chile had a very adverse effect on the Saltpetre industry in village Ahiapur in Muzaffarpore District of Bihar ;

(b) if so, whether Government propose to stop its import ; and

(c) the steps being taken for the development and progress of this industry in the country ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) There has been no import of Saltpetre (Potassium Nitrate) from Chile during the years 1965-66 and 1966-67 (April-January, 1967).

(b) and (c) : Do not arise.

उत्तर रेलवे के स्टेशनों की नीलामी

636. **श्री हेमराज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परौर, पंचरुखी तथा बैजनाथ मन्दिर रेलवे स्टेशनों को बन्द किया जा रहा है और उनका जनता में नीलाम किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) परौर, पंचरूखी और बैजनाथ मन्दिर रेलवे स्टेशनों को बन्द करने या उन्हें ठेकेदार द्वारा परिचालित हाल्ट स्टेशनों में बदलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

कांगड़े की चाय

637. **श्री हेम राज :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) की चाय के लिये मानक निश्चित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई ऐसा सरकारी आदेश जारी किया गया है जिसमें चाय की शुद्धता का मानक निश्चित किया गया हो और क्या उसे कांगड़ा के चाय बागानों को अधिसूचित किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Transfer of Garde III Guards of Ratlam Division

638. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that periodical transfers of about 25 Grade III Guards of Ratlam Division of the Western Railways have been made ;

(b) Whether such transfers have also been made in other Divisions ;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the time likely to be taken ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : Presumably the reference is to Guards grade 'C'. If so, the reply is as follows :

(a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) Guards grade 'C' work on Goods trains and are not required to be transferred periodically.

रबड़ का आयात

639. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री सी० जनार्दनन :
श्री नायनार :
श्री उमानाथ :
श्री पी० गोपालन :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री पी० पी० एस्थोसे :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबड़ के आयात के लिए जनवरी, 1967 से कोई आयात लाइसेंस दिये हैं;

(ख) यदि हां तो कुल कितने रबड़ के आयात की अनुमति दी गई हैं और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ;

(ग) क्या यह सच है कि देश में उपलब्ध स्वदेशी रबड़ की बहुत बड़ी मात्रा जमा हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : 1 जनवरी से 31 मार्च 1967 तक 296.5 लाख रुपये के मूल्य की लगभग 7800 टन कच्ची रबड़ का आयात करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोट्टयम से मदुरै तक रेलवे लाइन

640. श्री के० एम० अब्राहम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेनकुन्नम-कुमाली होते हुए कोट्टयम से मदुर तक एक रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रुई के मूल्य

641. श्री राने : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुई उगाने वाले 1960 से कपास के मूल्यों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या 1960-61 से 1966-67 के वर्षों में रुई के मूल्यों में वृद्धि की गई थी;

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ;

(घ) क्या सरकार का विचार रुई के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों में वृद्धि करने तथा आगामी मौसम में विभिन्न किस्मों के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों के अन्तर में कमी करने का है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रति वर्ष जून के द्वितीय सप्ताह से पूर्व रुई के मूल्य सम्बन्धी नीति को घोषित करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) वर्ष 1960-61 से 1966-67 के दौरान रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों में जो वृद्धि की गई है, उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :

प्रति गांठ पर रुपयों में वृद्धि

वर्ष	न्यूनतम मूल्य	अधिकतम मूल्य
1961-62	105 रुपये	—
1962-63	—	125 रुपये
1963-64	100 रुपये	—
1964-65	—	—
1965-66	75 रुपये से 100 रुपये तक	50 रुपये से 75 रुपये तक
1966-67	34 रुपये से 115 रुपये तक	5% प्रतिशत की एकरुप वृद्धि।

(घ) तथा (ङ) वर्ष 1967-68 के लिये मूल्य नीति के सम्बन्ध में अभी विचार किया जा रहा है और इस बारे में शीघ्र ही घोषणा की जायेगी। सरकार सदा इस बात के लिये इच्छुक रहती है कि प्रत्येक वर्ष कपास उगाने का मौसम शुरु होने से पहले ही मूल्य नीति की घोषणा कर दी जाये।

सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं द्वारा निर्यात

642. **श्री एम० सुदर्शनम् :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों ने निर्यात कार्य आरम्भ कर दिया है और

(ख) यदि हां, तो निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं के नाम क्या है और उनका मूल्य कितना है ?

इस्पात, खान और धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों ने उत्पादन शुरू करने के बाद जल्दी ही बाहर के देशों को माल भेजना शुरू कर दिया था। आरम्भ में 1959–60 में 5·5 मिलियन रुपये की कीमत का कच्चा लोहा निर्यात किया गया था। यह निर्यात बढ़ते-बढ़ते 1966–67 में 94 मिलियन रुपये तक पहुंच गया है। 1966–67 में निर्यात किया गया माल और उसका मूल्य इस प्रकार है :–

1966–67		जहाज एक निष्प्रभार मूल्य (मिलियन रुपये)
	सामान	मूल्य
क.	लोहा और इस्पात	
	बार	20·1
	स्ट्रकचरल	9·5
	रेल की पटरी	4·9

	हॉट रोल्ड शीट क्वायल	5·2
	ई० आ० डबल्यू पाइप	3·1
	कच्चा लोहा	49·0
	अर्द्ध तैयार टूटे हुए इन्गट मौल्ड	1·1
	जोड़ (क)	92·9
ख.	उपात्पाद	
	नेप्थलीन	0·1
	बेनजीन	1·0
	जोड़ (ख)	1·1

कुल निर्यात (क) + (ख) 94.0

उद्योगपतियों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

643. **श्री मुहम्मद इमाम :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष नवम्बर या दिसम्बर में नई दिल्ली में विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योगपतियों और व्यापारियों का एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का विचार है ;

(ख) इस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों के आने की सम्भावना है;

(ग) सम्मेलन पर कुल कितना धन व्यय होगा; और

(घ) इस सम्मेलन के आयोजन का व्यय कौन उठायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ काटन ऐण्ड एलाइड इन्डस्ट्री, जो कि एक गैर-सरकारी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसको संयुक्त राष्ट्र में परामर्श देने वाली संस्था का स्थान प्राप्त है, तथा अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरसरकारी संगठनों का वार्षिक सम्मेलन इण्डियन काटन मिल्स लि० के निमंत्रण पर नवम्बर, 1967 में वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में होना निश्चित हुआ है ।

(ख) 300 प्रतिनिधि (पत्नियों सहित)

(ग) और (घ) : सरकार को कोई भी जानकारी नहीं है ।

रोहतक-पानीपत रेल सम्पर्क

644. **श्री रणधीर सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विद्यमान रोहतक-पानीपत रेल

सम्पर्क फिर से बनाने का है जिससे हरियाणा के ये दो महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र और मंडियां रेल द्वारा फिर से मिलाई जा सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : उखाड़ी गयी रोहतक-पानीपत रेलवे लाइन को फिर से बिछाने के बारे में एक विवरण संलग्न है ।

विषय : **उखाड़ी गयो रोहतक–गोहाना–पानीपत रेलवे लाइन को फिर से बिछाना ।**

1928 से चालू रोहतक-गोहाना-पानीपत रेलवे लाइन सन् 1942 में, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान, उखाड़ दी गयी थी । भारी सड़क प्रतियोगिता के कारण लम्बे अर्से तक यह लाइन अलाभप्रद रही । इसलिए युद्ध के बाद रेल प्रशासन इसे फिर से बिछाने में हिककिचाता रहा । फिर भी, भूतपूर्व पंजाब सरकार के कहने और स्थानीय जनता की लगातार मांग पर 1956 में रेल मंत्रालय उखाड़ी गयी इस रेलवे लाइन के कुछ भाग अर्थात् रोहतक-गोहाना भाग (20 मील/32 किलोमीटर) को फिर से बिछाने के लिए सहमत हो गया । ऐसा भूतपूर्व पंजाब सरकार के इस स्पष्ट आश्वासन पर किया गया कि प्राधिकारियों के पूर्वानुमोदन के बिना वह सड़क सेवा का कोई नया परमिट जारी नहीं करेगी और रेलों के साथ अनुचित प्रतियोगिता को दूर करने और सड़क तथा रेल परिवहन में अधिकतम समन्वय स्थापित करने के लिये रेलवे प्राधिकारियों की सलाह से सड़क सेवा पर पर्याप्ति नियंत्रण रखा जायेगा ।

2. तदनुसार, 1958 में रोहतक–गोहाना लाइन को फिर से बिछा दिया गया; लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपना आश्वासन पूरा न करने के कारण, मुख्य रूप से निर्बाध प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप यह लाइन अलाभप्रद ही रही । राज्य सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया लेकिन इस बारे में अभी तक उसने कोई कारगर कार्यवाही नहीं की है । रोहतक-गोहाना भाग के परिचालन में लगातार हानि और इस क्षेत्र में कड़ी सड़क-प्रतियोगिता को देखते हुए गोहाना-पानीपत खण्ड को फिर से बिछाने के बारे में फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता खास तौर पर इसलिए भी कि कई अन्य अति आवश्यक परियोजनाओं की जोरदार मांग की जा रही है और रेलों के पास उपलब्ध साधन बहुत ही सीमित हैं ।

वाल्टेयर मार्शलिंग यार्ड में कर्मचारियों को निर्माण भत्ता

645. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाल्टेयर मार्शलिंग यार्ड की निर्माण शाखा में कार्य कर रहे सिग्नल तथा दूर संचार के कर्मचारियों को निर्माण भत्ता नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों ने यह मामला उठाया है और मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों की स्थायी वार्ता व्यवस्था द्वारा इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन को अभ्यावेदन दिया है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को इन्जीनियरी ब्रांच के अन्य कर्मचारियों के समान निर्माण भत्ता देने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इन कर्मचारियों को प्रतिकर (निर्माण) भत्ता नहीं दिया जाता ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं, क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार वे इस भत्ते के हकदार नहीं है ।

वाल्टेयर स्टेशन से मेरिपालेम क्षेत्र तक चलने वाली कर्मचारियों की गाड़ी

646. **श्री तेन्नेति विश्वनाथन् :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के विभाग अधीक्षक (डिवीजनल सुपरिन्टेडेंट) वाल्टेयर के आदेशानुसार इस वर्ष मार्च से कर्मचारियों की गाड़ी (स्टाफ पायलट), जो पिछले 22 वर्षों से चल रही थी और कर्मचारियों को वाल्टेयर स्टेशन से मेरिपालेम क्षेत्र–वाल्टेयर डिपो तक–जिसकी दूरी लगभग पांच किलोमीटर है, ले जाती थी, बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को सूचना दिये बिना ही इस स्टाफ पाइलट गाड़ी को बन्द कर देने से लगभग 1500 रेलवे कर्मचारियों को कठिनाई हो गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) : वाल्तेरु और वाल्तेरु भंडार डिपो के बीच जो कर्मचारी शटल लगभग पिछले 15 वर्षों से चल रही थीं और जिनसे लगभग 250 कर्मचारी आया-जाया करते थे, उनका चलना वाल्तेरु भंडार डिपो यार्ड के बन्द हो जाने पर 13-2-67 से खत्म कर दिया गया है । अब वाल्तेरु भंडार डिपो का काम वाल्तेरु के नये विन्यास यार्ड में स्थानान्तरित कर दिया गया है जहां आस-पास में कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं । कर्मचारियों को कोई सूचना नहीं दी गयी थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि वाल्तेरु ट्रांजिट डिपो 13-2-67 से बन्द होने वाला है और इसके बाद उन्हें वाल्तेरु के नये विन्यास यार्ड में काम करना पड़ेगा जिसकी स्थिति बिल्कुल भिन्न है । कर्मचारी शटलों को चलाने का न तो औचित्य है और न ऐसा करना व्यावहारिक है ।

भारतीय रेलों में विधि सहायक

647. **डा० कर्णी सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में विधि सहायकों के पद भरने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाली यदि कोई विशिष्ट हिदायतें दी गई हैं तो वे क्या है;

(ख) क्या इन पदों को चयन पद के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है अथवा सामान्य पद के रूप में; और

(ग) क्या भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है और क्या पदों के सामान्य पद होने की अवस्था में वरिष्ठता के आधार पर कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) वर्तमान आदेशों के अनुसार 305–15–425 रुपये (अधिकृत वेतन–मान) के ग्रेड में विधि सहायकों की 33.1/3 प्रतिशत जगह

सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती है और बाकी 66.2/3 प्रतिशत जगह उन सेवारत कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती है जो विधि-स्नातक होते हैं।

(ख) सेवारत कर्मचारियों से भरी जाने वाली इन 66.2/3 प्रतिशत जगहों को वरण-पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) 33.1/3 प्रतिशत जगहों पर सीधी भर्ती रेल सेवा आयोग द्वारा अपनायी जाने वाली सामान्य क्रियाविधि के अनुसार की जाती है और सफल उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम के अनुसार सूचीबद्ध किया जाता है। बाकी जगहों के लिए सेवारत रहे कर्मचारियों में से विभागीय वरण के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार चुनाव किया जाता है जिसमें यह व्यवस्था है कि वरिष्ठता पर विचार किया जाय।

ब्रिटेन का यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश

648. श्री रा० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री एस० आर० दमानी :
श्री बलराज मधोक :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री सूपकर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मोहसिन :
श्री आर० के० सिन्हा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री बाकर अली मिर्जा :
श्री वाइ० ए० प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री एस० के० तापड़िया :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री डी० एन० देव :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री हेम बरुआ :
श्री नाथ पाई :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सावित्री श्याम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश की सम्भावना पर ब्रिटेन की सरकार को अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन की सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के बीच इस विषय पर बात चीत चलती रही है। 24 मई, 1967 को वाणिज्य मन्त्री द्वारा इस सभा में दिए गये वक्तव्य की एक प्रति संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 417/67]

माईनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर

649. **श्रीमती जोत्सना चन्दा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर 1963 से, जब से यह चालू हुआ है, घाटे में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लि० दुर्गापुर का संस्थापन 1-4-1965 को एक कम्पनी के रूप में किया गया था और इसने 1965-66 की अवधि में कुल 2,08,24,167 रुपये का घाटा दिखाया।

(ख) रूघन पूँजी वाली एक विशिष्ट प्रकार की भारी इन्जीनियरी की परियोजना के चलाने में प्रारम्भिक वर्षों में इस प्रकार का घाटा कोई असाधारण बात नहीं है। सामान्य रूप से उत्पादन की व्यवस्था करने में कुछ समय लगता है और काम करने के कुछ वर्ष बाद ही संतुलित उत्पादन की सीमा तक पहुंचा जा सकता है जबकि बढ़िया मशीनों के सामूहिक उत्पादन की क्षमता स्थापित हो जाती है। माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन के मामले में भी ब्याज का भार, टूट-फूट पर होने वाले व्यय और प्रारम्भिक वर्षों में सामूहिक उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च के कारण और इस खर्च को पूरा करने के लिए उत्पादन न हो सकने के कारण ही उपर्युक्त घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त 1965-66 में कोयले के उत्पादन के लक्ष्य में कटौती कर देने के कारण कोयला खोदने की मशीनों के लिए पर्याप्त आर्डर न मिलना और विद्यमान कोयले की खानों में पहले लगाये गये अनुमान की अपेक्षा धीमी गति से मशीनीकरण किया जाना था।

भिलाई में इस्पात का जमा होना

650. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री मीठा लाल :

क्या **इस्पात खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई में इस्पात भारी मात्रा में अप्रयुक्त पड़ा है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों ने इसे इस्तेमाल नहीं किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या भारी मात्रा में पड़े इस इस्पात का निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगा लिया गया है;

(ग) इस स्टाक को किस प्रकार से प्रयोग में लाने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) 1 मई, 1967 को भिलाई में 84759 टन विक्रेय इस्पात का स्टाक जमा हो गया था। यह स्थिति बाजार में मन्दा आने के कारण उत्पन्न हुई है।

(ख) भिलाई में तैयार होने वाली वस्तुओं के निर्यात की सम्भावना का लगातार पता लगाया जा रहा है। आजकल भिलाई से जापान को कच्चा लोहा, सूडान, ईरान और घाना आदि को रेल की पटरी और सोवियत संघ को बीम और चैनल निर्यात किए जा रहे हैं।

(ग) ऐसी आशा है कि आन्तरिक और बाह्य खरीद से विक्रेय वस्तुओं का स्टाक खत्म हो जायेगा।

Reservation of Berths on Railways

651. Shri Meetha Lal :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the new system of reservation of berths on Railways has been very inconvenient for intending passengers and there have been strong protests against this from the people of all sections;

(b) if so, whether Government propose to revoke the new system of reservations; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) : It is presumed that the Member's reference is to the enhanced time limit introduced on Railways for advance reservation.

In order to meet the heavy rush of traffic during Summer effectively and with a view to giving relief to the travelling public by reducing the queues at the reservation offices and to avoid black-marketing in reservations by unsocial elements, the time limit for advance reservation has been enhanced on Railways as an experimental measure.

The working of this system is being watched. The question whether this arrangement should be extended uniformly throughout the year will be considered after a full assessment of the experiment is made.

मौन्ट्रियल प्रदर्शनी में भारतीय मंडप

652. श्री मीठा लाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मौन्ट्रियल प्रदर्शनी, 1967 में भारतीय वस्तुओं के लिए मंडप बनाने पर विदेशी मुद्रा में कितनी राशि खर्च की; और

(ख) इस प्रदर्शनी में रखी गई वस्तुओं के निर्यात के कितने आदेश मिलने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) मौन्ट्रियल (कनाडा) में 1967 में लगी प्रदर्शनी में मंडप बनाने के लिये लगभग 2,08,60,000 रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च की गई।

(ख) यह प्रदर्शनी छः महीने तक चलेगी और इसका उदघाटन 28 अप्रैल 1967 को हुआ था। इतनी जल्दी यह नहीं बताया जा सकता कि इस प्रदर्शनी में कुल कितने निर्यात आदेश मिल सकेंगे।

मौन्ट्रियल प्रदर्शनी

653. श्री मीठा लाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वी० कृष्ण मूर्ति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छ: महीने के लिये मौंट्रियल प्रदर्शनी में भारतीय मण्डप के लिये लड़कियों का एक दल भर्ती किया गया था और वहां गाइड के रूप में भेजा गया है;

(ख) उनकी सेवा की शर्तें तथा वेतन क्या हैं;

(ग) काफी अधिक खर्चे पर भारत से महिला गाइड भेजने के क्या कारण थे जबकि अपेक्षाकृत कम खर्चे पर स्थानीय रूप से गाइड रखे जा सकते थे; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रदर्शनी में भारतीय मण्डप के लिये अन्य कर्मचारियों का भी चयन कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 418/67]

(ग) सब बातों पर विचार करते हुए यह अनुभव किया गया था कि भारत के मार्ग-दर्शक अधिक उपयोगी होंगे और जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है सस्ते पड़ेंगे। तथापि, जहां तक संभव था स्थानीय बुद्धिवैभव का भी उपयोग किया गया था और 10 भारतीय मार्गदर्शकों को चुना गया था।

(घ) जी हां, वे पहले से ही मौन्ट्रियल में हैं।

संयुक्त अरब गणराज्य और सूडान से रूई का आयात

654. श्री फ० गो० सेन :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य और सूडान से रूई का आयात करने के लिये वस्तु विनिमय करार करने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) संयुक्त अरब गणराज्य के साथ पहले ही करार किया जा चुका है जिसके अनुसार जून 1968 तक अन्य वस्तुओं के साथ 200,000 रुई की गांठों का भी आयात किया जायेगा। सूडान के साथ करार करने के सम्बन्ध में बातचीत इस वर्ष के अन्त में की जायेगी।

Exploration of Gypsum in Bikaner Division of Rajasthan.

655. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether Government have undertaken the exploration of gypsum in connection with the manufacture of fertilizer in the Bikaner Division of Rajasthan State; and

(b) if so, the places where they have discovered gypsum and the result of the exploration ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) and (b) As a result of exploration carried out by the Geological Survey of India in Bikaner Division of Rajasthan, Gypsite, a powdery form of gypsum has been found at several places, the more important of which are Pallu, Kishenpura, Bangasar, Zorawarpura, Lakhasar, Dheriyan Dhera, Bhuniwala Dher, Karnisar Dher, Tuvranwala Dher, Nishuma Dher, Juna Bhuniwala Dher, Akilwala Dher, Kayamwala Dher, Jawalamukhi Dher, Kabrawala Dher, Juna Akhusar Dher, Jarkhari West Dher, Phalanwali Dher, Karamwala Dher, Dantor Dher, Aksar East Dher, Aksar West Dher, Ballar Dher, Sammewala, Sammuwala, Saunwala, Sappawala, Mothanwala, Dandlawala and Islamwala. The total reserves of gypsite have been estimated at about 18 million tonnes. Further investigations of gypsum and gypsite deposits in Bikaner Division by the Geological Survey of India are in Progress.

आयात लायसेंस

656. **श्री याज्ञिक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में अब तक सरकार द्वारा मंजूर किये गये लाइसेंसों में कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय होगा;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों को मंजूर किये गये आयात लाइसेंस की सहायता से अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे; और

(ग) हाल में घोषित की नई उत्पादन-प्रधान आयात नीति के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1-1-1967 से 31-3-1967 के बीच दिये गये आयात लाइसेंसों के मूल्य की राशि लगभग 496.46 करोड़ रुपये होगी।

(ख) और (ग) आयातित माल के आसानी से उपलब्ध होने के कारण निश्चय ही औद्योगिक एककों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी जिससे निर्यात के लिये अधिक माल बच सकेगा। परन्तु निर्यात में वृद्धि का होना इस बात पर भी निर्भर होता है कि समुद्र पार के देशों में हमारे माल की कितनी मांग है, साथ ही मांग का सम्बन्ध वस्तु के गुण प्रकार और मूल्य से भी होता है। चूंकि मांग की मात्रा का ठीक से अनुमान लगाया जाना कठिन है इसलिये उदार आयात के परिणामस्वरूप कमाई जाने वाली विदेशी मुद्रा का भी ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

उड़ीसा में डस्टी लौह अयस्क का पाया जाना

657. श्री समर गुहा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में एक नये किस्म का डस्टी लौह अयस्क जिसमें लोहे की मात्रा 70 प्रतिशत तक होती है, पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस किस्म के लौह अयस्क का क्या उपयोग करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बढ़िया किस्म के लौह अयस्क को जापान जैसे किसी देश को निर्यात करने की सम्भावना का पता लगाने और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिये नया व्यापार आरम्भ करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) धारणा है कि शायद डसटी आयरन ओर से मतलब ब्ल्यू डस्ट से है जो आम तौर पर उड़ीसा के कच्चा लोहा निक्षेपों के साथ पाई जाती है । इसमें कच्चे लोहे की मात्रा 65 प्रतिशत से अधिक होती है । गुल्लिकाएं बना कर ब्ल्यू डस्ट का प्रयोग किया जा सकता है । प्रयोगों से पता चला है कि सिंटर्स को उत्पादन के लिये ब्ल्यू डस्ट को चूर्ण के साथ मिलाया जा सकता है । एक निजी फर्म द्वारा 0.6 मिलियन टन क्षमता का गुल्लिका बनाने का प्लांट लगाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यह प्लांट उड़ीसा खनन निगम द्वारा विकसित की जा रही देतरी कच्चा लोहा से निकाले गये लोह चूर्ण पर आधारित होगा । फर्म को एक अभिप्राय पत्र जारी किया गया है । ये गुल्लिकाएं निर्यात हो सकती हैं ।

वातानुकूलित डीलक्स रेलगाड़ियों के डिब्बों में खाली स्थान

658. श्री समर गुहा: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि तेज चलने वाली डीलक्स रेलगाड़ियों के तीसरी श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों में विभिन्न स्टेशनों को टिकटों के कोटे के नियतन की दोषपूर्ण व्यवस्था अथवा कदाचार के कारण बहुत से स्थान खाली रहते हैं;

(ख) अप्रैल, 1967 में दिल्ली, हावड़ा, बम्बई और मद्रास से चलने वाली सभी डीलक्स रेलगाड़ियों में तीसरी श्रेणी के वातानुकुलित डिब्बों में कितने स्थान आरम्भ से अन्त तक तथा बीच के स्टेशनों के बीच भी खाली रहे;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि तीसरी श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों में स्थान खाली रहते हैं, उनमें स्थान चाहने वाले लोगों को समय से पूर्व मांगने पर भी टिकट नहीं मिलते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में जांच करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) : कभी-कभी गाड़ियों में निम्नलिखित कारणों से सीटें खाली पायी जाती हैं :—

(i) मध्यवर्ती स्टेशनों से चढ़ने वाले यात्रियों के लिए अलग निर्धारित किया गया कोटा;

(ii) गाड़ी रवाना होने वाले स्टेशन पर अन्तिम क्षणों में आरक्षण रद्द कराना; और

(iii) बाहरी स्टेशनों के यात्रियों के लिए किये गये आरक्षणों का, मेल लेने वाली गाड़ियों के देर से पहुँचने अथवा यात्री द्वारा अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर देने के कारण उपयोग न होना।

अप्रैल, 1967 के शुरू में बम्बई वी० टी० और मद्रास, बम्बई वी० टी० और हवड़ा तथा हवड़ा और मद्रास के बीच नयी साप्ताहिक वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी गयीं और नयी दिल्ली और बम्बई सेन्ट्रल तथा नयी दिल्ली और अमृतसर के बीच चलने वाली वर्तमान गाड़ियों के फेरे बढ़ाये गये। शुरू में नयी चलायी गयी इन गाड़ियों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हुआ और कुछ सीटें खाली रह जाती थीं। अब उनके उपयोग में काफी सुधार हो गया है।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण उचित ढंग से और नियमानुसार किया गया है, पर्यवेक्षण कर्मचारियों द्वारा अक्सर प्लेटफार्मों और आरक्षण कार्यालयों की जांच की जाती है। जो सीटें खाली होती है उनका नियतन प्लेटफार्म पर उपलब्ध आरक्षण-कर्मचारी प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों के लिए कर देते हैं।

यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि प्रत्येक गाड़ी में, अलग-अलग, वास्तव में कितनी सीटें खाली रहीं।

इस्पात के विनियंत्रण के कारण नौकरी से निकाले गये कर्मचारी

659. **श्री बलराज मधोक :**
श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री मधु लिमये :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के विनियन्त्रण के कारण कुल कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया,

(ख) क्या इन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) लोहा और इस्पात नियंत्रक से कहा गया है कि वह विनियंत्रण के फलस्वरूप फालतू होने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना दे।

(ख) और (ग) : गृह मंत्रालय ने फालतू होने वाले कर्मचारियों को काम देने की एक योजना बनाई है। इस प्रकार जितने कर्मचारी आवश्यकता से अधिक होंगे उन्हें गृह मंत्रालय को अन्य नौकरी पर लगाने के लिए सौंप दिया जायेगा। लोहा और इस्पात विभाग भी यह प्रयत्न कर रहा है कि ऐसे कर्मचारियों को उसके अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के कारखानों में दूसरी नौकरियाँ दिलाई जायें।

प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां

660. **श्री मि० सू० मूर्ति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, विजयवाड़ा के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शीर्ष (एपेक्स) और प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों में बहुत अधिक मात्रा में माल इकट्ठा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार प्राथमिक बुनकर समितियों का माल खरीदने के लिये एपेक्स सोसायटी को आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस बारे में हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

रुई की वसूली

661. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों से रुई की कितनी गाठें अधिगृहीत की गई हैं;

(ख) गुजरात से अधिगृहीत की जाने वाली रुई की गांठों की संख्या क्या है;

(ग) सब गांठों को अधिगृहीत करने के बाद कितनी कमी रह जायेगी; और

(घ) कितनी गांठों का आयात करना पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लगभग 82,550 गांठें ।

(ख) लगभग 36,850 गांठें ।

(ग) देश में उत्पादित सभी गांठों को अधिगृहित करने का कोई इरादा नहीं है । जरुरतमन्द मिलों की मांग को आधार बनाकर यदा–कदा और जरुरत के समय अधिगृहण किया जाता है ।

(घ) चालू वर्ष में 850 हजार गांठे आयात करने का कार्यक्रम बना हुआ है ।

तमुरिया तथा घोघरडीहा के बीच रेलवे लाइन का दोहरा किया जाना

662. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमुरिया तथा घोघरडीहा स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने मांग की है जिससे गन्ने की काश्त के बढ़ाने में उनको काफी सहायता मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चिकना हाल्ट स्टेशन

663. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री 31 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 327 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चिकना हाल्ट स्टेशन से जिसे पहले (1) हावड़ा, पुरुदेवघर जैसे स्थानों के लिये टिकट देने, (2) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के टिकट देने, (3) बी० पी० टी० देने, तथा (4) माल पार्सल लेने की शक्तियां प्राप्त थीं, अब ये सब शक्तियां छीन ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : हाल्ट स्टेशन केवल तीसरे दर्जे के स्थानीय यात्रियों की बुकिंग के लिए खोले जाते हैं । 1.4.63 से पहले चिकना हाल्ट का हाल्ट एजेन्ट अनियमित रूप से कोरा पर्ची टिकट, सामान टिकट और थ्रू टिकट जारी करता रहा । 1.4.63 से चिकना हाल्ट से केवल तीसरे दर्जे के स्थानीय यात्रियों के लिए ही टिकट जारी किये जा रहे हैं ।

दिल्ली में ट्यूब रेलवे

664. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री शशी रन्जन :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाउन एण्ड कंट्री प्लैनिंग आरगेनाइजेशन ने सुझाव दिया है कि राजधानी में स्थायी परिवहन समस्या को हल करने के लिए एक ट्यूब रेलवे होनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Supply of Rails to Foreign Countries

666. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bhilai Steel Plant has received orders from foreign countries for supplying rails;

(b) if so, the names of the countries from which orders have been received and the quantity of rails to be supplied to each, separately; and

(c) whether the Bhilai Steel Plant would now be able to function to its full capacity ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) Yes, Sir.

(b) Sudan	...	28,000	tonnes
Ghana	...	4,075	,,
Malaysia	...	2,810	,,
Iran	...	32,130	,,
Turkey	...	16,152	,,

(c) Even with these orders, there will be some surplus capacity in the rail and structural mill.

हथकरघा उद्योग

667. **श्री श्रीधरण :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूत के दामों में वृद्धि होने के कारण हथकरघा उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सूत के मूल्य में सामान्य रुप से वृद्धि हुई है और इससे हथकरघा उद्योग पर कुछ प्रभाव पड़ा है। मूल्य में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि हथकरघा बुनकरों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले सूत के गोलों की सप्लाई प्रर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। हथकरघा उद्योग के लिये प्रर्याप्त मात्रा सूत के गोले उपलब्ध कराने के निमित्त कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

ओलावक्कोड डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक

668. **श्री श्रीधरण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे के ओलावक्कोड डिवीजन में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों को चौकीदार वाले फाटक बनाने के बारे में कोई अभ्यावेंदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : दक्षिण रेलवे के ओलवक्कोड मंडल में 1966–67 तक ऐसे 7 समपारों पर चौकीदार नियुक्त किये जा चुके हैं, जिन पर चौकीदार नहीं थे। इसी प्रकार के 9 अन्य समपारों पर भी चौकीदार रखने का प्रस्ताव रेल प्रशासन की ओर से केरल और मद्रास सरकारों को अपने हिस्से की लागत की स्वीकृति देने के लिए भेजा गया है। इनमें से दो को मद्रास सरकार ने अस्थगित कर दिया है, एक के सम्बन्ध में काम चालू है और एक अन्य के बारे में कारवाई 1967–68 में की जायेगी। शेष 5 के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों की स्वीकृति की प्रतिक्षा है।

Railway Bridge Between Ballia and Chupra (N. E. Rly.)

669. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of Railways be pleased to state the action Government propose to take regarding Bakulha bridge between Ballia and Chupra on the North Eastern Railway, which has become dangerous because of being very old ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : The railway bridge is quite sound and trains are allowed over it at a speed of 50 Km. p. h.

हेवी प्लेटस एण्ड वेसल्स प्लांट

670. **श्री दे० शि० पाटिल :**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाधा में एक हैवी प्लेटस तथा वैसल्स कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है;

(घ) यदि हां, तो इसमें निर्माण कार्य कब से आरम्भ हो जायेंगे; और

(ग) इस योजना पर कितना खर्च आयेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

671. **श्री रामचन्द्र उलाका** **श्री के० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना **श्री हीरजी भाई :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 67 में (अब तक) उड़ीसा में किन–किन जिलों तथा कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं; और

(ख) इसी अवधि में उड़ीसा को इस कार्य के लिये केन्द्र ने कितनी राशि प्रदान की ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) उड़ीसा सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा तथा राजस्थान के लिए नालीदार चादरें

672. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री के० प्रधानी :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 के **दौरान** उड़ीसा तथा **राजस्थान** को कितनी नालीदार चादरों की आवश्यकता थी;

(ख) उक्त अवधि में इन राज्यों को कितनी चादरों का आबंटन किया गया; और ?

(ग) उक्त अवधि में वास्तव में कितनी चादरें इन राज्यों को सप्लाई की गई ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1966–67 में उड़ीसा और राजस्थान की नालीदार जस्ती चादरों की मांग क्रमशः 12,000 और 16,500 टन थी।

(ख) नालीदार जस्ती चादरों की अत्याधिक कमी और पिछले बहुत से आर्डर होने के कारण, 1966–67 में किसी भी राज्य को इनका आवंटन नहीं किया गया।

(ग) 1966–67 में (नवम्बर 1966 तक) उड़ीसा के पिछले आर्डरों पर 63 टन नालीदार जस्ती चादरें प्रेषित की गई। इनके अलावा 220 टन काली नालीदार चादरें, जो छतें डालने के काम के लिए नालीदार जस्ती चादरों की जगह काम आ सकती है, प्रेषित की गई। इसी अवधि में राजस्थान को 691 टन नालीदार जस्ती चादरें और 1785 टन काली नालीदार चादरें प्रेषित की गई।

उड़ीसा तथा राजस्थान में कपड़ा मिलें

673. श्री रामचन्द्र उलाका **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री के० प्रधानी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967–68 के दौरान उड़ीसा तथा राजस्थान की वर्तमान कपड़ा मिलों में तकवों की क्षमता बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा और राजस्थान के लिये स्टेनलेस स्टील

674. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री के० प्रधानी :**

क्या **इस्पात, खान और** धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में उड़ीसा तथा राजस्थान को कितने स्टेनलेस स्टील की आवश्यकता थी,

(ख) उक्त अवधि में उनको वास्तव में कितना स्टेनलेस स्टील सप्लाई किया गया ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : 1966–67 में राज्य क्रम से स्टेनलेस स्टील की आवश्यकताओं का पता नहीं लग सका है क्योंकि अगस्त, 1966 में आयात में ढील देने की नीति लागू करने से आयात लाइसेंस मूल अवधि में दिये गये लाइसेंसों के आधार पर दिये जाने हैं। लघु उद्योगों को 1964–65

में दिये गये लाइसेंसों से तिगुने मूल्य के लाइसेंस दिये जा सकते हैं बशर्ते कि वे प्रायरिटी इन्डस्ट्री में आते हों अन्यथा उन्हें दुगने मूल्य के लाइसेंस दिये जा सकते हैं ।

राजस्थान में हथकरघा कपड़े का तैयार किया जाना

675. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री के० प्रधानी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में राजस्थान में कुल कितनी मात्रा में हथकरघा वस्त्र तैयार किये गये;

(ख) उक्त अवधि में कुल कितने सूत का कपड़ा तैयार किया गया; और

(ग) उक्त अवधि में राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये राजस्थान को कुल कितनी राशि की मंजूरी दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) 1.20 लाख रुपये–80,000 रुपये अनुदान के रुप में और 40,000 रुपये ऋण के रुप में ।

हथकरघा उद्योग को राज सहायता

676. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री के० प्रधानी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966–67 में देश में हथकरघा उद्योग को केन्द्रीय सरकार से राज सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में हथकरघा उद्योग के विकास हेतु राज सहायता दी गई थी । इस प्रयोजन के लिये 1966–67 में कुल 294.98 लाख रुपये की राशि दी गई थी, जिससे 201.57 रुपये का अनुदान और 93.41 लाख रुपये का ऋण सम्मलित है ।

जूतों का उत्पादन

677. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री के० प्रधानी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966–67 के दौरान देश में जूतों के उत्पादन में कोई कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1966--67 में जूता उद्योग ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) 1966--67 के लिये जूतों के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वे इकट्ठे किये जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 1966–67 (अप्रैल, 1966 से जनवरी, 1967 तक) जूतों के निर्यात द्वारा 684 लाख रू० की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी।

अखबारी कागज का आयात

678. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री के० प्रधानी :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में कुल कितने अखबारी कागज का आयात किया गया और देश में उसका कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उक्त अवधि में अखबारी कागज के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) वर्ष 1966–67 (जनवरी 1967 तक) के दौरान कुल 77,772 टन अखबारी कागज आयात किया गया था और 31.3.1967 तक 29,554 टन देश में पैदा किया गया था।

(ख) उसी अवधि में आयात किये गये अखबारी कागज का कुल मूल्य 828.81 लाख रु० है।

दक्षिण पूर्व रलवे के तीसरी श्रेणी के कर्मचारी

679. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री के० प्रधानी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे में तीसरी श्रेणी में कितने व्यक्ति भर्ती किये गये; और

(ख) उनमें कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 416

(ख) अनुसूचित जाति–44

अनुसूचित आदिम जाति–20

कच्चा लोहा

680. श्री हीर जी भाई : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री के० प्रधानी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में प्रत्येक राज्य को उनके उद्योगों के लिये कच्चे लोहे की कितनी आवश्यकता थी तथा उनको कितना कच्चा लोहा उपलब्ध किया गया, और

(ख) कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान और धातु मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 419/67]**

(ख) अधिकांश मांगें पूर्णतया पूरी कर दी गई हैं वास्तव में कभी-कभी तो उत्पादकों के पास मांग से अधिक माल रहता था। हमने जापान को भी काफी मात्रा में कच्चा लोहा भेजा है।

उड़ीसा के लिये अम्बर चरखे

681. श्री हीरजी भाई : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री के० प्रधानी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में उड़ीसा को दिये जाने वाले अम्बर चरखों की संख्या क्या है ;

(ख) उक्त अवधि में उनमें से कितने चरखे चालू रहे ; और

(ग) उसी अवधि में उनके द्वारा कुल कितना सूत तैयार किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Direct Train Between Delhi and Hyderabad.

682. **Shri Ramachandra Veerappa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce direct train service between Hyderabad and Delhi; and

(b) if so, when ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग

683. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1965 से दिसम्बर, 1966 तक की अवधि में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी; और

(ग) उनसे कितनी रकम वसूल की गई, कितने लोगों को सजा दी गई तथा कितने लोगों को छोड़ा गया ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, कुछ रेलों पर।

(ख) 1,20,49,611

(ग) (1) वसूल किये गये किराये और अतिरिक्त प्रभार–
3,67,90,454 रुपये

(2) व्यक्तियों की संख्या :–

(i) दण्डित– 3,79,196

(ii) छोड़े गये– 11,317

बिड़ला समवाय समूह को लाइसेंस देना

684. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :
श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 से 1966 तक की अवधि में बिड़ला समवाय समूह को लाइसेंस दिये जाने से अन्य फर्मों का मार्ग कहां तक अवरुद्ध हुआ ;

(ख) क्या उन्हीं लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र देने वाली अन्य फर्म उन परियोजनाओं के लिये योग्य नहीं थीं ; और

(ग) जिन चीजों के लिये बिड़ला समूह से आवेदन-पत्र दिये थे, उन्हीं चीजों के लिये आवेदन-पत्र देने वाली प्रमुख फर्मों के नाम क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस जारी किए जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत लाइसेंसों के लिए सभी आवेदनों पर लाइसेंसिंग कमेटी द्वारा विचार किया जाता है। जब कभी एक जैसी वस्तुओं के निर्माण के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो वे लाइसेंसिंग कमेटी को इकट्ठे ही प्रस्तुत कर दिए जाते हैं जिससे वह उन योजनाओं के तुलनात्मक गुणावगुणों को आंक कर अपनी सिफारिशें दे सकें। अपनी सिफारिशें देते समय कमेटी अन्य बातों के साथ-साथ योजना की सम्भाव्यता, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास की आवश्यकता कुछ ही हाथों में आर्थिक शक्ति का केन्द्रित हो जाना, विदेशी मुद्रा का खर्च तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखती है।

कमेटी की सिफारिशें मंत्री (औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य) की स्वीकृति के अधीन होती है। आवेदनों पर किए गए निर्णयों की समय-समय पर उद्योगों की परामर्शदात्री केन्द्रीय परिषद की उप-समिति द्वारा समीक्षा की जाती है जिसमें पूर्णतः गैर-सरकारी सदस्य होते हैं।

राजस्थान में औद्योगिक बस्तियां

685. **श्री के० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में (अब तक) राजस्थान में किन-किन जिलों में और कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं ; और

(ख) इसी अवधि में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को इस कार्य के लिये कितनी राशि प्रदान की ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) राजस्थान की सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) 1. 60 लाख रु० ।

राजस्थान को सीमेंट की सप्लाई

686. **श्री के० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की सीमेंट की वर्तमान आवश्यकता क्या है ; और

(ख) वर्ष 1966–67 में उस राज्य को वास्तव में कितनी सीमेंट दिया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : सीमेंट के मूल्य तथा वितरण से नियंत्रण उठा लिया गया है, राज्य सरकारों को नियतन के लिए सीमेंट की अपनी मांग केन्द्र सरकार को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है । इसके बदले उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अब सीधे स्वयं उद्योग द्वारा सामान्य व्यापारिक साधनों से की जाती है । राजस्थान को 1966–67 की अवधि में सीमेंट का वास्तव में 3,25,000 मी० टन संभरण किया गया । चूंकि कमी की कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई, इसलिए अनुमान किया जाता है कि राज्य सरकार को सीमेंट की कुल इतनी ही आवश्यकता थी । यदि और अधिक परिमाण की आवश्यकता पड़ी तो उसे भी उद्योग पूरी कर सकता है ।

छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रशिक्षण

687. **श्री के० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन मास में छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रशिक्षण के लिये राजस्थान से कितने व्यक्ति विदेश भेजे गये; और

(ख) वे किन–किन देशों को भेजे गये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान के लिये इस्पात का आयात

688. श्री हीरजी भाई :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री के० प्रधानी :

क्या **वारिणज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966-67 में इस्पात के आयात के लिये राजस्थान राज्य को कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई ?

वारिणज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अगस्त, 1966 में उदार लाइसेंस योजना के लागू किये जाने से राज्यवार आवंटन का तरीका छोड़ दिया गया था । इसकी बजाय, उन कारखानों को, जिन्होंने 1964-65 या 1965-66 में आयात लाइसेंस प्राप्त किये थे, 1964-65 में जारी किये गये लाइसेंसों के तिगुने मूल्य या 1965-66 में जारी किये गये लाइसेंसों के बारह गुने मूल्य के आधार पर लाइसेंस दिये गये थे बशर्ते के वे कारखाने प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में दर्ज हों । अन्य उद्योगों के कारखानों के सम्बन्ध में दुगने या आठ गुने के आधार पर जैसा भी मामला हो लाइसेंस दिये गये थे । उन कारखानों को, जिन्होंने 1964-65 या 1965-66 के दौरान कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारों द्वारा जारी किये गये अत्यावश्यकता प्रमाणपत्रों के आधार पर लाइसेंस दिये गये थे ।

चल टिकट परीक्षकों की अवकाश की अवधि में काम करने वाले व्यक्ति

690. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में चल टिकट परीक्षकों को अवकाश की अवधि में काम करने वाले व्यक्ति चल टिकट परीक्षकों का ही काम करते हैं परन्तु उन्हें कम वेतन मिलता है, और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिये उनके मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : इस आशय की हिदायतें पहले ही मौजूद हैं कि, जब छुट्टी रिजर्व टिकट कलक्टर चल टिकट परीक्षकों के पद पर स्थानापन्न रुप से काम करें, तो उन्हें स्थानापन्न वेतन दिया जाये । फिर भी, इस तरह की कुछ शिकायतें मिली हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे के कटिहार पश्चिमी जिले में चल टिकट परीक्षकों के रूप में काम करने वाले कुछ छुट्टी रिजर्व टिकट कलक्टरों को सही भुगतान नहीं किया गया है । मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

Machines of Steel Plants

691. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the machines installed in the three big Steel Plants, i.e. Bhilai,

Rourkela and Durgapur are of the same type as those installed in U. S. S. R., Germany, U. K. and U. S. A. ;

(b) whether the salaries paid to the employees of the said plants are equivalent to those paid to the employees operating similar machines in the said countries; and

(c) whether the cost of production of steel in our country is the same as in the said countries for the same quality of steel ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) (a) The main plant and equipment for the Million Tonne Plants at Bhilai, Rour- kela and Durgapur were manufactured and supplied mostly by USSR, West Germany and U. K. These incorporate progressive techniques for the manufacture of Iron and Steel developed mostly in the post-war era.

(b) The current wage structure for steel plant workers was fixed by the Central Wage Board for Iron and Steel Industry and is effective from 1st April, 1965. The hourly compensation received by Steel Workers differs from country to country depending upon differneces in General wage levels, productivity, etc.

(c) Since Steel Companies in India and abroad treat their cost of production data as confidential, so as to preserve their competitiveness in internal as well as external markets, such data are not available for purposes of comperison on with the cost of production of steel in India.

Development of Heavy Engineering Corp., Ranchi :

692. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the expenditure to be incurred on the scheme for the expansion of the Heavy Engineering Corporation Ranchi, the time likely to be taken therefor and the capacity thereof after completion ;

(b) the present capacity thereof along with the present production; and

(c) whether it is a fact that the said factory is utilising only 10 per cent of its production capacity for want of buyers ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) There is no scheme for expansion of the Heavy Engineering Corporation at present.

(b) & (c) : of the three plants under the Company, the Foundry Forge plant and the Heavy Machine Tools plant are yet to be completed. Preliminary production has however commenced on the basis of machinery installed. Actual production during 1966-67 and likely production during 1967-68 are as under :

Foundry Forge Plant :	**Production (Tonnes)**
1966-67	5761
1967-68	15000

Heavy Machine Tools plant

	No. of machines
1966-67	4
1967-68	37

The capacity and production of the Heavy Machine Building Plant during 1966-67 and 1967-68 are as under :

Capacity		Production in tonnes
1966-67	14500	14307 (Actuals)
1967-68	15000	15000 (Orders in hand)

At present there is no unutilised capacity in this plant.

मरियानी से चापरमुख तक रेलवे लाइन

693. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोहियों द्वारा किये जाने वाले तोड़-फोड़ के कार्यों के परिणाम-स्वरूप आसाम में रेलवे में बार-बार होने वाले विस्फोटों को ध्यान में रखते हुए बरुआबामनगांव स्टेशन को जाखलाबंध स्टेशन से मिलाकर मरियानी से चापरमुख तक एक वैकल्पिक रेलवे लाइन बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पारादीप पत्तन और कटक के बीच रेल सम्पर्क

694. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन को कटक से रेलवे लाइन द्वारा मिलाने का प्रस्ताव किस अवस्था में है,

(ख) उस लाइन का निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है,

(ग) पारादीप तक रेल सम्पर्क के मार्ग के सर्वेक्षण पर कितना धन खर्च किया गया है, और

(घ) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने में बनने वाले माल का निर्यात करने के उद्देश्य से पारादीप को रूरकेला से रेलवे लाइन द्वारा मिलाने के बारे में भी कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कटक/बारंग-पारादीप रेलवे लाइन का इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण हो रहा है।

(ख) आवश्यक सर्वेक्षण का काम पूरा होने के बाद ही इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकेगा।

(ग) सर्वेक्षण का काम हो रहा है और इस पर लगभग चार लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(घ) जी नहीं।

Heavy Engineering Corporation, Ranchi

695. Shri Valmiki Choudhary: Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) the capital outlay of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi;

(b) the present production capacity thereof and the extent and the manner in which the demands from various firms are met;

(c) the reasons for which the production is not being obtained according to the full capacity of the various machines; and

(d) the steps being taken to ensure the maximum production from the machines installed at such high cost?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A, Ahmed): (a) The latest estimate of capital costs of the three projects of the Compny, Viz., Heavy Machine Building Plant, Foundry Forge Plant and Heavy Machine Tools Plant and the township, is Rs. 215,08 crores.

(b) **(i) Heavy Machine Building Plant**

Year	Capacity in tonnes	Production in tonnes
1966-67	14500	14307 (actuals)
1967-68	15000	15000 (orders in hand)

(ii) Foundry Forge Plant

This plant is yet to be comleted. Partial production has however commenced in the shops which have been completed. The actual production during 1966-67 and the estimated production during 1967-68 are as under:—

	Production (in tonnes)
1966-67	5761
1967-68	15000

(iii) Heavy Machine Tools Plant

This plant is also yet to be completed. Preliminary production restricted to the assembly of machines from imported components started only recently. Four machines were assembled during 1966-67. During 1967-68, production capability is 37 machines.

(c) and (d) At persent there is no unutilised capacity. The capacity of the Heavy Machine Building Plant will rise progressively reaching the rated capacity of 80,000 tonnes a year by 1971-72. As the machines to be manufactured in this plant are tailor made, it takes about 18 months for preparation of designs, technological documents etc., and another 12 months for manufacture. With this long manufacturing Cycle, the order position in respect of the next few years is suggestive of some idle capacity. Efforts are being made to load the plant with orders and also to diversify production to the extent feasible.

Manufacture of Steam and Diesel Locomotives

696. Shri Y. S. Kushwah: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of steam and diesel locomotives now being manufactured in India separately;

(b) the number out of them which were exported and which were utilised within the country last year, separately ; and

(c) the number and types of engines imported from abroad during the last year ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The present rate of production of steam and diesel locomotives in India is about 180 and 60 per year respectively.

(b) All were utilised within the country.

(c) Nil.

Price of Cement

697. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that no one is able to get cement at fixed price after the decontrol of cement, because the number of licensed cement dealers is controlled ; and

(b) if so, whether Government would withdraw that control as well ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Railway Hospital at Anand Nagar

698. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the North Eastern Railway residing at Anand Nagar have submitted a memorandum demanding the construction of a Railway Hospital there, and

(b) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, in July, 1966.

(b) Provision of a railway hospital at Anand Nagar was not considered justified.

घड़ियाँ बनाने के लिये लाइसेंस

699. **श्री पाशा भाई पटेल :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विटजरलैंड के घड़ी निर्माताओं का एक दल 1965 में भारत आया था तथा उसने देश में घड़ी उद्योग की स्थापना करने के सिलसिले में कुछ प्रस्ताव पेश किये थे;

(ख) यदि हां, तो इस दल के साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या यह सच है कि स्विटजरलैंड के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद हिन्दुस्तान

मशीन टूल्स का एक अधिकारी स्विटजरलैंड में इन के पास गया था और उसने उनसे कहा था कि हम काश्मीर में सरकारी क्षेत्र में घड़ियों का कारखाना स्थापित करना चाहते हैं; इस पर स्विटजरलेंड के घड़ी-निर्माताओं ने उत्तर दिया कि वे सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने के इच्छुक नहीं हैं तथा उनकी राय में काश्मीर एक उचित स्थान भी नहीं है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रश्न पर फिर से विचार करने का तथा यदि कोई उचित उद्योगपति सरकारी क्षेत्र में कारखाना खोलना चाहे तो उसे इस शर्त पर औद्योगिक लाइसेंस देने का है कि उसके स्थापना स्थान के बारे में संयुक्त प्रौद्योगिकी अध्ययन निर्णय करेगा; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) (ख) तथा (ग) : स्विस घड़ी निर्माताओं का एक शिष्टमण्डल मई, 1965 में भारत आया और उसने भारत में घड़ियाँ बनाने के एक एकक की स्थापना का एक अस्थायी प्रस्ताव रखा था। सरकार ने बातचीत के दौरान उन्हें सूचित किया कि अन्य बातों के साथ-साथ सरकार इस एकक की सरकारी क्षेत्र में स्थापना को अधिक पसन्द करती है, जिसमें विदेशी साझे का अंश 49 प्रतिशत होगा। इसके आगे कोई प्रगति नहीं हुई। 1966 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबन्ध निदेशक स्विस अधिकारियों से बातचीत करने के लिए स्विटजरलैंड गए। स्विस पार्टी कुछ शर्तों पर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के साथ सहयोग करने को तैयार थी किन्तु उन्होंने काश्मीर में कारखाने की स्थापना करना पसन्द नहीं किया। इस पर मामले को समाप्त कर देने का निर्णय किया गया था।

(घ) तथा (ङ) स्विस सहयोग से काश्मीर में घड़ियों के कारखाने की स्थापना का एक गैर सरकारी पार्टी के सुझाव की जाँच की जा रही है।

अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मिज़ो विद्रोहियों द्वारा भारतीय सुरक्षा बल के एक गश्ती यूनिट पर छिप कर हमला

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : मैं माननीय गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बंध में एक वक्तव्य दें :—

सिल्चर-ऐज़ल रोड़ पर मिज़ो विद्रोहियों द्वारा भारतीय सुरक्षा बल के एक गश्ती यूनिट पर छिप कर हमला करना, और उसके परिणामस्वरूप नौ सुरक्षा कर्मचारियों की मौत हो जाने और अन्य पांच के घायल होने का समाचार।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : श्रीमन्, 23 मई 1967 के प्रातः काल में सुरक्षा कर्मचारियों के एक गश्ती दल को काला शिव के निकट सिल्चर-ऐजल सड़क पर मिज़ो विद्रोहियों द्वारा घेर लिया गया। गश्ती दल के 15 सदस्य मारे गए और एक घायल हो गया।

घायल व्यक्ति को सिल्चर अस्पताल ले जाया गया । हमारी सहायक सेना के मौके पर पहुंचने से पहले ही विद्रोही भाग गए । किन्तु विद्रोहियों का पीछा किया जा रहा है और कार्यवाहियां चल रही हैं ।

Shri Jagannath Rao Joshi : May I know the source from which Mizo rebels obtain those weapons and the country in which they are manufactured.

श्री यशवंतराव चव्हाण : समय-समय पर उन्हें विदेशों से शस्त्र मिलते रहते हैं । उन पर कई बार उस देश का, जहां वे बनते हैं, नाम नहीं लिखा होता है ।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : The Government have declared Mizoes as hostile. May I know the reasons for not taking any drastic action to put an end to their subversive activities ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : पिछले वर्ष इन विद्रोहियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जाती रही है । परन्तु उस क्षेत्र की स्थिति के कारण इसमें कुछ समय लगेगा ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : (क) मिजो विद्रोही नागा विद्रोहियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने में कहाँ तक सफल हुए हैं (ख) क्या यह सच है कि मिजो विद्रोही पाकिस्तान तथा चीन से शस्त्र प्राप्त करने में सफल हो गये हैं; और (ग) क्या सरकार तथा कथित मिजो अस्थायी सरकार को समाप्त करने मे सफल हो गई है ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : हमने मिजो विद्रोहियों पर बहुत दबाव डाल रखा है । विद्रोहियों का नेता भाग कर ब्रिटेन चला गया है परन्तु अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी । मिजो नेशनल फ्रंट कमजोर हो रहा है और इस बात का मेरे पास प्रमाण है, मैं यह तो नहीं कहता कि हम इसमें पूरी तरह सफल हो गये हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : The hon. Minister is not giving the information to the House. I have got the information that forty of our men, including Lt. Col. Dhillon, were killed by the hostiles with hand grenades and machine guns. It happened near Thingsulthilba. This information was totally concealed from the House and the nation.

श्री यशवंतराव चव्हाण : माननीय सदस्य सभा में यह गलत प्रभाव देना चाहते हैं कि मैंने कोई सूचना छिपाये रखने का प्रयत्न किया है । अन्य सभी हमलों की तरह इन हमले की सूचना भी दी गई है ।

श्री नाथ पाई : (राजापुर) : पिछले सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि वह लंदन में भारतीय उच्चायुक्त से इस बारे में सूचना प्राप्त करेंगे कि लालडिंगा कहाँ है । उसका अभी तक पता क्यों नहीं लगा है ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैंने प्रयत्न किये है परन्तु इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है ।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नेशनल न्यूज़ प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा समीक्षा आदि

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपा नगर, 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 392/67]

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 393/67]

(3) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 1 मई, 1967 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1556 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 394/67]**

खनिज रियायत (पहला संशोधन) नियम, 1967

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत खनिज रियायत (पहला संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 18 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 369 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर पुनः रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 163/67]**

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) रबड़ होजों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967 जो दिनांक 23 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1005 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) कार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 10 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1718-सी में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) गोंद कराया का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 12 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1719-ए में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 395/67]**

(2) वायदा बाजार समीक्षा समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 395/67]**

चाय बोर्ड के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित प्रश्न सभा पटल पर रखता हूं :

(1) चाय बोर्ड के वर्ष 1964-65 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 396/67]**

(2) काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) काफी (दूसरा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 8 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 482 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) काफी (तीसरा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 15 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 517 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) काफी (चौथा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 22 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 551 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 397/67]

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तंगत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) रुई तथा तन्तु (स्टेपल फाइबर) कपड़ा मिलें (कार्य का विनियमन) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 11 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1275 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) रुई नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1967 जो दिनांक 22 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1390 में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 398/67]

अतिरिक्त अनुदानों की मागें (रेलवे) 1964–65

DEMAND FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS)

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : में श्री चे० मु० पुनाचा की ओर से 1964-65 के आयव्ययक (रेलवे) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मागें दिखाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : श्रीमान्, सोमवार, 29 मई, 1967 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) वर्ष 1967-68 के लिये रेलवे बजट पर आगे चर्चा।

(2) वर्ष 1967-68 के लिये सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा ।

श्री स. मो. बनर्जी (कानपुर) : सन्तामनम समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा की जानी चाहिये । वित्त मंत्री को 50 वर्ष की आयु पूरा करने अथवा 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने के निर्णय के बारे में स्पष्टीकरण करना चाहिये और इस अधिवेशन के दौरान अनिसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार किया जाना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The recommendations of Education Commission and Parliamentary Committee should be discussed.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): No importance is attached to No Day Yet Named Motion. At least one such motion should be taken during a week. During the Presidents's Address, the decision to form a Committee regarding imposition of ban on cow slaughter was announced, but the Committee has not yet been set up. This matter should be discussed next week.

श्री मं० र० कृष्ण (पेद्दपल्लि) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर बहुत कम समय दिया जाता है । क्या अब भी वैसा ही किया जायेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं इस बात से सहमत हूं कि इस प्रतिवेदन के लिए अधिक समय दिया जाये परन्तु रेलवे तथा सामान्य आयव्ययक पर चर्चा के बाद ही कोई और कार्य लिया जा सकता है । प्रशासनिक सुधार आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन भी उपलब्ध हो गया है । यह मामले कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखे जायेंगे ।

The report of Education Commission and the Committee of Members of Parliament thereon will be discussed in due time. I will place the point raised by Shri Prakash Vir Shastri before Business Advisory Committee.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : पश्चिमी एशिया की स्थिति पर चर्चा के लिए कुछ समय रखा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा कल हुई थी।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : कल चर्चा पूरी नहीं हुई। इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जायेगा।

Shri S. M. Joshi (Poona) : I request the hon. Deputy Prime Minister to clarify the position with regard to retirement at the age of fifty.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह नियम इसलिए बनाया गया है कि उन अधिकारियों को जो योग्य नहीं है और जिन्हें वर्तमान नियमों के अन्तर्गत हटाया नहीं जा सकता, 50 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होने के लिए, कहा जा सके।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : उन्होंने 'अधिकारी' शब्द का प्रयोग किया है।

सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को सरकारी अधिकारी ही कहा जाता है परन्तु मैं सभी को अधिकारी ही कहता हूं।

जो सरकारी कर्मचारी 50 वर्ष की आयु में सेवा से निवृत्त होना चाहे उनको भी ऐसा करने का अधिकार है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जब संसद का सत्र हो रहा है तो हमें समूचे मामले पर चर्चा करने का अधिकार है।

समितियों के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEES

(एक) राजघाट समाधि समिति

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप-धारा (1) (डी) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप-धारा (1) (डी) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

(दो) दिल्ली विकास अधिकारी की सलाहकार परिषद्

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उप-धारा (2) (एच) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विकास अधिकार की सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुने ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उप-धारा (2) (एच) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विकास अधिकार की सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा 24.5.1967 को स्थगन प्रस्ताव को निपटाने के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत मामला

Metter under Rule 377 Re : Disposal of adjournment motion by the Deputy Speaker on 24-5-1967.

अध्यक्ष महोदय : श्री कुंटे ने 24 मई की घटनाओं के बारे में प्रस्ताव की सूचना दी है । क्या वह कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : 24 मई को मैं यह धारणा लेकर सभा से गया था कि सभा स्थगन प्रस्ताव पर मतदान किये बिना ही अगले दिन के लिए स्थगित हो गई है । ऐसा मैंने अध्यक्ष के कहने के अनुसार ही किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है । राष्ट्रपति भवन में मेरे कुछ मित्रों ने बताया कि उस दिन, बाद में भी कुछ कार्यवाही हुई थी । इस बात की अगले दिन पुष्टि हो गई । फिर भी मैंने लोक सभा सचिवालय से वाद्-विवाद के सारांश की एक प्रति ली जिसमें एक स्थान पर लिखा था कि आगे की कार्यवाही का विवरण पृथक से भेजा जायेगा और एक अन्य स्थान पर लिखा था कि प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया । इसलिए सभा में हुई कार्यवाही के विवरण में उचित सुधार करने के उद्देश्य से मैंने नियम 377 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । मेरे विचार में यदि एक बार सभा को स्थगित कर दिया जाता है तो उसके बाद यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो उसको रिकार्ड में नहीं लिया जाना चाहिए । रिकार्ड की ही प्रति से मुझे पता चला कि उपाध्यक्ष महोदय ने कुछ अन्तर्बाधों के पश्चात बिना किसी के कहे स्वयं कहा 'कि अब मतदान होगा । जो दिलचस्पी रखते हैं वे प्रतीक्षा करें ।' इस पर एक माननीय सदस्य ने आपत्ति की और कहा कि आप सभा को स्थगित कर चुके हैं और इसलिए अब ऐसा नहीं किया जा सकता । एक बार सभा को स्थगन करने के पश्चात उसको पुन: गठित करना पीठासीन व्यक्ति के अधिकार में नहीं है । अत: मैंने अध्यक्ष महोदय को नियम 377 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय सदस्य श्री कुंटे की बात का समर्थन

करता हूं। जब उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि सदस्य बाहर जाकर अपने-अपने दल के सदस्यों को ले आयें तो श्री रंगा ने कहा था कि हम यह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। इसलिए विभाजन कल कर लिया जाये। तब उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि मतदान कल होगा परन्तु हम वाद-विवाद जारी रखेंगे और जब डा० लोहिया से पूछा गया कि वह सभा को स्थगन करने के पक्ष में हैं तो उन्होंने कहा कि हां। तब उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभा को कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है। प्रधान मंत्री, उप-प्रधान मंत्री तथा उनके साथी वहां उपस्थित थे। वे इस बात की गम्भीर जटिलताओं को जानते थे। यह कोई सामान्य स्थगन अथवा नियम 375 के अन्तर्गत स्थगन नहीं था बल्कि यह स्थगन तो डा० लोहिया के निश्चित स्थगन प्रस्ताव पर था। यदि सरकार में संसदीय लोकतंत्र का कुछ भी सम्मान होता तो उसी दिन त्यागपत्र दे देना चाहिए था।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय का यह दलगत व्यवहार मेरे लिए आश्चर्यजनक था। इस घोषणा के पश्चात कि मतदान कल होगा और सभा स्थगित की जाती है सदस्यों को सभा से चले जाने का अधिकार है। इस घोषणा के पश्चात विरोधी दलों के अधिकांश सदस्य सभा से चले गये थे। परन्तु जब पीठासीन ने यह महसूस किया कि यह एक भूल थी तो उन्होंने बाद में कहा कि हम लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे। विरोधी दलों के प्रस्ताव को स्वीकार करने में उपाध्यक्ष महोदय अपने मन में बिल्कुल स्पष्ट थे। परन्तु जब उन्होंने सरकारी बैंचों की ओर देखा तो उनको अपनी भूल महसूस हुई। लोकतंत्र में इस प्रकार की बात कभी नहीं हुई। इस पद पर चुने जाने के पश्चात अध्यक्ष को निष्पक्ष तथा उद्देश्यात्मक ढंग से कार्य करना चाहिए। उनको किसी दल का पक्ष नहीं लेना चाहिए। उन्होंने इस मामले में सरकार को भंग होने से बचाने का प्रयत्न किया है। सभा को स्थगन करने के पश्चात उसको पुर्नगठित करने का कोई अधिकार उनके पास नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि उस दिन मतदान किया जाता तो विरोधी दल स्थगन प्रस्ताव पास कराने में सफल हो जाते।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : At that time the hon. Deputy Speaker said, "All right. The House is adjourned, stands adjourned. We will meet to-morrow at eleven".

I would like to draw the attention of the hon. Speaker to rules 15 and 62. The rule 62 reads as follows :

"The Speaker may, if he is satisfied that there has been adequate debate, put the question at 18.30 hours or at such other hour not being less than two hours and thirty minutes from the time of commencement of the debate".

Again in rule 367 the hon. Deputy Speaker was authorised to have the division in the lobbies on the failure of electricity. But unfortunately he did not pay attention to these rules. According to rule 15 the Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned isne die or to a particular day, or to an hour or part of the same day. Provided that the Speaker may, if he thinks fit, calls a sitting of the House before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the House has been adjourned sine die.

So, it is clear that the hon. Deputy Speaker did not act according to procedure of the division laid down in the rules. Voting was not held. On the other hand he adjourned the House till eleven of the other day according to rule 15. Therefore, I would request

you that the proceedings held after your orders of adjournment of the House should not go to the records.

Situation arising out of these orders should be discussed in the House. When the Chair adjourned the House on the specific motion of adjournment it means that the House and the Chair have expressed lack of confidence in the Government. Therefore this Government should submit its resignation and a new Government should be formed.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It cannot be denied that the hon. Deputy Speaker adjourned the House on that day but I cannot agree that the adjournment motion was accepted from the way the House was adjourned.

Now the question is whether the Speaker, Deputy Speaker or any body in the chair have the right to adjourn the House without having a division on the motion being discussed. In my view the chair does not have the right to do so because it can be used in favour of the ruling party. The similar situation can rise in future also. I, therefore, request you to determine that unless voting is held on the motion House would not be adjourned. On the failure of electricity other methods can be adopted for voting.

The fact remains that the hon. Deputy Speaker committed a mistake on that day and adjourned the House. Therefore he should apologise from the House.

श्री नाथपाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री मधु लिमये ने इस बारे में सम्बन्धित नियमों का उल्लेख किया है। उस दिन उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि दलों के सचेतक जाकर अपने साथियों को बुला लायें। प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली के बन्द हो जाने पर वह नियम 367ख (1) के अन्तर्गत कार्य कर सकते थे। नियम 367 (ख) (1) में दिया गया है कि अध्यक्ष जब नियम 357 के उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत निदेश दे कि सदस्यों द्वारा सभा कक्ष में जाकर मत अभिलिखित करवाये जायेंगे तो वह 'हां' वालों से दायें सभा कक्ष में जाने के लिए कहेगा और 'ना' वालों से बायें सभाकक्ष में। यथास्थिति 'हां' या 'ना' वाले सभाकक्ष में प्रत्येक सदस्य अपनी विभाजन संख्या बतायेगा और विभाजन लिपिक, विभाजन सूची में उसकी संख्या पर निशान लगाते हुए साथ-साथ सदस्य का नाम पुकारेगा। इसलिए मेरा कहना है कि बिजली के बन्द हो जाने पर सचिव द्वारा उनको इस बारे में परामर्श दिया जाना चाहिए था। यह एक बहुत गम्भीर भूल है।

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा तथा मतदान के बारे में प्रक्रिया एक विशेष अध्याय के अन्तर्गत आती है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में जो विशेष नियम हैं वह बहुत स्पष्ट है। उसमें लिखा है 'कि यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है तो वह 18—30 बजे या ऐसे अन्य समय, जो वाद-विवाद प्रारम्भ होने के समय से ढाई घण्टे से कम न हो, प्रश्न रख सकेगा।'

इसलिए उसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता कि उपाध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से सभा को अगले दिन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि आप इस मामले में अपनी व्यवस्था दें और घोषणा करें कि उस दिन उपाध्यक्ष की उक्त घोषणा के बाद जो कार्यवाही हुई थी वह अवैध है तथा उसको रिकार्ड में नहीं रखा जायेगा।

श्री उमानाथ (पदुकोटै) : यदि आप उस दिन उपाध्यक्ष की सभा को स्थगन करने की घोषणा के बाद हुई कार्यवाही को रिकार्ड से निकालने के बारे में सहमत नहीं तो बहुत गलत प्रथा बन जायेगी तथा इससे सभा की कार्यवाही में बाधा पड़ेगी और कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह निर्णय गलती से दिया गया था। यह निर्णय तो अच्छी तरह सोच विचार कर दिया गया था। सभा को स्थगन करने की घोषणा करने से पूर्व उन्होंने कहा था कि वाद-विवाद आरम्भ किया जाये। इस पर किसी माननीय सदस्य ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उपाध्यक्ष महोदय ने सभा को अगले दिन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इसका अर्थ यह है कि माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई थी उपाध्यक्ष महोदय ने उसको स्वीकार कर लिया।

दूसरी बात यह है कि एक बार सभा को स्थगन करने की घोषणा के पश्चात उपाध्यक्ष महोदय को सभा को पुनः समवेत नहीं कर सकते। नियमों के अन्तर्गत पीठासीन व्यक्ति सभा की कार्यवाही को चालू नहीं रख सकता। इसलिए घोषणा के बाद की समस्त कार्यवाही को रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री जी० मा० कृपलानी (गुना) : मेरे विचार में डा० लोहिया ने जानबूझकर उपाध्यक्ष महोदय को भ्रम में डाला है और हमें उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन (विशाखापतनम्) : निर्णय स्पष्टरूप से दिया गया था और उसको सुनने के तुरंतपश्चात हम सभा से बाहर चले गये थे। इसलिए जैसा कि अन्य माननीय मित्रों ने कहा है, उक्त निर्णय के बाद की सभा की कार्यवाही को रिकार्ड से निकाल दिया जाना चाहिए।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : The real question is who committed the mistake. The hon. Deputy Speaker is being involved unnecessarily in it. Actually it was weakness of the Government because Government they could not bring their members in the House.

The Government have taken every thing from Europe. They have no right under the Constitution to remain in power. If they do so that will be unconstitutional.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : The hon. Member Dr. Lohia has stated that we have learnt every thing from Europe. The hon. Member has, himself, got the higher education in Europe. They are talking of throwing the Government out from the door, windows etc. On that very day Sarvashree Kunte, Banerjee, Dr. Lohia and Umanath all were present in the House. No body challenged when the Deputy Speaker said that 'Nos have it' but the hon. Members have the tendency of going out.

Shri Madhu Limaye : The hon, Minister is telling a lie. We challenge the voting.

. . .

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने सब लोगों को बड़े धैर्य से सुनाया इसलिए माननीय सदस्यों को भी उनकी बात धैर्य से सुननी चाहिए।

श्री दत्तात्रय कुंटे : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : जब माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री दत्तात्रय कुंटे : माननीय मंत्री ने कहा है कि श्री कुन्टे आदि सदस्यों को सभा से भागने की आदत है । किसी मंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री 'भाग गये' शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार उन्होंने सभा की कार्यवाही के मामले में देश की अपेक्षा सभा को पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न किया है ।

श्री स. मो. बनर्जी (कानपुर): इस प्रकार के रवैये से न देश का भला हो सकता है न उनके दल का । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने सभा को पथभ्रष्ट किया है । उन्होंने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया । यदि सरकार से कोई गलती हो गई थी तो उन्हें यह बात माननी चाहिए और हम उन्हें क्षमा कर सकते थे ।

Dr. Ram Subhag Singh : Two hon'ble members Shri Uma Nath and Shri S. M. Banerjee had asked the Government to resign. Shri Banerjee said that Government is shameless; they should have resigned there and then.

मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के विरुद्ध कुछ मत डाले गये थे परन्तु फिर भी कांग्रेस को मत अधिक मिले, नहीं तो श्रीमती इन्दिरा गान्धी की सरकार एक पल के लिए भी नहीं ठहरती । उस दिन सभा के समक्ष विषय यह था कि सम्पूर्ण चर्चा के पश्चात काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय या रद्द कर दिया जाय । जब चर्चा समाप्त हो गई तो उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखा और कहा "न वाले जीत गये" श्री दत्तात्रय कुन्टे ने अपने समर्थन में श्री मधु लिमये का नाम लिया था कि उन्होंने कहा था कि सदन स्थगित कर दिया जाये, कल मतदान करावाइये । (**व्यवधान**) जब उपाध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय दिया कि सदन स्थगित कर दिया जाय तो श्री लिमये इस बात को समझ नहीं सके । इसलिये श्री कुन्टे चाहे अपने आप को विशेषज्ञ समझते रहें परन्तु मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ, कि जब वादविवाद आरम्भ हो जाता है तो सभा को स्थगित करने के लिये उपाध्यक्ष सक्षम नहीं है । स्थगत प्रस्ताव के विषय में 'हां' या 'ना' कहने का सभा को अधिकार है । मतदान के समय यदि श्री कुन्टे और उनके साथ जो जनसमूह था वे सब यहां रुकते तो देख सकते थे कि क्या प्रस्ताव स्वीकार हुआ था; परन्तु वह तो अस्वीकार कर दिया गया था । यदि आज भी श्री बनर्जी चाहे तो सभा की सहमति के पश्चात वह उस प्रस्ताव पर मतदान करवा ले और हम आज भी यह सिद्ध कर देंगे कि वे हार गये थे ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब तक अध्यक्ष महोदय या उनके स्थान पर उपाध्यक्ष पीठासीन है............

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं, वह भी तर्क कर रहे हैं ।

श्री रणधीर सिंह : यह कहा गया है कि वह एक 'क्राउड' था । यह साधारण जन-समूह नहीं बल्कि वैध रूप से गठित सभा है जब अध्यक्ष महोदय या उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हैं, यह सभा वैध रूप से गठित मानी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है । मैंने उपाध्यक्ष से भी बात की है । उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया । अब श्री खाडिलकर इस स्थिति पर प्रकाश डालेंगे ।

श्री खाडिलकर (खेड) : 24 तारीख को सभा के स्थगन सम्बन्धी प्रस्ताव पर जब ध्वनि मत लिया गया तो यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। इस निर्णय को चुनौती दी गई तो मैंने मत विभाजन के लिए आदेश दिया परन्तु बिजली में खराबी के कारण घन्टी नहीं बजी। तब मैंने विभिन्न दलों के सचेतकों को कहा कि वे अपने सदस्यों को बुलालें। उसी समय यह सब प्रकार के व्यवधान और गड़बड़ हुई। पहले मैंने श्री रंगा के सुझाव पर कहा कि मतदान कल होगा और श्री सेझियान को संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर बोलने के लिए कहा। फिर किसी एक सदस्य के कहने पर मैंने सभा स्थगित करने का आदेश दे दिया। मैंने तत्काल ही दूसरी बार मतदान करवा लेना था। क्योंकि पीठासीन व्यक्ति होने के नाते मुझे उसका अधिकार था। तथापि एक प्रक्रिया सम्बन्धी भूल हो गयी थी। मैं अपनी भूल मानता हूँ और मुझे इस बात का खेद है।

अध्यक्ष महोदय : अब हमने स्थगन प्रस्ताव के बारे में काफी चर्चा कर ली है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये
2.30 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Half Past Fourteen of the Clock.

लोक सभा 2.30 बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled at half past fourteen of the Clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker ***in the Chair*** }

रेलवे आयव्ययक 1967-68 सामान्य चर्चा

Railway Budget-General Discussion

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वर्ष 1967-68 के लिये रेलवे आयव्ययक पर सामान्य चर्चा करेंगे :

श्री मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस दिन रेलवे बजट प्रस्तुत किया जा रहा था उसी दिन बंगलौर से कोचीन को जा रही आइलैंड एक्सप्रेस की एक गम्भीर दुर्घटना हुई जिसमें 700 व्यक्ति मारे गये और सैकड़ों व्यक्ति घायल हो गये। यह ठीक है कि मंत्री महोदय ने शोकग्रस्त परिवारों के लिये सहानुभूति व्यक्त की है, परन्तु यह दुर्घटना मानवीय गलती के कारण हुई है और इसलिये इस दुर्घटना के मंत्री तथा रेलवे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना चाहिए।

पिछले वर्ष कई भयानक दुर्घटनायें हुई जिनमें बहुत से व्यक्ति मारे गये। कुछ मास पूर्व बम्बई में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें सैंकड़ों लोग मारे गये थे। फिर भी रेलवे अधिकारी संतुष्ट-से प्रतीत होते हैं। मैं यह निश्चित रूप से कहूँगा कि यह दुर्घटना रेलवे के कुप्रबन्ध के

कारण हुई है और इसलिए उनकी निन्दा की जानी चाहिए। इस कुप्रबन्ध के कारण रेलवे की आर्थिक स्थिति को बहुत हानि हुई है। इस समय उनके तीन कर्तव्य हैं, घाटे का आय-व्ययक प्रस्तुत करना, किराये और माल भाड़े में वृद्धि करना और रेलवे लाइनें तोड़कर उनके स्थान पर बैल-गाड़ी को चलाना।

चाहे कुछ भी हो रेलवे एक महानतम राष्ट्रीय उपक्रम है। रेलवे में 3000 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है। रेलवे का प्रबन्ध देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रेलवे एक व्यापारिक संस्था है और इसका प्रबन्ध इसी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले केवल अपने वेतनों का ही ध्यान रखते हैं। यदि उपक्रम की कोई हानि होती है तो वह हानि प्रबन्धकों की न होकर जनता की होती है। उपरोक्त मामले में भी यही हुआ है। गत वर्ष रेलवे की 26 करोड़ रु० की और चालू वर्ष में 30 करोड़ की हानि हुई है और इसकी जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड के अधिकारियों पर है परन्तु इसका बोझ जनता को सहन करना पड़ेगा। गैर-सरकारी उपक्रम में यदि कोई हानि होती है तो उसका बोझ प्रबन्धकों पर पड़ता है। यह बात समझ में नहीं आती कि कुल आय जब बढ़ रही है तो घाटा कैसे दिखाया जाता है। वर्ष 1955–56 में कुल आय 316 करोड़ रुपये थी जो चालू वर्ष में बढ़कर 847 करोड़ हो गई है इसके बावजूद रेलवे को घाटा रहा है। इसका मुख्य कारण है अनियन्त्रित खर्च। इन आंकड़ों से पता चलता है कि रेलवे प्रशासन में कितनी वित्तीय गैर-जिम्मेदारी है। कर्मचारियों के वेतन वृद्धि तथा भत्तों में बढ़ोतरी के अतिरिक्त साज सामान की अधिक लागत भी खर्च में वृद्धि का कारण है। देख भाल का खर्च और अन्य खर्च भी बहुत बढ़ गया है। इस समय रेलवे बोर्ड के 12 सदस्य, 13 निदेशक, 35 संयुक्त निदेशक और सैंकड़ों उपनिदेशक और सचिव हैं जबकि पहले रेलवे बोर्ड के केवल 5 सदस्य, और कुछ थोड़े से निदेशक होते थे। इसीलिये यह खर्च 50 लाख रुपये से बढ़ कर $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये हो गया है। प्रशासन का खर्च भी 30 करोड़ रुपये से 67 करोड़ रुपये खर्च हो गया है। दक्षिण रेलवे का काम उसके विभाजन से पूर्व भी ठीक चल रहा था परन्तु अब इसको दक्षिण जोन और दक्षिण केन्द्रीय रेलवे अर्थात दो भागों में विभक्त कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप खर्च में भी दुगनी वृद्धि हो गई है। मंत्री महोदय ने यह ठीक ही कहा है कि पश्चिमी देशों में रेलवे का प्रबन्ध कम कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है। भारतीय रेलवे में वर्ष 1955–56 में 9 लाख कर्मचारी होते थे जो अब बढ़कर $13\frac{1}{2}$ लाख हो गये हैं। ब्रिटेन में तो कर्मचारियों की वृद्धि नहीं हुई जबकि उनको भी इतने ही यातायात का प्रबन्ध करना पड़ता है। उनकी संख्या केवल $5\frac{1}{2}$ लाख है।

रेलवे मंत्री कर्मचारियों की संख्या छटनी करके कम करने के पक्ष में है, परन्तु ऐसे एकदम कैसे किया जा सकता है ? अलाभकारी रेलवे लाइनों को हटा देने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि कार्यवाही राष्ट्र-विरोधी भी होगी। ये रेलवे लाइन्स पिछली शताब्दी से निर्मित हैं और जनता की अपने ही ढंग से सेवा करती रही है। रेलवे प्रशासन को चाहिए कि इन लाइन्स को लाभ-कारी बनाये। यह समस्या इन्हें नष्ट करने से हल नहीं हो सकती बल्कि इनके

पुर्नानिर्माण से हो सकती है। मैसूर राज्य में ऐसी बहुत सी लाइनें हैं जिनको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको समाप्त करने के नहीं। इस सम्बन्ध में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी तथा स्व० एच० सी० दासप्पा से भी बातचीत हुई थी और यह आश्वासन दिया गया था कि वे मैसूर रेलवे के विकास का कार्यक्रम पूरा करेंगे और इसी बात पर हमने रेलवे की सभी विधिया, सुन्दर भवन आदि हस्तान्तरित कर दिये, परन्तु हस्तान्तरण के पश्चात ये वचन पूरे नहीं किये गये। दक्षिण रेलवे के विकास–कार्यक्रम की अवहेलना की गई है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय महत्वपूर्ण लाइन्स को जोड़ने के लिए कार्यवाही करेंगे। रेलवे के किराये, माल भाड़े के दर, रिजर्वेशन फीस, प्लेटफार्म के टिकटों के दर में वृद्धि कर दी गई है। यह असामाजिक और राष्ट्र विरोधी कार्यवाही है। एक ओर मूल्य वृद्धि को रोकने की बात कही जाती है तो दूसरी ओर इनकी वित्तीय नीति के कारण मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का मुख्य कारण सरकार की नीतियां हैं। मुद्रास्फीति के तीन महत्वपूर्ण कारण है अधिक कर लगाना, अधिक ऋण लेना और अधिक खर्च करना। सरकार जनता के बोझ को महसूस नहीं कर रही। जनता को कब तक बलिदान करना पड़ेगा। परन्तु जनता को भूखमरी की स्थिति पर लाना अनुचित होगा। मैंने रेलवे आयव्ययक के निराशाजनक होने के कारण बताये हैं। इस पर रेलवे विभाग केवल टेलीफोन लगाने के लिए 2.5 लाख रुपये खच करने वाला है। इस आयव्ययक से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि रेलवे प्रशासन में कोई सुधार किया जायेगा। यदि छटनी करनी है तो पहले रेलवे बोर्ड के उपनिदेशकों की संख्या आधी कर देनी चाहिये। आपको यह मानना चाहिए कि रेलवे के कर्मचारी आवश्यकता से दुगने हैं। परन्तु इन फालतू कर्मचारियों का उत्पादक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें इस विभाग को छोड़कर चला जाना चाहिए ताकि दूसरे लोग आकर स्थिति का सुधार कर सकें।

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : I have always welcomed the new taxes but this time in spite of justifications given by the Hon'ble Minister, I oppose the imposition of new taxes. On one side we want to hold price line and on the other side we adopt such measures by which prices would further rise. This will do nothing but deteriorate the conditions further. The imposition of taxes is not the only way to meet the deficit but it is one of the methods. With the rise in freight rate, all the prices would go up. I therefore suggest that the rise in freight rate should be withdrawn specially in case of food grains. On one hand we talk of subsidy and on the other hand we increase freight rate. I want to ask the Railway authorities the reason for this deficit. There is demands of wagons all round in the country. Then how can you say that deficit is because of wagons lying idle ? In order to meet the deficit, there should be improvement in administration. (Interruptions). There should be economy in expenditure. Instead of incurring huge expenditure on Railway Stations, double lines should constructed so that more traffic could move. I want to say that no new taxes should be imposed at this critical juncture and if at all considered necessary, you may do so at the time of supplementary budget.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS, BILLS AND RESOLUTIONS

पहला प्रतिवेदन

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : मैं प्रस्तुत करता हूँ :

"कि यह सभा गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन से, जो 24, मई, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन से, जो 24 मई, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

(धारा 13 का संशोधन)

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६७
HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL 1967

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूँ

कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री नि० चं० चटर्जी : श्रीमान् मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक १९६७
(अनुच्छेद 80 तथा 171 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967
(Amendment of articles 80 and 171)

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाय "

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : श्रीमानजी मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

(अनुच्छेद 124 तथा 220 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(Amendment of articles 124 and 220)

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : श्रीमानजी मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

(अनुच्छेद 48 तथा सातवीं अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL-1967

(Amendment of article 48 and Seventh Schedule)

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : I beg to move "that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Mahant Digvijai Nath : I introduce the Bill.

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक 1967

(धारा 324, 326 आदि का संशोधन) 1967

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL–1967

(Amendment of Sections 324, 326 etc.)

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : श्रीमानजी मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

(अनुच्छेद 343 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL–1967

(Amendment of article 343)

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : श्रीमानजी मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL–1967

(Amendment of Eighth Schedule)

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : I beg to move "for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Yamuna Prasad Mandal : Sir, I Introduce the Bill.

कार्मिक संघ मान्यता विधेयक

RECOGNITION OF TRADE UNIONS BILL

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move "for leave to introduce a Bill to encourage trade unionism among the employees and to provide for collective bargaining between the employers and representative trade unions of employees."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारियों में कार्मिक संघ के कार्य को प्रोत्साहन देने तथा मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि कार्मिक संघों के बीच सामूहिक सौदाकारी की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापति करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted,

Shri Madhu Limaye : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

(अनुच्छेद 31 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL-1967

(Amendment of article 31)

Shri Madhu Limaye : I beg to move "for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

(अनुच्छेद 152 आदि का हटाया जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL-1967

(Omission of article 152 etc.)

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I beg to move "for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Kanwar Lal Gupta : I introduce the Bill.

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 1967

(धारा 3, 4, 5 आदि का संशोधन)

SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL 1967

(Amendment of Sections 3, 4, 5 etc.)

Shri Kanwar Lal Gupta : I beg to move "for leave to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967--जारी

(अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL-1967 (Contd)

(Amendment of article 15 and 16)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री सेझियान द्वारा 7 अप्रैल, 1967 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जिस भावना से यह विधेयक लाया गया है वह सराहनीय है । मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं । इस विधेयक का उद्देश्य अनुच्छेद 15 के खण्ड 1 तथा 2 और अनुच्छेद 16 के खण्ड 2 का संशोधन करना है । इसका आशय यह है कि भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो । इस विधेयक के विरोध का एक मुख्य कारण यह है कि भेदभाव का यह निषेध पहले ही संविधान में मौजूद है । संविधान के अनुच्छेद 14 के सामान्य उपबन्धों में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव संविधान के विरुद्ध होगा । उच्चतम न्यायालय ने भी इसको स्पष्ट कर दिया है । भाषा अल्प संख्यकों सम्बन्धी आयोग ने भी इस प्रश्न पर ध्यान दिया है ।

देश के विभिन्न राज्यों ने अपनी प्रादेशिक भाषा अपना ली है परन्तु भाषा सम्बन्धी अल्पमत आयुक्त की गई सिफारिशों के अनुसार सभी राज्य सरकारें इस बात पर सहमत है कि नौकरी की भर्ती सम्बन्धी शर्तों में स्थानीय भाषा की जानकारी सबसे पहली शर्त नहीं मानी जायेगी । इस प्रश्न पर राज्य सरकारें ध्यान रखती है कि कहीं किसी कर्मचारी के साथ अन्याय न हो । केन्द्रीय सरकार के बारे में भी यही बात लागू होती है । एक व्यक्ति के सेवा में आने के बाद एक या दो परीक्षाएं पास करनी होती है । मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य इसके बाद अपना विधेयक वापस ले लेंगे ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है । प्रतिपक्षों द्वारा इस विधेयक के बारे में दो बातों पर विशेष जोर दिया गया है । एक इस विधेयक से दोहरापन हो जायेगा और दूसरे यह भाषा के बारे में मतभेद होने के विरूद्ध पहले ही काफी संरक्षण मौजूद हैं । मेरा आशय है कि लोगों को व्यक्तिगत रूप में भी भाषा के मामले संरक्षण मिलना चाहिये ।

यह ठीक है कि जो मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष आये उनमें यह निर्णय दिया गया कि भाषा एक परमाधिकार है । फिर भी मैं इसे स्पष्ट रूप में संवैधानिक कानून के रूप में रखवाना चाहता हूँ । हाल ही में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक निर्णय दिया है और मूल अधिकारों का स्पष्टीकरण किया है ।

एक सामान्य कानून को सुगमता से बदला जा सकता है परन्तु एक संवैधानिक कानून को सुगमता से बदला नहीं जा सकता । हमारे देश की बहुत सी भाषाएं हैं । देश में आन्तरिक शान्ति तथा एकता को प्रोत्साहन देने के लिये यह अत्यावश्यक है कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ।

संविधान जब बन रहा था उस समय शायद अब की स्थिति का अनुमान नहीं लगाया गया होगा । पिछले 17 वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि संविधान में ऐसा संशोधन बहुत आवश्यक है । मेरा समूचे सदन से अनुरोध है कि मेरे इस विधेयक को समर्थन प्रदान करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I rise on a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पहले गिनती कर लेने दीजिये। मतदान के परिणाम की घोषणा से पहले मैं आप की बात सुन लूंगा।

Shri Madhu Limaye : I have objection on the procedure being followed.

उपाध्यक्ष महोदय : मतदान दीर्घा में होगा।

पक्ष में 51 : विपक्ष में 70

Ayes 51 ; Noes **70**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1967

(धारा 14 तथा 15 का संशोधन)

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT)BILL 1967

(Amendment of Sections 14 and 15)

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री नाथ पाई : श्रीमानजी मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 37,45 आदि का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of articles 37, 45 etc.)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री मधुलिमये के संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 37, 45 आदि का संशोधन) पर विचार करेंगे। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 117 (3) के

अन्तर्गत विधेयक पर विचार करने की सिफारिश नहीं की है। श्री मधुलिमये ने प्रस्ताव किया है कि विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to move that this Bill be taken up for consideration. I am not moving that it may be passed. I want your ruling on this point.

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में पहले भी विनिर्णय दिये जा चुके हैं कि विचार करने के प्रस्ताव की आज्ञा नहीं दी जा सकती। हां परिचालित करने का प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री सेझियान : (कुम्बकोणम) : यदि राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं है फिर भी विधेयक पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है : हम इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री पी० राममूर्ति (शवकाभी) : प्रश्न यह है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये जाने से पूर्व विधेयक परित हो जाता है तो वह अवैध होगा। परन्तु ऐसा भी हो सकता है कि विधेयक पर वास्तविक मतदान होने से पूर्व राष्ट्रपति अपना विचार बदल लें।

मैं इस बात को मानता हूं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। परन्तु ऐसा भी हो सकता है कि इस पर होने वाले वाद-विवाद को सुनने के पश्चात सरकार ही अपना विचार बदल ले। इसलिए वाद-विवाद को होने दिया जाना चाहिए। संविधान में भी केवल यह कहा गया है कि इसको अधिनियम का रूप नहीं दिया जाना चाहिए परन्तु यह नहीं कि इस पर वाद-विवाद भी नहीं किया जाना चाहिए।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I would like to draw the attention of the Deputy Speaker to sub clause (1) of clause 117 which reads as follows :

> "A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub–clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President ...."

Accordingly Shri Madhu Limaye's Bill has no concern with the Consolidated Fund of India. Consent of the President is needed only to introduce such Bills which fall under sub clauses (a) to (f) of clause 110. I would, therefore, request you to permit Shri Madhu Limaye for introducing the Bill.

Shri S. M. Joshi (Poona) : I support the view of Shri Ramamurthi. The Education Commission has submitted its report. I think there will be some recommendations in this regard. That report is likely to be discussed in this House. It is, therefore, quite possible that Government may change his mind in favour of passing the Bill.

The Bill is passed only in the last stage. It is quite possible that it may be sent for public opinion after the first reading. Therefore the question of passing of the Bill at this stage does not arise.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : According to Article 117 a Bill has to go through from three stages before becoming an Act. This Bill has already been introduced. Now the second stage is that of consideration. When it can be introduced, I do not know, why it cannot be considered because Article 117 (3) says that 'A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recomm-

ended to that House the consideration of the Bill'. So the hon. Member should have objected at the time of the introduction of the Bill or they should object at the time of passing the Bill.

श्री सं० मो० बनर्जी : (कानपुर) : जब इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया था तो किसी भी सदस्य ने आपत्ति नहीं की थी, जब सरकार को मालूम पड़ा कि यह धन विधेयक है तो उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए इसको नहीं भेजेंगे। सरकार को यह डर है कि यदि इस विधेयक पर चर्चा की अनुमति दे दी गई तो यह पास हो जायेगा। मैं इस विधेयक को सार्वजनिक रूप जानने के लिए परिचालित करने के लिए एक प्रस्ताव आपकी अनुमति से रखता हूँ ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : जब विधेयक को पुरःस्थापित करने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई तो इस पर चर्चा करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : नियम 65 में कहा गया है।

"कि नियम 74 में निर्दिष्ट किसी प्रस्ताव के किये जाने पर, विधेयक के सिद्धान्त और उसके उपबन्धों पर सामान्य रूप से चर्चा की जा सकेगी किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अग्रेत्तर चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के लिये आवश्यक हो।"

इसका अर्थ यह है कि यह विवेकजनक है न कि अनिवार्य, विवेक की शक्ति आपके पास है।

यदि आप माननीय मित्र को विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं और सभा को उस पर चर्चा करने की तो इस समय केवल विधेयक के सिद्धान्तों पर ही चर्चा की जा सकती है। परन्तु इस सब के बावजूद यदि राष्ट्रपति इसको पास करने की अनुमति नहीं देते तो यह सभा के समय क्या अपव्यय ही होगा। मेरा निवेदन है कि इसको विचार के लिए प्रवर समिति के पास भेज दिया जाये।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : It is the general practice of the House that at the introduction stage the Bills are generally not obstructed. But from consideration to the passing of a Bill we have to pass through from various stages. Under the rules discretion is vested in you to allow it or not. If in your view consideration, discussion and passing are on transaction then the question of allowing the discussion does not arise. But if you think them different transactions then of course you can allow discussion on it. If once you decided to allow it then many such Bills will come before the House which will be discussed but not passed.

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि श्री आज़ाद ने कहा सभा की यह प्रथा है कि विधेयक पुरःस्थापित करने की अवस्था में कोई आपत्ति नहीं की जाती है। परन्तु विधेयक पर चर्चा से लेकर पास करने तक कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जब हम अगली अवस्था में पहुँचते हैं तो विधेयक पर खण्डवार चर्चा करनी पड़ती है। श्री नम्बियार ने कहा है कि यदि चर्चा की अवस्था पर अनुमति दी जाती है तो क्या हानि है। इससे आप ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं जहां संसद को विधेयक पारित करना पड़ता है। परिचालन के लिए प्रस्ताव है आप लोकमत बना सकते हैं। इससे आप सरकार को भी राजी कर सकते हैं। 1951 में ऐसी ही

स्थिति में श्री मावलंकर ने ऐसी बात की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए मैं उसका दृष्टान्त से हटाना नहीं चाहता। परिचालन प्रस्ताव की ही अनुमति है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) ; I beg to move that the bill be circulated to elicit public opinion.

Under Part III of the Constitution formulated 17 years ago every citizen has the right to go to the Supreme Court for enforcing his fundamental rights. Directive Principles have been laid down in Part IV of the Constitution which are not enforceable by any court of law. But it is duty of the Government to implement these principles and apply them in making laws. The Directive Principle in regard to the primary education is as such :

> "The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years"

But the Government have failed to implement this principle even after seventeen years of the enforcement of Constitution. I am afraid that principle remains in the fourth part of the Constitution it will not be implemented in twentyfive years. It has, therefore, become necessary to put them in Part III of the Constitution and make them enforceable by the Court of Law.

[**श्री गु० सि० ढिल्लो पीठासीन हुए**
Shri G. S. Dhillo *in the Chair*]

There is a provision in the Constitution that State will provide free and compulsory education for all children upto the age of fourteen within ten years from the commencement of the Constitution. Free and compulsory education is very necessary also. Although seventeen years have passed since the commencement of the Constitution yet this directive has not been implemented.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : No minister of the Cabinet rank is present in this House. There has been a ruling in the past that during the course of discussion some minister of the Cabinet rank should remain present in the House. I would, therefore, request until such time the minister present himself in the House the proceedings should be stopped.

श्री रंगा : माननीय सदस्य ने उचित आपत्ति की है।

सभापति महोदय : उनका यहां सभा में बैठे रहना बहुत आवश्यक नहीं है। परन्तु मैं सभा की भावनाओं को सरकार तक पहुँचा दूंगा।

Shri Madhu Limaye : There is no provision for the preliminary education for at least forty percent children in Calcutta. It is a matter of shame for all of us. In (a) Shri Gokhale has sponsored a Bill for free and compulsory education but that ideal has not yet been realised. We should lay down a definite date for achieving this end. It has, therefore, been provided in the Bill that State Governments will provide free and compulsory education from 1st April, 1968 to all the children.

Provision regarding health has also not been implemented as yet. It is unfortunate that Government has failed to provide enough food to the people and they are dying of starvation. Much propaganda was made at the time of elections that no body will die of

starvation. It actually the Government is sincere about the promise they should accept the amendment in the Constitution whereby it will be the duty of the State to provide minimum standard of nutrition and to prevent untimely deaths which occurred due to malnutrition, under- nourishment and starvation.

Shri B. M. Banerjee (Kanpur) : I welcome the Bill and congratulate Shri Madhu Limaye for bringing it.

Government has failed to implement the provision regarding free and compulsory education for the children below the age of fourteen years even after seventeen years of the commencement of Constitution. Great disparity prevails amongst different education institutions. In public schools all possible facilities are provided to the students whereas in other schools no arrangement exists for proper seating of the students. These disparities should be removed and free and compulsory education should be provided so that all sections of the society could be benefitted from it.

Minimum standard of nutrition for all citizens should be ensured by the State. Government should also take responsibility for preventing untimely deaths. It is a matter of great regret that today people are dying of starvation in my part of the country. All citizens have the right for two meals a day.

श्री स० कुण्डू (बातासौर) : यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए मंत्रियों तथा दूसरी ओर के अन्य सदस्यों को हो रही चर्चा पर पूरा ध्यान देना चाहिए ।

एक निदेशक सिद्धान्त को संविधान के उपबन्ध का रूप देने का यत्न किया गया है तथा दूसरी ओर लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देने की गारंटी दी गई है । कांग्रेस ने अपने बीस वर्ष के शासन में अनेक निदेशक सिद्धान्तों को लागू करने का प्रयत्न भी नहीं किया है । इस विधेयक द्वारा इनमें से कुछ निदेशक सिद्धान्तों को कानून रूप देने का यत्न किया गया है । इस विधेयक में बच्चों के लिए युक्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था है । लोकतंत्र में लोगों को शिक्षा देना एक बहुत ही आवश्यक है ।

सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि गांवों में रहने वाले लोगों में से केवल 20 प्रतिशत जनता शिक्षित है, जो बहुत ही निराशाजनक बात है । बीस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह एक भयानक चित्र है । यदि चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिये दृढ़ संकल्प नहीं किया गया तो लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा । इसी ध्येय की पूर्ति के लिये इस विधेयक को उपस्थापित किया गया है । यह मैं नहीं समझ सका कि इस विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही थी । संसद सदस्यों को किसी भी प्रकार के विषय की चर्चा करने से रोकना अनुचित बात है । हमारी सरकार सोचती है कि यदि निरक्षरता, भूख, गरीबी आदि समस्याओं पर इस सभा में चर्चा कर ली गई और प्रेस में प्रचार कर दिया गया तो शायद संसार में सबसे बड़ा उनका लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा । इस सभा को किसी भी विषय पर चर्चा करने का अधिकार होना चाहिये । कोई विधि, कोई संविधान, कोई नियम सभा को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता । संविधान के अनुच्छेद 118 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रकार के मामलों पर चर्चा की जा सकती है ।

इस विधेयक में यह सुझाव दिया गया है कि पौष्टिक भोजन दिये जाने का प्रबन्ध होना चाहिये । अच्छी तथा सभ्य समाज के लिये शिक्षा, भोजन तथा स्वास्थ्य को आधार माना जाता

है। यदि ये सुविधाएं हम अपने नागरिकों को प्रदान नहीं कर सकते तो हम यह दावा नहीं कर सकते कि हम संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का संचालन कर रहे हैं। आज समस्त भारत में हजारों व्यक्ति अनाज के अभाव के कारण मर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष पश्चात् भी लोग बिल्लियों और चूहों की तरह मर रहे हैं। इस संकटकाल में मंत्रियों को चाहिये कि वे विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने के बजाय, इन समस्याओं के समाधान के लिये कुछ सोचें।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I appreciate the Bill presented by Shri Madhu Limaye. It should be the duty of Government to provide basic amenities to its people. We realise the difficulties of masses more than the opposition members. Even after 20 years of independence there are crores of people who cannot have two square meals, illitracy has still deep roots, and children fall ill because of malnutrition. I have visited about 100 villages and found that poor section of society is not in position to purchase wheat at the rate of Rs. 70.00 a maund. There should be sufficient arrangement for the supply of milk to the children in order to maintain their health. Similarly adults should also be provided with protective diet with a view to make our nation strong and bold.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker ***in the Chair***]

The poor masses are not in a position to get their children educated. Besides, the parents of the children should also be persuaded to send their children to schools because generally they are not inclined to do so. They are not prepared to get their children vaccinated even when tuberculosis and smallpox are prevalent in the epidemic form in their villages. In spite of Sharda Act the children of 7 to 10 years age are married. There is need for constructive outlook and not merely passing the Bills. There is no food shortage in the country as such but for the tendency of hoarding amongst the people. They should be educated in such a way that they do not indulge in such anti-social activities. I appreciate the spirit of the Bill but it will be too early to pass such a Bill.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : जिस प्रकार स्व० गोपाल कृष्ण गोखले ने 'स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है" का नारा लगाया था, उसी प्रकार हमारे यहां आजकी जनता यह नारा लगा सकती है कि लोकतंत्र में निःशुल्क शिक्षा हमारा अधिकार है। बड़ौदा राज्य के राजा सयाजीराव गैकवाड ने वर्ष 1920 में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी। हमारे देश में ऐसी अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिये जिससे सब को मुफ्त अनाज, निःशुल्क शिक्षा और रहने की जगह मुफ्त मिल सके। ये जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं। कानून बना देने से ही काम नहीं चल सकता।

मैं 25 से 30 वर्ष तक गांवों में रहा हूं। देहाती लोगों का कहना है कि जिन बच्चों को थोड़ी सी शिक्षा मिल जाती है वे परिश्रम नहीं कर सकते। मेरा निवेदन यह है कि बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ बड़ों को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है। मैं श्री लिमये की इस प्रार्थना का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में जनता का मत जानने के लिये इसे परिचालित करना चाहिये।

Shri J. B. Kripalani (Guna) : We purposely kept these directive principles as nonjusticiable, those that could not be enforced by courts of law. Because we realised it

will not be possible for the Government to implement them. In my opinion there should be any compulsory education as it sheer wastage of money. Europe has got experience and realised that there is no use of compulsory education specially for the labour class. The money saved in this way should be distributed for the welfare of the children. The Government should make adequate arrangement for the supply of foodgrai ns to the people.

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

These directive principles are meant for show only and it would be better if such Bills are not introduced as it is just wastage of time of the House.

अध्यक्ष महोदय : अब आधे घण्टे की चर्चा होगी ।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा टायरों की खरीद

आधे घण्टे की चर्चा

PURCHESE OF TYRES BY THE DEFENCE MINISTRY

Half an Hour Discussion :

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : प्रतिरक्षा मंत्रालय ने जो टायर खरीदे थे, उसके सम्बन्ध में मैंने यह चर्चा उठाई है। लोक लेखा समिति ने कई त्रुटियाँ बताई हैं परन्तु इस समस्या की ओर सरकार का आडम्बरपूर्ण रवैया बना हुआ है। सामान्य तौर पर देखा जाये तो लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में सरकार की भूलों की ओर ही ध्यान दिलाया जाता है और इसके फलस्वरूप सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के सम्मान को धक्का पहुँचता है। सरकारी क्षेत्र द्वारा किये जा रहे कार्य के बारे में कितनी शिकायतें मिलती हैं। इस प्रतिवेदन में भी राज्य व्यापार निगम के कुप्रबन्ध और कुप्रशासन के सबसे बड़े काण्ड का उल्लेख किया गया था। राज्य व्यापार निगम पर आवश्यकताओं को अधिक अनुमान का ही आरोप नहीं अपितु यह भी आरोप है कि उन्होंने पूर्व यूरोपीय देशों से मंगवाये टायरों पर कब्जा कर लिये, जबकि उनके पास पहले ही टायरों का पर्याप्त भण्डार था। जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें पुनः निर्यात करने के लिये साधन ढूंढने पड़े। इन टायरों का छटा भाग इस देश में पुनः काफी घाटे पर भेजा गया क्योंकि जिन्होंने टायर निर्यात किये थे, उनकी हानि की उन्हें क्षतिपूर्ति दी जानी थी और उन्हें इस गन्दे माल के निपटान के लिये प्रोत्साहन देना था। ये टायर विभिन्न विभागों पर थोपे गये। उन निरीक्षकों तथा अन्य व्यक्तियों का क्या हुआ जिन पर ये टायर खरीदने का उत्तरदायित्व था। इस प्रकार के गोलमाल के आये दिन प्रतिवेदन देखने को मिलते हैं परन्तु सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये कोई प्रयास नहीं करती। हम यह जानना चाहेंगे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इन टायरों को अपने प्रयोग के लिये क्यों उपयुक्त नहीं समझा अच्छा हुआ कि ये टायर उस समय प्रयोग में नहीं लाये गये जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, नहीं तो नेफा का एक ओर दृश्य उपस्थिति हो जाता। इस मामले के लिये कौन उत्तरदायी है, यह अभी तक निर्धारित नहीं हुआ। हम नहीं जानते कि इसके लिये राज्य व्यापार निगम पूर्ति एवं निपटान विभाग तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में से कौन प्रमुख रूप से

उत्तरदायी है । इन सभी विभागों ने एक दूसरे को बचाने का प्रयास किया है । ऐसी परिस्थिति में किसी एक विभाग का उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन हो जाता है ।

लोक लेखा समिति ने कहा है कि सरकार समय पर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में असफल रही है । उन्होंने इस बात पर गम्भीर आपत्ति की है कि सरकार ने प्रत्येक ठेके में गारन्टी सम्बन्धी खण्ड सम्मिलित क्यों नहीं किया । जब ठेके की मदों पर समझौता किया गया तो सुरक्षा के लिये एक साधारण-सा खण्ड क्यों सम्मिलित नहीं किया गया । यह समझ में नहीं आता कि रामकृष्ण कुलवन्तराय नामक फर्म को उन टायरों को लाने और उनका सौदा करने के लिये किस प्रकार एजेन्ट बनाया गया निश्चय ही राज्य व्यापार निगम इस फर्म से कोई अच्छा एजन्ट ढूंढ सकता था ; इसके परिणामस्वरूप यह गबन हुआ है । मैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष से यह पूछना चाहूँगी कि क्या उन्होंने कोई प्रश्नावली भेजी है और उसका उत्तर उनके पास पहुँच गये हैं । यदि ये उत्तर नहीं आये तो उनका कारण क्या है । सरकार को चाहिये कि वे जल्दी से जल्दी इस विषय में तथ्यों का उल्लेख करें ताकि उत्तरदायित्व निर्धारित करने में सुविधा हो और इस प्रकार के दुष्कार्यों को भविष्य में रोका जा सके ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं इस विषय में यह कहना चाहूँगा कि हमने इस मामले को उच्च प्राथमिकता दी थी परन्तु जब हमने इस सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्रालय से सूचना देने के लिये कहा तो हमें बताया गया कि उन्होंने प्रतिरक्षा, वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय के अधिकारियों की एक अन्तर्विभागीय समिति बनाई है जो इस मामले की जाँच करेगी और उन्होंने सुझाव दिया कि हमें उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इसका अर्थ यह है कि वह अपने अपराध को छिपाना चाहते हैं ।

श्री मी० रु० मसानी : यह प्रतिवेदन नवम्बर में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और इस प्रकार की समिति दिसम्बर या जनवरी में नियुक्त की जानी चाहिये थी । परन्तु ये खेद की बात है कि यह समिति अप्रैल में नियुक्त की गई । अब क्योंकि उक्त अधिकारी जांच कर रहे हैं तो हमें उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिये । ऐसा करने में हमें आगे की जांच में सहायता ही मिलेगी । हमने सुनवाई की तिथि 14 और 15 जुलाई निर्धारित की है और आशा है कि तब तक हमें उक्त अधिकारियों की समिति का प्रतिवेदन मिल जायेगा । मुझे आशा है कि अब अधिक देर नहीं लगेगी । मैं माननीय सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में व्यक्त चिन्ता की सराहना करता हूँ ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Whether it is a fact that 10 thousand tyres worth Rs. 42 lakhs were purchased by the Ministry of Defence without any testing by T. D. A. vehicles ? Whether it is also a fact that these tyres were manufactured in 1959 or 1960 and the year of manufacture was taken as 1963. Whether it is also not a fact that early dates of receipt of these tyres have been entered into record than the actual dates of receipt in place of tyres of better quality ? In spite of the instructions that these tyres should not be sent to the field units on the front, they were sent there ? I would also like to know whether the report of said officers' committee will be placed before the P. A. C. and the House and Mr. Speaker will provide us opportunity to discuss the same in detail ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैंने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि न प्रतिरक्षा मंत्री को और न मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है क्योंकि यह हमारे इस मंत्रालय में आने से पहले की बात है ।

दिसम्बर और जनवरी मास में अधिकारियों की समिति नियुक्त न कर सकने का कारण है कि समस्त देश और मंत्रीगण चुनावों में व्यस्त थे । हमने इस मामले की पूरी जांच का वचन दिया था ताकि कोई भी अपराधी व्यक्ति बच न सके । इस समिति की नियुक्ति सभा की माँग पर की गई थी । इस समिति का सबसे पहला काम है उस मामले में प्रकट हुई भूलों के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा उन्हें दूर करने के उपाय सुझाना । दूसरी बात बहुत से विभागों में हुई हानि का अनुमान लगाने की है । तीसरी बात उनकी सिफारिशों पर लोक लेखा समिति को उत्तर देने के सम्बन्ध में सुझाव देने की है । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि लोक लेखा समिति की सुविधा के अनुसार हम कार्य करेंगे । हम लोक-लेखा समिति के अध्यक्ष द्वारा निश्चित तिथियों से बहुत पहले उत्तर भेजने की व्यवस्था करेंगे ताकि उन्हें उन पर विचार करने का पर्याप्त समय मिल जायेगा । वास्तव में 10,000 टायर नहीं अपितु 12,686 टायर खरीदे गये थे । ये टायर दो जगहों से खरीदे गये थे । हंगरी से आयात किये गये कॉडियाटिक टायर द्वारा दी गई औसत 20, 747 किलोमीटर है और दूसरे पोलैण्ड के टायर की औसत 17064 किलोमीटर प्रति टायर है । इसकी तुलना में देशी सी० सी० टायर की औसत 21,580 किलो-मीटर है । आयात किये गये टायरों का मूल्य 12 प्रतिशत 20 प्रतिशत कम है । यदि कुल मिला कर देखा जाये तो देशी टायरों की तुलना में ये टायर अधिक उपयोगी नहीं । इसलिये यह कहना कि इस सौदे से हानि हुई है, अनुचित बात है । इस सम्बन्ध में दो बातें है । इस से यह पता चलता है कि ये टायर खराब नहीं थे । दूसरी बात यह है कि उन टायरों पर विभिन्न विशिष्ट विवरण थे । क्योंकि सी० सी० टायर पसन्द किये गये थे । और इसके विरुद्ध विशिष्ट विवरण के टायरों को देश में टायरों को अधिक मांग के कारण आयात किया गया था और इस प्रक्रिया में नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया गया । टायरों को खराब नहीं बताया जा सकता क्योंकि वे फटे नहीं थे ।

श्रीमति तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि ये टायर घटिया दर्जे के नहीं थे ।

Shri Madhu Limaye : I want straight forward replies to my four or five points that I have raised.

श्री ब० रा० भगत : कुल 12,686 टायरों में से केवल 253 टायर फटे हुए थे जिनका मूल्य 90,600 रुपये है । टायर भेजने वालों पर इस सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के दावे किये जा रहे हैं । इस प्रकार हानि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । जहां तक निरीक्षण का सम्बन्ध है, वह सच है कि इनकी जांच निरीक्षण निदेशक द्वारा करवाई गई । इस बात की जांच की जा रही है कि इस सम्बन्ध में किस का उत्तरदायित्व है । इन सभी मामलों की जाँच उपरोक्त समिति कर रही है और इस समिति का प्रतिवेदन लोक लेखा समिति को भेजा जायेगा । जो इस सम्बन्ध में आगे विचार करेगी और सभा को अपने निष्कर्ष बताएगी ।

जहां तक नियमों के उल्लंघन या बुरे इरादों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विचार किया

जा रहा है । इन सब मामलों की जांच अन्तर्विकगीय समिति द्वारा की जा रही है । मैं ने तो उतनी सूचना दी है जो हमने इस सम्बन्ध में अब तक एकत्रित की थी । हम अन्तर्विभागीय समन्वय के प्रश्न पर उस सीमा तक विचार करेंगे जहां तक इस सम्बन्ध में गलतियां हुई हैं और हम उनकी भरपाई करेंगे । हम लोक लेखा समिति के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम सभा को आश्वासन देते हैं कि अपराधी व्यक्ति को अवश्य दण्ड दिया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye: What happened to Mr. Major Singh and Mr. Gupta ? Major Singh was let off. After the lapse of six months no action can be taken.

श्री ब० रा० भगत : यह कालावधि पहले ही समाप्त हो चुकी है । हम केवल उसकी पेंशन में कटौती कर सकते थे, इस लिये हमने उसको पेंशन का 1/3 भाग काट लिया है ।

श्री श्रीचन्द गोयल (चन्डीगढ़) : रामकृष्ण कुलवन्तराय नामक फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री ब० रा० भगत : क्योंकि तीन वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

Shri Madhu Limaye: This is just misguiding the House and the Public Accounts Committee.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार तक स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार 29 मई, 1967, 8 ज्येष्ठ, 1889 (शाक) ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Morning May 29, 1967, Jyaistha 8, 1889 (Saka)